शुक्रवार,
१४ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार १४ अगस्त १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड को भारतीय पटसन मिल संघ का प्रतिनिधि मण्डल

*४८०. **डा० एम० एम० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के उस अधिकारी ने, जो भारतीय पटसन मिल संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैण्ड गया था, अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) उस रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार अपनी वर्त्तमान पटसन नीति के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त कार्यवाही करना आवश्यक समझती है; तथा

(ग) उस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). उस अधिकारी ने अपनी आस्ट्रेलिया यात्रा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ; वह

अधिकारी न्यूज़ीलैण्ड नहीं गया था। उस रिपोर्ट में भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार से सम्बन्धित बहुत से मामले दिये हुए हैं। मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिसमें आस्ट्रेलिया के साथ भारत के पटसन के माल के निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में उस अधिकारी के मख्य निष्कर्ष तथा सिपारिशें दी हुई हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १**]

उसको देखने से यह पता लगेगा कि सरकार की वर्त्तमान नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय पटसन मिल संघ द्वारा जो प्रतिनिधि मण्डल भेजा गया था क्या वह केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर भेजा गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी मैं समझता हूं कि यह सुझाव तो पहिले भारतीय पटसन मिल संघ ने दिया था।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय पटसन मिल संघ के समक्ष उन अन्य देशों को, जहां पटसन की खपत होती है, उसी प्रकार के प्रतिनिधि मण्डल भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर व्यापारी लोग ध्यान देते रहे हैं।

यदि वे कोई विशिष्ट प्रस्ताव रखें तो हम उन पर विचार करेंगे ।

डा० एम० एम० दास : रिपोर्ट को देखने से हमें पता लगता है कि आस्ट्रेलिया तथा पड़ौसी देशों के साथ पटसन व्यापार में हमें जो हानि हुई है उसका एक कारण यह है कि हम वहां पटसन के माल को नियमित रूप से नहीं भेज पाते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले को ठीक करने के लिये सरकार को क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा उसने पहिले ही क्या कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माल देने में कमी तथा वृद्धि और दामों के उतार चढ़ाव के प्रश्न के मामले में सरकार के लिये हल ढूंढ़ निकालना कठिन है । जब तक कि यह पूरा व्यापार सरकार के हाथों में न आ जाय तब तक विदेशी खरीदारों को नियमित रूप से माल देने तथा दामों को ठीक रखने के मामले में सरकार को कठिनाई अनुभव होगी । मैं समझता हूं कि हम वर्त्तमान स्थिति में सुधार नहीं कर सकते ।

श्री बी० के० दास : वहां भेजेग ये प्रतिनिधि मण्डल के मुख्य निष्कर्ष ये थे कि माल को नियमित रूप से भेजा जाय तथा आस्ट्रेलिया की विशेष आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाय । इन दोनों बातों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पहिली बात का उत्तर तो मैं ने डा० एम० एम० दास के उत्तर में दे दिया था । दूसरी बात का सम्बन्ध भारतीय पटसन मिल संघ से है । मैं समझता हूं कि आस्ट्रेलिया की मांग को पूरा करने के लिये वह संघ पटसन माल की किस्म में सुधार करने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सिफारिश को, कि आस्ट्रेलिया के समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जायें, कार्यान्वित कर दिया गया है अथवा क्या सरकार इसे कार्यान्वित करना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी मुझे इसकी पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि आस्ट्रेलिया में पटसन भेजने के फलस्वरूप हमें जो धन प्राप्त होता था क्या वह धन काफ़ी मात्रा में अन्य पटसन उत्पादक देशों को जा रहा है अथवा क्या आस्ट्रेलिया में पटसन की चीज़ों के स्थान पर कागज़ के थैलों आदि का प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कल डा० दास द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मैं ने सदन पटल पर जो विवरण रखा था, यदि माननीय सदस्य ने उसे पढ़ा हो तो उन्हें पता लगेगा कि पटसन की चीज़ों के स्थान पर अन्य चीज़ों के प्रयोग से आस्ट्रेलिया के साथ होने वाले हमारे व्यापार में रुकावट नहीं होती । वास्तव में हमारे हित के विरुद्ध जो बात है वह यह है कि वहां मज़दूरों की कमी के कारण पटसन के बोरों के स्थान पर माल ढोने के बड़े बड़े साधनों से काम लिया जाता है । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता । आस्ट्रेलिया में प्रतियोगिता के मामले के बारे में वहां केवल इंग्लैण्ड ही हमारी प्रतियोगिता कर रहा है । इंग्लैण्ड के माल की तो वहां शुरू से ही खपत होती रही है । यूरोप के अन्य देशों तथा पाकिस्तान ने भी आस्ट्रेलिया के बाज़ार में आने का कोई प्रयत्न नहीं किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान् । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अगला प्रश्न करने के लिये कह चुका हूं। मैं ने माननीय सदस्य को तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने दिये हैं।

औद्योगिक संस्थापनाओं के लिये प्रबन्ध निकाय

*४८१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री उन बातों की ओर निर्देश करके जो उन्होंने औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर वाद विवाद को समाप्त करते समय सदन में कही थीं, जिसमें कि उन औद्योगिक संस्थापनाओं के प्रबन्ध के लिये कोर्ट ऑफ़ वार्डस् के समान एक निकाय बनाने की बात थी जिन को सरकार दुर्व्यवहार के कारण मालिकों से अपने अधिकार में ले सके, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब जब कि यह विधेयक पारित कर दिया गया है, इस निकाय के बनाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि ऐसा है तो, इसके कब नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की गई है ; तथा

(घ) प्रस्तावित निकाय के निर्देश्य पद क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). प्रबन्ध बोर्ड के तुरन्त स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। इस प्रश्न पर तब विचार किया जायगा, जब औद्योगिक अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत सरकार के अधिकार प्रयोग करने के फलस्वरूप सरकार के प्रबन्ध के अधीन आने वाली औद्योगिक संस्थापनाओं की संख्या इतनी हो कि ऐसा संगठन स्थापित करना आवश्यक हो जाय।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने औद्योगिक साथों के दुर्व्यवहार करने की रिपोर्ट मिली है जिससे कि इस प्रकार के एक निकाय को स्थापित करने की आवश्यकता को आवश्यक समझा गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक उनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट के प्रश्न का सम्बन्ध है, ऐसी बहुत सी रिपोर्टें हैं। धारा १५ के अन्तर्गत हमने केवल तीन मामलों में कार्यवाही की। जिन औद्योगिक संस्थापनाओं को विशेषकर जिन चीनी की फैक्टरियों को सरकार ने अपने अधिकार में लिया है उनके प्रबन्ध के लिये उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि कि क्या उस नये निकाय को, जिसके स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और जो कि कोर्ट आफ वार्डस के समान होगा जैसा कि माननीय मंत्र ने इस विधेयक के एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान में कहा था, अपने कार्य-क्षेत्र में व्यवहार न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य तो पहिली बातें कह रहे हैं। यह सुझाव तो स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने दिया था। मैं ने यह कहा था कि इस सुझाव पर तब विचार किया जायगा जब इसके लिये उचित अवसर होगा। जब बहुत सी औद्योगिक संस्थापनायें सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत आजायेंगी तब इन सब बातों तथा अन्य मामलों के साथ इस बात पर विचार किया जायगा कि हम इस प्रकार के निकाय की स्थापना कब करेंगे। मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में ऐसा अवसर उत्पन्न नहीं होगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं पहिले प्रश्न का उत्तर समझ नहीं सका । क्या उससे मैं यह समझूं कि धारा १५ के अन्तर्गत केवल तीन सार्थों को, वह भी उत्तर प्रदेश की चीनी की फ़ैक्टरियों को, सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : धारा १५ का सम्बन्ध तो केवल जांच पड़ताल से है । मैं ने कहा था कि मैं ऐसे तीन मामलों को जानता हूं । मेरे इस वक्तव्य में सुधार किया जा सकता है । चीनी की कुछ फैक्टरियों को सरकार ने अपने अधिकार में लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया है ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने बताया कि सरकार का विचार इस बोर्ड को शीघ्र ही स्थापित करने का नहीं है म यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में निर्णय सभी सम्बद्ध पक्षों—चीनी उपादकों, कृषकों, मज़दूरों के संगठनों आदि से परामर्श करने के उपरान्त किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि अभी इस बात का अवसर नहीं आया है कि हम इस प्रबन्ध बोर्ड के बारे में विचार करें । केन्द्रीय सरकार इस समय किन्हीं ऐसे सार्थों की, जिन्हें कि अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने अपने अधीन ले लिया था, प्रबन्ध व्वस्था नहीं चला रही है ।

श्री पुन्नूस : क्या यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई कि गन्ने की कृषि करने वालों ने यह बार बार शिकायत की है कि उद्योगपति उन्हें ठग रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक दूसरा मामला है । जब तक कुछ औद्योगिक संस्थापनाओं को राज्य अपने अधिकार में न ले ले तब तक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मेरा कहना तो यह है कि ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे सरकार को वह बोर्ड स्थापित करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क है । अगला प्रश्न ।

सिन्द्री फैक्टरी में अमोनियम सल्फेट का स्टाक

*४८२. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (१) जनवरी तथा (२) मार्च के महीनों में सिन्द्री कृषिसार फैक्टरी में अमोनियम सल्फेट कितनी मात्रा में जमा था ?

(ख) सिन्द्री कृषिसार फैक्टरी के गोदामों की माल रखने की कुल क्षमता कितनी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १९५३ के जनवरी और मार्च महीनों के अन्त में स्टॉक क्रमश: ७४,३२२ त ा ७७,१२९ टन था ।

(ख) सिलो, जहां अमोनियम सल्फेट जमा किया जाता है, की माल जमा करने की क्षमता ९०,००० टन है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उस फैक्टरी में इस समय अमोनियम सल्फेट की कितनी मात्रा जमा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस महीने की ११ तारीख तक वहां ३६,९०६ टन की मात्रा थी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि कृषिसार प्रतिनिधि मंडल ने, जो विदेशों की कृषिसार फैक्टरियों को देखने के लिये हाल ही में वहां गया था, यह सुझाव दिया है कि यदि कृषिसार फैक्टरी कृषिसार को भारत से बाहर बेचना शुरू

कर दे तो यह संचित स्टॉक कम हो सकता है ; यदि हो, तो क्या सरकार उस सुझाव को स्वीकार कर लेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : उस प्रतिनिधि मण्डल ने ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इसके लिये जितने वैगनों की आवश्यकता थी उतने नहीं दिये जा सके और क्या इस यातायात की कठिनाई के कारण ही गत जनवरी में यह स्टॉक जमा हो गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : वर्ष के आरम्भ में कुछ थोड़े समय के लिये यह कठिनाई रही थी । बाद में हमने इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रबन्ध किये । हमने एक विशेष यातायात अधिकारी नियुक्त किया है और इस समय यातायात सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि आसाम से प्रति टन १०० रुपया अतिरिक्त लिया जाता है और क्या यह भी एक कारण है जिससे कि आसाम अपने निर्धारित कोटा को उठा नहीं रहा है ? यदि माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिला दिया गया है, तो क्या वह हमें बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : कृषिसार का मूल्य वही है । आसाम को कृषिसार अब स्टीमर द्वारा भेजा जा रहा है । यह बता दिया गया था कि कृषिसार रेल द्वारा भेजने से महंगा पड़ेगा और यदि इसे सिलिगुड़ी होकर रेल द्वारा भेजा जाय तो यह सस्ता पड़ेगा । हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जिन राज्यों से इस संचित स्टॉक को लेने के लिये कहा गया है वहां इस स्टाक को गोदाम में रखने की पर्याप्त व्यवस्था है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां ।

डा० जयसूर्य : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों के अपने अधिकतम कोटे को न ले सकने का एक कारण यह था कि १९५२ में उन्हें वैगन नहीं दिये जा सके थे तथा दूसरा यह था कि गत वर्ष दाम बढ़े हुए थे ?

श्री के० सी० रेड्डी : वर्ष के आरम्भ में यातायात की कठिनाई तथा गत वर्ष के मध्य में दामों का अधिक बढ़ा होना भी कुछ कारण थे ।

श्री नानादास : मंत्री महोदय ने बताया कि मार्च में ७७,१२९ टन स्टॉक था तथा इस समय केवल ३६,००० टन स्टॉक है । क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इसका कारण उत्पादन में कमी नहीं है, किन्तु इसका कारण यह है कि माल बहुत अच्छी तरह तथा कुशलता पूर्वक भेजा गया ।

पंजाब में घरेलु तथा छोटे-मोटे उद्योग के लिए संस्थाएँ

***४८५. प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री पंजाब में घरेलू तथा छोटे-मोटे उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या चलाई जाने वाली विभिन्न संस्थाओं के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २**].

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा ये संस्थाएं किस आधार पर चुनी गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए कठिन है । अधिकांश संस्थाओं को शरणार्थी पुनर्वास योजना के अधीन सहायता दी जा रही है । मैं इन संस्थाओं के चुनाव का आधार, उनकी कार्यप्रणाली के विवरण और उनके कार्य के अधीक्षण आदि बातें बता नहीं सकता । यह प्रश्न पुनर्वास मंत्री से पूछा जा सकता है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या यह सच नहीं है कि पंजाब के कुछ भागों पर विचार भी नहीं किया गया है, और कुछ भागों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह संभव है । पर यह आधार उस आधार से भिन्न है, जिस पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री घरेलू उद्योगों को सहायता देते हैं । जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, यह प्रश्न सम्बन्धित विभाग से पूछना चाहिए ।

पंजाब में राल उद्योग

*४८६. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को वित्तीय रूप में पंजाब के राल उद्योग की असफलता का कोई वृत्तान्त मिला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अनुमानतः माननीय सदस्य का निर्देश राल (ऐज़िन) उद्योग से है । उत्तर नकारात्मक है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि विभाजन के पश्चात् राल-उद्योग, जो पंजाब का एक सहायक उद्योग है, बहुत गिर गया है और इससे बेकारी बढ़ी है । क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इसे उचित आधार पर रखने के लिए क्या उपाय किये गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में बेरोज़गारी कम रहे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को ज्ञात है, वह अनुमान जिस पर यह प्रश्न आधारित है, सच नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को पंजाब सरकार से इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य की दृष्टि में कि वन-संपत्ति के विषय में पंजाब बड़ा धनी है, क्या इस उद्योग को दृढ़ आधार पर रखने के लिए कोई उपाय किये गए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि उनको कोई शिकायत नहीं मिली ।

उत्तर बोर्नियो को प्रतिनिधि मंडल

*४८७. **श्री दाभी** : (क) क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर बोर्नियो की हालत का अध्ययन करने और भारतीयों के वहां पर सफलतापूर्वक बसने की संभावनाओं का निर्धारण करने के उद्देश्य से उत्तर बोर्नियो को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सरकार ने चुन लिए हैं ?

(ख) प्रस्तावित प्रतिनिधि मंडल उत्तर बोर्नियो के लिये भारत से कब तक प्रस्थान करेगा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). प्रस्तावित प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कुछ समय पूर्व चुने गये थे पर इसके पहले कि प्रतिनिधि मंडल प्रस्थान करे, हम उत्तर बोर्नियो की

सरकार से एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री दाभी : क्या मैं उन भारतीयों की श्रेणियां जान सकता हूं : जो भारत से उत्तर बोर्नियों जा सकते हैं ? क्या बिना दो सरकारों में समझौता हुए अभी कोई भारतीय वहां नहीं बस सकता ?

श्री अनिल के० चन्दा : तब तक किसी भी भारतीय को वहां जाने और बसने की अनुमति न मिलेगी, जब तक हमारी सरकार और उत्तर बोर्नियो सरकार के बीच एक वास्तविक समझौता न हो जाए । प्रश्न समय से कुछ पहिले किया गया है । जैसा मैं गत सत्र में एक बार पहले भी कह चुका हूं । यह निश्चित किया गया था कि हम एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, जो वहां पर जांच करके सरकार के पास प्रतिवेदन भेजेगा तभी प्रवजन के प्रश्न का निपटारा हो सकेगा ।

श्री दाभी : श्रीमान्, मैं यह पूछना चाहता था कि क्या इस समय किसी भारतीय को वहां जा कर बसने की अनुमति मिल सकेगी ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं तो कहूंगा कि भारतीयों के वहां जाकर बसने का इस समय न केवल कोई अवसर ही नहीं है, बल्कि यह संभावना भी एक सुदूर भविष्य की संभावना है ?

श्री पुन्नूस : क्या मैं प्रतिनिधि मंडल के लिए चुने गए व्यक्तियों के नाम जान सकता हूं ?

श्री अनिल के० चन्दा : प्रतिनिधि मंडल में निम्न सदस्यों के रखने का प्रस्ताव था :

सरकारी : १. श्री एम० गोपाल मेनन, आई० एफ० एस० मलाया तथा सिंगापुर में सरकार के प्रतिनिधि ।

२. ठाकुर केहर सिंह पी० सी० एस०, हिमाचल प्रदेश ।

गैर सरकारी : श्री वी० ई० एंड्रयू त्रावनकोर-कोचीन ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सच नहीं है कि रेलवे तथा तार सम्बन्धी शिल्प-विज्ञान में प्रशिक्षित भारतीय नागरिक उत्तर बोर्नियो सरकार द्वारा बुलाए जा रहे हैं, और उनमे से कुछ जा भी चुके हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री के कथन के दृष्टिगोचर इस प्रतिनिधि मंडल को भेजा ही क्यों जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं पहले जो कुछ कह चुका हूं, उसका अर्थ यह है कि हमने ऐसी व्यवस्था की है और अब हम वहां से एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । वह नहीं आ रहा है । जहां तक हम समझ सकते हैं, उनको इस प्रतिनिधि मंडल या किसी भारतीय के वहां जाने में कुछ रुचि नहीं है । बोर्नियो द्वीप में इस प्रतिनिधि मंडल के विरुद्ध विभिन्न दलों द्वारा दबाव डाला गया है ।

चावल के हाथ से कूटा जाना

*४८८. **श्री दाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि देहाती रोज़गार बढ़ाने के लिए तथा अपेक्षतया भोजन को पुष्टतर बनाने की दृष्टि से सरकार को एक कार्यक्रम बनाकर छिलका उतारने वाले चावल-मिलों के स्थान पर चावल के हाथ से कूटे जाने की व्यवस्था करनी चाहिए ; तथा

(ख) यदि सच है, तो सरकार द्वारा उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)): (क) हां ।

(ख) इस संबंध में संभावित कार्यवाही राज्य-सरकारों के क्षेत्र में पड़ती है । फिर भी अ० भा० खादी तथा ग्रामोंद्योग बोर्ड द्वारा सुधरी हुई सामग्री के क्रय के लिए चार लाख रुपए कीं लागत वाली एक योजना तयार की गई है । यह सामग्री ५० प्रति शत लागत पर हाथ से चावल कूटने वाली सहयोगी संस्थाओं को बेची जाएगी और कार्यकाल के प्रारंभ में उन संस्थाओं का घाटा बचाने के लिए उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी । बोर्ड ने यह भी सुझाया है कि छिलका उतारने वाली मशीन के स्थान पर भिन्न प्रकार की मशीनें लगाई जाएं और हाथ से चावल कूटने वाले उद्योग की सहायता करने तथा तत्संबंधित बातों के लिए मिलों द्वारा कूटे जाने वाले चावल पर एक उपकर लगाया जाए । ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पारित एक संकल्प में यह मांग की गई है कि चावल का छिलका उतारने वाली मशीनों पर तुरन्त प्रतिबंध लगाया जाए और इस प्रकार के मिलों की संख्या या उत्पादन-सामर्थ्य में वृद्धि न होने पाये, और यदि सच है तो क्या सरकार ने यह मांग मंजूर कर ली है अथवा मंजूर करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे उत्तर के अंतिम वाक्य में इसका उत्तर दिया गया है । यह तथा अन्य बातें विचाराधीन हैं । और मैं यह भी बता चुका हूं कि यह भारत सरकार द्वारा उनकी मांग मंजूर होने का प्रश्न नहीं है । यह विषय राज्य-सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है और अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की इच्छानुसार जो कुछ भी किया जाए, राज्य सरकारों से बातचीत चलाकर ही किया जा सकता है ।

श्री दाभी : क्या मैं योजना आयोग तथा अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विषय में सरकार की धारणा जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसे विषय में अपनी धारणा का निश्चित वर्णन करना बहुत कठिन होता है, जिसमें सरकार को अपने कार्य के प्रतिफलों का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं हो ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि विगत रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी में चन्द्रनगर निवासी श्री घटक ने माननीय मंत्री या राज्य मंत्री को हाथ से धान कूटने की एक मशीन दिखाई थी ? यदि सच है, तो प्रतिक्रिया क्या है और क्या पश्चिमी बंगाल सरकार को इसकी सूचना दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संभव है, सच हो । जहां तक मेरा संबंध है, मैं रेलवे प्रदर्शनी में कभी नहीं गया, और मुझे ऐसी किसी मशीन के विद्यमान होने का कोई ज्ञान नहीं है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : और न मुझे ही वह मशीन दिखाई गई थी ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि इस विषय में राज्य-सरकारें उत्तरदायी हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से कुछ बातचीत चल रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य इस सदन और इससे पूर्व के सदनों के एक पुराने सदस्य हैं, और उन्हें विदित है कि ऐसी सभी बातचीत का अंतिम-चरण कभी नहीं आता । वह बातचीत अजस्र और निरंतर चला करती है और बहुधा बहुत समय तक हमें कोई प्रतिफल नहीं दिखाई देता ।

सेठ गोविन्द दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह बात चीत कब से चल रही है और कब तक कोई परिणाम निकलने की आशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह बातचीत मेरे कार्यभार संभालने के भी बहुत पहले से चल रही थी और मुझे आशा है कि मेरे कार्यभार छोड़ने तक चलती रहेगी ।

डा० एम० एम० दास श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कड़ए तेल आदि जैसे दूसरे उद्योगों पर भी यह नीति लागू करने को तैयार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह हाथ से कूटा जाता है ?

डा० एम० एम० दास : घानी और मिलों से । यह भी वैसी ही बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें एक विषय से दूसरे पर नहीं चला जाना चाहिए ।

श्री एम० एम० टामस : उदाहरणत: त्रावंकुर-कोचीन में यद्यपि कई चावल मिल खोलने के लिए अनुज्ञापत्र-शुल्क एकत्र किए गये थे, मंजूरी नहीं दी गई और आज अवैध रूप में मिलों को रखने के कई अभियोग चल रहे हैं । क्या केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार ही यह मंजूरी नहीं दी गई है और ये अभियोग चलाए गए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार छिलके उतारने वाली मशीनों के स्थान पर हाथ से कूटने वाली मशीनों के लगाने सम्बन्धी योजना आयोग की सिफारिश को अचूकता में वास्तविक विश्वास रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मेरा विचार पूछते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मैं कुछ बताने के लिये सक्षम हूं । एक उत्तरदायी निकाय ने एक सिफारिश की है और सरकार राज्य सरकारों से बातचीत चला रही है,यह बात ही अपर्याप्त प्रमाण है कि इस निकाय के सुझावों में कुछ तत्व है और सरकार उन को गंभीरता से ले रही है । परिणाम क्या होगा यह बिल्कुल पृथक् प्रश्न है ।

श्री एस० एन० दास : क्या माननीय मंत्री चलने वाले मिलों की संख्या, उत्पादित होने वाले चावल की मात्रा और इन मिलों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या बता सकेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से यह प्रश्न मेरे माननीय सहयोगी खाद्य तथा कृषि मंत्री से पूछा जाए । वह चावल के विषय में मेरी अपेक्षा अधिक ज्ञान रखते हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विदित है कि त्रावनकोर-कोचीन देहाती क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के फलस्वरूप होने वाले आन्दोलन के कारण सरकार ने इन मिलों के खोले जाने पर रोक लगा दी है और विधि का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग चल रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी ग्रहण किये लेता हूं ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का यह

विचार है कि सरकार बोर्ड की उतनी सहायता नहीं कर रही है, जितनी उसे करनी चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं उन की राय स्वीकार कर लूं, तो मैं कहूंगा 'निस्संदेह नहीं' । दूसरी ओर हम इस बोर्ड की इच्छाओं को यथा-संभव कार्यान्वित कर रहे हैं ।

श्री ए० एम० दामत : क्या १९५२-५३ में छिलका उतारने वाली मशीनों के आयात के लिये अनुज्ञायें प्रदान की गई थीं, और यदि हां, तो कितने मूल्य की मशीनों का आयात किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व-सूचना चाहूगा ।

जापान पर युद्ध-पूर्व वाले दावे

*४८९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय नागरिकों ने कितने तथा कितने मूल्य के दावे जापानी सरकार के विरुद्ध जापान के साथ हुए युद्ध से पूर्व के सम्पत्ति को हुए नुकसान अथवा व्यक्तिगत चोटों अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में किये हैं ?

(ख) दावेदारों के दावों का निपटारा कराने में सरकार उन की किस प्रकार सहायता करने की प्रस्थापना करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी तक २५४ दावे हमारे ध्यान में लाये गये हैं । उन दावों में ग्रस्त धनराशि १४,१६,००० रुपया है ।

(ख) दावेदारों को प्रेस नोट के द्वारा यह सूचित कर दिया गया है कि उन के दावे अपेक्षित लिखित प्रमाणों सहित संरक्षक शत्रु सम्पत्ति, बम्बई के पास ३१ दिसम्बर, १९५३ तक पहुंच जाने चाहियें । उस के पश्चात् इन दावों को सम्बद्ध पत्रादि के साथ जापान की सरकार को भारत-जापानी शान्ति सन्धि के अनुच्छेद (क) के अनुसार विचार किये जाने तथा निपटाये जाने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने दावों को वास्तव में निपटाया जा चुका है और क्या सरकार दावेदारों को अब तक भुगतान की गई कुल धनराशि के सम्बन्ध में सूचना दे सकती है ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि यह प्रश्न अभी अकालज है क्योंकि दावे ३१ दिसम्बर, १९५३ तक भेजे जा सकते हैं, और इस के बाद हम उन की जांच करेंगे और भुगतान के लिये भेजेंगे । अतः दावों के निपटाये जाने का अभी कोई प्रश्न नहीं है ।

कोयले के निर्यात में कमी

*४९०. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश का कोयले का निर्यात तेजी से कम होता जा रहा है ?

(ख) कोयला व्यापार में यह झुकाव कब से दिखाई दे रहा है ?

(ग) खोये बाजार को फिर से प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(घ) जनवरी से जून, १९५३ के महीनों में निर्यात किये गये कोयले की सम्पूर्ण परिमात्रा कितनी है ?

(ङ) यह आंकड़े सन् १९५२ के तत्स्थानी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख) सन् १९५१ और १९५२ में कोयले के निर्यात के जो उच्च स्तर पहुंच गये थे उन को चालू वर्ष में बनाये नहीं रखा गया है । अपितु इस वर्ष के प्रारम्भ से तो

निर्यात में काफी अधिक कमी हो गई दिखाई देती है। एक विवरण जिस में सन् १९५१ से १९५३ तक किये गये कोयले के मासिक निर्यात के आंकड़े दिये गये हैं, तथा एक दूसरा विवरण जिस में सन् १९४६ से १९५३ तक के वर्षों में विभिन्न गन्तव्य स्थानों को निर्यात किये गये कोयले के आंकड़े दिये गये हैं, सदन पटल पर रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]

(ग) विदेशी मंडियों में अपने कोयले के मूल्यों को प्रतियोगित बनाने के उद्देश्य से कोयले के निर्यात पर लिये जाने वाले वाणिज्यिक शुल्कों को ११-५-५३ से हटा दिया गया है। निर्यात करने की प्रणाली को इसलिये सरल बनाया गया है ताकि निर्यातक विदेशी बाजारों की खोज करने, अपने माल के खरीदारों को तलाश करने तथा उस के पश्चात् कोयला आयुक्त से निर्यात की अनुमति लेने के लिये स्वतन्त्र रहें।

(घ) कोई १०·९३ लाख टन के लगभग।

(ङ) सन् १९५२ की तत्स्थानी अवधि के आंकड़े १९·१४ लाख टन थे।

श्री के० पी० सिन्हा : किन देशों को हमारा कोयला निर्यात किया जाता है, और इन में कमी हो जाने के कारण राजस्व की कितनी हानि हुई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : कमी होने के कई कारण हैं। सन् १९५१ तथा १९५२ में जो निर्यात हुए थे वह असाधारण कारणों तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हुए थे। यूरोप और संयुक्त राज्य ब्रिटेन में कोयले की कमी थी, दक्षिणी अफ्रीका में आन्तरिक यातायात की कठिनाइयां थीं, आस्ट्रेलिया में उत्पादन नियंत्रित था और कोरिया के युद्ध के कारण जहाजों की स्थिति भी बहुत विषम थी। गत कुछ महीनों से आस्ट्रेलिया ने अपना उत्पादन बढ़ा लिया है। वह न केवल आत्म-निर्भर ही हो गया है अपितु वह विदेशी मंडियों में प्रतियोगिता भी कर रहा है। यही दशा दक्षिणी अफ्रीका की है। संयुक्त राष्ट्र को किये जाने वाले निर्यात बन्द हो गये हैं। दूसरे शब्दों में हमारी सामान्य मंडियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। वह विशेष मंडियां जिन को हम ने असाधारण कारणों से प्राप्त किया था, अब समाप्त हो गई हैं। कुछ भी हो, सरकार इस मामले पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रही है और हम यह ज्ञात करने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम निर्यातों में होती जा रही उत्तरोत्तर कमी को किस प्रकार रोक सकते हैं और किस प्रकार हम अपने आप को अधिकाधिक पुनर्वासित कर सकते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या यह सच है कि इस वर्ष के गत पांच महीनों में कोयले का उत्पादन ३०,००० टन प्रति मास कम हो गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ठीक आंकड़े तो दे नहीं सकता हूं, परन्तु कोयले के उत्पादन में कुछ थोड़ी सी कमी हो गई है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार को संतोष है कि भारत की संभावित प्रदाय के लिये विदेशी मंडियों पर कब्जा करने से पूर्व देश की आन्तरिक मंडी और विशेषकर हमारी अर्थ व्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र की मांगों को पूर्णतया पूरा करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध कर दिये गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है कोई भी कठिनाई नहीं है। जो कठिनाई हुई है वह केवल यातायात के सम्बन्ध में ही हुई है और रेल मंत्रालय इस कार्य के लिये अधिक से अधिक माल डिब्बों को उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। जैसे जैसे डब्बों की स्थिति म

सुधार होता जायेगा देश के विभिन्न उद्योगों को कोयला प्रदान करने की स्थिति में भी सुधार होगा ।

डा० एम० एम० दास : क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने पश्चिमी बंगाल में रानीगंज तथा बिहार में झरिया क्षेत्र में नई कोयला खानों के खोले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरा निवेदन है कि यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्पादन की परिमात्रा के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि उत्तरी बिहार में वहां के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोयले की प्रदाय बहुत कम तथा अपर्याप्त है, तथा यदि ऐसा है, तो क्या सरकार प्रदाय स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी: कुछ विशेष यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण उत्तरी बिहार की कोयला प्रदाय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है । उत्तरी बिहार को पर्याप्त परिमात्रा भेजे जाने के लिये मोकामा घाट पर एक पुल बनाया जाना आवश्यक है । यह एक दीर्घकालीन योजना है और योजना आयोग ने भी इस के लिये उपबन्ध किया है । उसे पूरा होने में कोई चार पांच वर्ष लगेंगे । उस के बन कर तैयार न हो सकने तक इन कठिनाइयों को दूर करना बहुत कठिन है । परन्तु स्थिति को सुधारने के लिये अधिकतम प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : निर्यात किये जाने वाले कोयले की परिमात्रा में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप कितनी बेकारी फैली है ?

श्री के० सी० रेड्डी: अन्य देशों को निर्यात किये जाने वाले कोयले की परिमात्रा में कमी हो जाने के फलस्वरूप कितनी बेकारी फैली है यह बताने में मैं असमर्थ हूं । कुछ बेकारी फैली अवश्य है और हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि उस के कारणों की जांच की जा रही है ।

सड़क कूटने के इंजन तथा भाप से चलने वाले सड़क कूटने के इंजन

*४९१. **श्री हेडा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में बनाये गये सड़क कूटने के इंजनों तथा भाप से चलने वाले सड़क कूटने के इंजनों की संख्या क्या है; तथा

(ख) क्या इस उद्योग के लिये क्षेत्र है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भाप से चलने वाले सड़क कूटने के इंजिन—सन् १९५१-५२ में १३१ और १९५२-५३ में ७७ ।

डीज़ल तेल से चलने वाले सड़क कूटने के इंजिन —सन् १९५१-५२ में १३३ और १९५२-५३ में कोई नहीं ।

(ख) सड़क कूटने के इंजनों के निर्माण के लिये इस देश में निस्सन्देह क्षेत्र है ।

श्री हेडा : क्या इस अवधि में कोई आयात किये गये, और यदि हां, तो कितने ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना अपेक्षित है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत से बाहर के देशों से इन सड़क कूटने वाले इंजिनों की प्रदाय के लिये कोई संभूतिपत्र प्राप्त हुए थे, और यदि हां तो किन देशों से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री टी० के० चौधरी : इन सड़क कूटने वाले इंजनों के वास्तव में निर्माता कौन हैं और क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि सभी भाग इस देश में बनाये जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूं कि भाप से चलने वाले सड़क कूटने के इंजन जमशेदपुर में मैसर्स मार्शल एंड सन्स की सहायता से टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा बनाये जाते हैं। डीजल तेल से चलने वाले सड़क कूटने के इंजन इंगलैंड की एवलिंग बार फोर्ड्स कम्पनी की सहायता से जैसप द्वारा बनाये जाते हैं ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या सभी भाग इस देश में बनाये जा रहे हैं, मैं यह बतलाने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या सभी भाग इसी देश में बनाये जाते हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : कितने टन-भार तक के इंजन वह यहां स्थानीय तौर पर बनाते हैं ? देश में बनाया गया माल आयात किये गये माल की तुलना में कैसा होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास प्रविधिक सूचना नहीं है, जहां तक लागत का प्रश्न है, वह तुलना में अच्छे बैठते हैं ।

श्री हेडा : क्या कोई अन्य निर्माता भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे किसी का पता नहीं है ।

पैनिसिलीन फैक्टरी

*४९२. **श्री हेडा :** (क) क्या उत्पादन मंत्री पिम्परी में पैनिसिलीन फैक्टरी स्थापित किये जाने के कार्य में हुई प्रगति को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या संयंत्र को स्थापित कर दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उस के स्थापित किये जाने की आशा है ?

(घ) फैक्टरी अपना उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ करेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) पिम्परी में पैनिसिलीन फैक्टरी के भवन निर्माण कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है । वर्कशाप, बौयलर घर, भांडार तथा भोजनालय की इमारतें प्रायः बन चुकी हैं, सेवा सम्बन्धी भवन के अगस्त के अन्त तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है, निष्कर्षण भवन के अक्तूबर के अन्त तक तथा शेष इमारतों के दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है ।

फैक्टरी के लिये १४ महत्वपूर्ण प्रविधिक पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा चुका है । इन में से चार ने विदेशों में पैनिसिलीन शिल्प विज्ञान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अब वह भारत में हैं । सात योरुप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । शेष तीन भारत में हैं और नवम्बर, १९५३ के प्रारम्भ में उन के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों को जाने की प्रत्याशा है ।

जहां तक संयंत्र तथा उपकरणों का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता कोश ने अपने ८,५०,००० डालरों की वाग्बद्धता में से ७,६३,००० डालर मूल्य के उपकरणों का व्यादेश दे दिया है । ५०,०२,००० डालर मूल्य के उपकरण भेजे जा चुके हैं, और उन का अधिकांश भाग भारत में आ भी गया है । इस के अतिरिक्त ७,००,००० रुपये मूल्य के उपकरणों के लिये सरकार द्वारा व्यादेश दिये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मार्च, १९५४ के अन्त तक ।

(घ) आशा की जाती है कि फैक्टरी अप्रैल, १९५४ तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देगी ।

श्री हेडा : मूल कार्यक्रम में कितनी देरी हुई है और उस के क्या कारण हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : अन्त में देरी कोई चार महीने की होगी । फैक्टरी द्वारा इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा थी । परन्तु अब यह प्रत्याशा की जाती है कि वह अप्रैल, १९५४ के अन्त तक उत्पादन कार्य करने लगेगी । सब से बड़ी कठिनाई संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता कोश द्वारा संयंत्र का व्यादेश दिये जाने तथा संयंत्र तथा मशीनरी के आने में हुई ।

श्री हेडा : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि सपूर्ण संयंत्र तथा मशीनरी का व्यादेश नहीं दिया जा सका था । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार अब भी यह आशा करती है कि फैक्टरी अगले वर्ष के अप्रैल मास तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां । जैसा कि मैं ने पहले ही निवेदन कर दिया है, हमें आशा है कि फैक्टरी अप्रैल, १९५४ के अन्त तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देगी । संयंत्र तथा मशीनरी का अधिकांश भाग अब आ रहा है, और समस्त संयंत्र तथा मशीनरी इस वर्ष के अन्त तक आ जाने की हमें आशा है ।

सेठ गोविन्द दास : इस फैक्टरी में प्रति वर्ष कितना उत्पादन होने की आशा है, और एक बार उत्पादन कार्य के प्रारम्भ हो जाने पर क्या विदेशों से पैनिसिलीन आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस फैक्टरी से कोई ७,५०,००० मेंगा एकक प्रतिमास बनाने की आशा की जाती है, परन्तु विचार है कि प्रारम्भ में ४,००,००० मैगा एकक प्रति मास बनाया जाय ।

यह तो मैं बता नहीं सकता कि फैक्टरी द्वारा उत्पादन कार्य प्रारम्भ किये जाने पर हम पूर्णतया आत्मनिर्भर हो सकेंगे । जहां तक पैनिसिलीन की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है हमारे पास अपनी आवश्यकता से कुछ थोड़ी सी कमी रहेगी ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि बनाई जाने वाली फैक्टरी पैनिसिलीन को मूल रूप में तैयार नहीं करेगी, अपितु विदेशों से बड़े परिमाण में प्राप्त हुई पैनिसिलीन को स्वच्छ कर के बोतलों में भरेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं तो केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रस्थापित फैक्टरी में पैनिसिलीन बनाई जाने को है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि हमें क्या क्या वस्तुयें आयात करनी पड़ेंगी और किन किन को यहां बनायेंगे—मेरा आशय संघटकों से है— मुझे खेद है कि यह एक बहुत ही प्रविधिक प्रकार का मामला है और जिस का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आज कल विदेशी पैनिसिलीन के जो चालू मूल्य हैं उन के मुकाबिले में इस के मूल्य क्या होंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय मूल्यों का प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होता है । फैक्टरी द्वारा उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने के बाद उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए हमें लागत फैलानी पड़ेगी ।

श्री गिडवानी : फैक्टरी के निर्माण में देरी हो जाने के कारण क्या निर्माण कार्य की लागत भी बढ़ जायेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे विचार से कोई विशेष देरी नहीं हुई है और निर्माण व्यय में कोई वृद्धि होने की आशा नहीं है । जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं फैक्टरी द्वारा हम दिसम्बर के अन्त से उत्पादन कार्य प्रारम्भ किये जाने की प्रत्याशा थी, परन्तु अब अगले वर्ष के अप्रैल मास के अन्त तक उत्पादन कार्य के प्रारम्भ हो जाने की प्रत्याशा है ।

श्री नानादास : जब कि अगले वर्ष के अप्रैल मास के अन्त में फैक्टरी द्वारा उत्पादन किया जाने लगेगा तो प्रारम्भिक उत्पादन कितना होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं ने आंकड़े पहले ही दे दिये हैं । प्रारम्भिक उत्पादन के ४,००,००० मैगा एकक प्रति मास होने की प्रत्याशा है ।

श्री हेडा : क्या यह सच नहीं है इस समय तो विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में आयात की गई पैनिसिलीन को परिष्कृत करने तथा उसे बोतलों में भरने का कार्य किया जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : अधिक मात्रा में आयात की गई पैनिसिलीन को बोतलों में भरने का कार्य बम्बई में हो रहा है, वहां इसी कार्य के लिये हमारा एक एकक है । परन्तु फैक्टरी द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने पर हमारा एकक को भी पिम्परी ले जाने का विचार है ।

सस्ते सीमेंट के मकान

*४२३. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान २९ मई, १९५३ को बम्बई के अखबार में प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सरकार गृह निर्माण की कठिन समस्या को हल करने के लिये सस्ते मकान देने की योजना पर विचार कर रही है, प्रत्येक मकान की लागत केवल १,४०० रु० होगी तथा उस में तीन कमरे होंगे ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख)- मैं ने अखबार में प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री का वक्तव्य इस भाव से दिया गया पढ़ा है । यह सत्य है कि रुड़की के बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दो या तीन प्रयोगात्मक चूने आदि के मकान बहुत कम लागत पर बनाये हैं, यद्यपि यह लागत १,४०० रु० नहीं है । ये मकान अभी प्रयोगात्मक अवस्था में ही हैं और उन को विस्तृत रूप में अपनाने की उपयोग्यता के सम्बन्ध में निर्णय करने से पूर्व उन की कई प्रकार से परीक्षा करनी है । ये परीक्षायें अब की जा रही हैं । यदि इस में वे खरे उतरते हैं, तो इस के पश्चात् इस योजना को वे इन प्रयोगात्मक मकानों की विशिष्टताओं को अपनाना, उन विभिन्न सम्बन्धित चावों के ऊपर निर्भर करेगा जो मकानों की व्यवस्था करते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : इस प्रयोग में अब तक सरकार कितना रुपया खर्च कर चुकी है और कितना और करने वाली है और इस प्रयोग का नतीजा कितने दिन के अन्दर निकलने की उम्मीद है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस पर अभी तक कोई खास खर्च नहीं हुआ, सिर्फ तजुर्बे के तौर पर कुछ मकान बनाये गये हैं और उस की ठीक तादाद तो मिनिस्ट्री आफ नेचुरल रिसोर्सेज एन्ड साइन्टिफिक रिसर्च के पास होगी, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उन पर ज्यादा खर्चा नहीं हुआ ।

सेठ गोविन्द दास : इस का नतीजा कब तक निकल जाने की उम्मीद है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : यह तो एक तजुर्बे का काम है। यह कहना मुश्किल है कि इस का नतीजा कितने दिनों में निकलेगा ? एक साइन्टिफिक तजुर्बा है । अर्से तक जारी रहता है और इसे जारी रहना चाहिये ।

श्री गिडवानी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले सामान भारत में उपलब्ध होंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में बहुत अधिक बातचीत हो रही है। अगली पंक्ति के माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, श्रीमान्, सामान भारत में उपलब्ध होंगे ।

श्री हेडा : क्या हुकूमत का ध्यान हैदराबाद में जिस तरीके के मकान बनाये गये थे, उस ओर गया है और उन पर आने वाली लागत और एन० आर० एस० आर० द्वारा बनाये जाने वाले मकानों पर आने वाली लागत, और दोनों की मजबूती में अगर मुकाबिला किया जाय, तो क्या नतीजा निकलता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : गवर्नमेंट का एटेंशन उस तरफ भी दिलाया गया है, जो खर्च हैदराबाद के तरीके से बनाने में आता है वह बहुत ज्यादा होता है, बमुकाबले इस के जो एन० आर० एस० आर० मिनिस्ट्री की तरफ से रुड़की में बनाये गये हैं । मजबूती के मुताल्लिक अभी तजुर्बा हो रहा है, मगर मैं समझता हूं कि हैदराबाद में जिस किस्म के मकान बनाये गये हैं उन का इस से मुकाबला नहीं हो सकता क्योंकि इन के बनाने का तरीका बिल्कुल मुखतलिफ़ है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि इन मकानों का क्षेत्रफल और रहने की जगह तथा प्रति मकान के लिये दी जाने वाली जगह में रहने वालों की संख्या क्या होगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, यह निर्माण का तरीका है और भूमि या क्षेत्र प्रत्येक प्रकार के मकानों के सम्बन्ध में विशेष आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। प्राथमिक विचार यह है कि वे गांवों के प्रायमरी स्कूलों में या अन्य सामुदायिक कार्यों में लगा दिये जायें ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मिनिस्टर साहब को मालूम है कि जब यहां पर इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एक्ज़ीबीशन हुई थी, उस में हैदराबाद के इंजीनियर्स द्वारा जो मकान बनायें गये थे, उन को सब से ज़्यादा पसन्द किया गया था, और उन पर लागत भी कम आती थी और दूसरे हैदराबाद स्टाइल के बने मकान और रुड़की में जो मकान बनाये गये हैं उन दोनों की कीमतों में क्या फर्क है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा हैदराबाद इंजीनियरों द्वारा बनाये गये मकानों के सम्बन्ध में किये गये विचार के बारे में मैं कोई भी उत्तर देने का जोखिम नहीं उठा सकता । किन्तु लागत के प्रश्न पर मैं कह सकता हूं कि हैदराबाद में जो मकान बनाये गये हैं, उन का मूल्य इस प्रकार के मकानों से दुगने से भी अधिक है। किन्तु मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह पूर्णतया एक दूसरी तरह का निर्माण है । हैदराबाद वाले नमूने में दीवारें साधारण हैं और केवल छतें दूसरे डिज़ाइन की हैं, जब कि इस प्रकार के चूने आदि के मकानों में, दीवारें तथा छतें वास्तव में एक साथ ही सीमेंट के आकार में एक वक्ता सी लिये हुए हैं, और लागत तत्व की इन दो प्रकार के निर्माणों के बीच तुलना नहीं की जा सकती ।

अस्थायी निवास आज्ञापत्र से अधिक काल तक ठहरने के लिये लंका में अपराधी ठहराये जाने वाले भारतीय

*४९५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक लंका के उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने भारतीय अपने अस्थायी निवास आज्ञापत्र का, काल व्यतीत हो जाने के कारण अपराधी ठहराये गये हैं ; तथा

(ख) क्या उन में से किसी ने लंका के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में अपील की है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) एक ।

(ख) हां, एक अपील प्रिवी कौंसिल में की गई थी जो अस्वीकृत हो गई ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि क्या भारतीय और पाकिस्तानी के अतिरिक्त अन्य किसी नागरिक भी लंका के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराये गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, जैसा मैं ने बताया है, वहां एक केवल पर अभियोग चलाया गया है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने लंका के उन भारतीय को किसी प्रकार की वित्तीय या विधिक सहायता प्रस्तुत की है या प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : आवश्यकता के मामले में निश्चय ही हम वित्तीय सहायता देते हैं ।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता कि क्या भारत सरकार को लंका में रहने वाले भारतीयों द्वारा एक स्मरण-पत्र, बिना नागरिकता के अधिकार प्राप्त किये भारत वापस लौट आने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा प्रकट करने तथा सरकार से उन के साथ शरणार्थियों की भांति व्यवहार करने एवं पुनर्वासित करने का निवेदन करते हुए, प्राप्त हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुरेश चन्द्र :

श्री बूबराघसामी : जिन लोगों पर अभियोग चलाया गया था उन के पेशे क्या थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने डा० सुरेश चन्द्र को बुलाया है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान, कि क्या भारतीय नागरिकों को विदेश से पुनः स्वदेश लौटान में सहायता देना और उन्हें वित्तीय सहायता भी देने की सरकार की नीति है ?

श्री अनिल के० चन्दा : उन मामलों में जहां आवश्यकता होती है निश्चय ही हम पुनः स्वदेश लौटाने में सहायता करते हैं ।

श्री बो० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने लंका के अभारतीय नागरिकों के पुनर्वास के लिये जो पुनः स्वदेश लौट आये हैं, केन्द्र से कुछ सहायता मांगी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

ताड़ का तेल

*४९५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ताड़ के तेल के लिये अलग आयात लाइसेंस कब स्वीकृत किये गये थे;

(ख) क्या इस नवीन परिवर्तन के कारण इस तेल के आयात शुल्क में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ग) यदि ऐसा है, तो किये गये परिवर्तन;

(घ) क्या इस तेल के निर्माण के लिये कोई स्वदेशी साधन भी हैं; तथा

(ङ) यदि ऐसा है, तो इस के तैयार किये जाने वाले स्थानों के नाम ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). ब्रिटिश उपनिवेश के अतिरिक्त अन्य किसी देश में तैयार किये गये और साथ ही ताड़ के तेल पर से मूल्यानुसार १० प्रतिशत आयात शुल्क के कम कर देने तथा ब्रिटिश उपनिवेश में तैयार किये गये ताड़ के तेल पर से सम्पूर्ण शुल्क हटा कर अनुमति नियंत्रण के अन्तर्गत १२ मई, १९५३ से लाया गया था ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं देश में उपभोग की गई मात्रा और क्या सरकार देश में ताड़ का तेल तैयार करने का प्रयत्न कर रही है, यह जान सकता हूं श्रीमान् ?

श्री करमरकर : मुझे इस समय देश में तैयार किये गये ताड़ के तेल के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं ताड़ के तेल के आयात पर से खुला साधारण लाइसेंस हटा देने का कारण जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, हमारे साबुन उद्योग के लिये गाढ़े तेल की आवश्यकता लगभग ३०,००० टन थी । इस में से लगभग १५,००० टन की पूर्ति 'महुआ' के तेल से होती थी, और जब हम ने इस पर से खुला साधारण लाइसेंस हटा कर इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिस का तात्पर्य है कि ताड़ के तेल का अतिरेक आयात होने से महुआ तेल उद्योग पर कोई प्रभाव न पड़ सके ।

श्री दाभी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस ताड़ के तेल का क्या विशेष उपयोग किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : इस का साबुन के उद्योग में प्रयोग होता है ।

श्री नानादास : इस ताड़ के तेल के तटकर मूल्य की तुलना में भारत में मूंगफली के तेल का मूल्य क्या है ?

श्री करमरकर : ताड़ के तेल का घटा हुआ आयात शुल्क सहित तटकर मूल्य नारियल के तेल की कीमत से कम होगा ।

श्री नानादास : मूंगफली के तेल के विषय में ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । मैं कह सकता हूं कि आयात शुल्क में कमी ताड़ के तेल के आयात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से की गई है ।

कल्याण शरणार्थी डेरों में क्षयरोगी

*४९६. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कल्याण शरणार्थी कैम्प अस्पताल में क्षय रोगियों की संख्या, डेरों में क्षय रोग के अत्यधिक आपात के कारण, अधिक है;

(ख) क्या सरकार को यह भी विदित है कि कैम्प अस्पताल को एक्स-रे यन्त्र तथा अन्य आवश्यक सामान जो ऐसे रोगियों के उपचार के लिये आवश्यक होते हैं, नहीं दिये गये हैं;

(ग) क्या पुनर्वास मंत्री ने फरवरी, १९५३ को अपनी बम्बई की यात्रा में, राष्ट्रीय

अस्पताल के उद्घाटन उत्सव करते समय कल्याण शरणार्थी कैम्प अस्पताल में क्षय रोगियों के उपचार के लिये ५०,००० रु० के अनुदान की घोषणा की थी; तथा

(घ) क्या इस कार्य के लिये बम्बई की राज्य सरकार को धनराशि भेजी गई थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). हां ।

(घ) ५०,००० रु० की राशि पिछले मार्च में बम्बई में दरिद्र विस्थापित क्षय रोगियों के खाने तथा दवाइयों आदि पर व्यय करने के लिये स्वीकृत हुई थी । राज्य सरकार ने इस राशि का उपयोग नहीं किया किन्तु कुछ एक्स-रे तथा प्रयोगशाला के लिये अन्य सामान क्रय करने की एक वैकल्पिक योजना सम्मुख रखी । वह योजना अब स्वीकृत हो गई है और इस कार्य के लिये आवश्यक धन राशि बम्बई सरकार के निर्णय पर रखी जा रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि यह धन राशि एक्स-रे विभाग के सभी सामान को क्रय करने के लिये पूरी हो जायेगी ?

श्री ए० पी० जैन : हां ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि ऐसे एक्स-रे विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा चलाये जाने वाली अन्य किन्हीं शरणार्थी बस्तियों में भी खोले गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

आल इन्डिया रेडियो के कलाकारों के लिये आवाज परीक्षा

*४९७. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवाज परीक्षा प्रणाली के लागू करने से उन आल इण्डिया रेडियो के कलाकारों की संख्या क्या है जो इस परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण अलग कर दिये गये थे ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार संगीतज्ञों की कठिनाइयों की जांच करने पर विचार कर रही है ?

(ग) क्या जूरियों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन किया गया है ।

(घ) उन जूरियों की योग्यतायें क्या हैं जिन्हों ने संगीत कलाकारों का चुनाव किया था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) हां, श्रीमान्, सरकार सदैव कठिनाइयों को दूर करने तथा उन की न्यायोचित शिकायतों को दूर करने के लिये ये आवश्यक कार्यवाहियां करने की इच्छुक रहती है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) आवाज परीक्षा समिति में भारतीय संगीत क्षेत्र के छात्रवृत्ति पाने वाले, दक्ष तथा ख्याति प्राप्त लोग हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो राग रागनियों के ज्ञाता अब ए० आई० आर० में कार्य कर रहे हैं उन से कमेटी के सब सदस्य इस कला के ज्यादा प्रवीण हैं ?

डा० केसकर : अगर इसे हम न समझते तो उन को इस काम के लिये नियुक्त न करते ।

श्री रघुरामैया : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ लोग इस आवाज परीक्षा से मुक्त भी कर दिये गये हैं और क्या कोई दूसरी जूरी भी है जो इस प्रश्न पर विचार करती है और यह तय करती है कि कौन से

लोग मुक्त किये जायें और कौन से नहीं तथा वे कारण क्या हैं जिन से कुछ लोग मुक्त कर दिये जाते हैं और कुछ नहीं ?

डा० केसकर : इस पर बड़ी विस्तृत मत विभिन्नता चल रही है । यह प्रणाली आल इंडिया रेडियो द्वारा संगीतज्ञों की योग्यता मापने में सहायता के लिये आरम्भ की गई है । यदि सभी विशदताओं पर प्रश्न के उत्तर के रूप में वाद विवाद किया जायगा तो इस में बहुत समय लगेगा । यदि सदन चाहता है, तो मैं मण्डली को इस कार्य में सहायता करने के लिये बनाये गये नियम तथा अनियम सदन पटल पर रख सकता हूं ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि यह असन्तोष कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा आरम्भ किया गया था, विशेष कर उन व्यक्तियों द्वारा जिन को अपने संगीत ज्ञान पर विश्वास न था ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य के कथन में कुछ तथ्य अवश्य है । मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अत्यधिक प्रचार तथा अखबारों में शोर गुल मचाने पर भी उन लोगों की संख्या बहुत ही कम थी जो यह कहते कि उन्हें कुछ शिकायत थी ।

श्री बी एस० मूर्ति: क्या मैं जान सकता हूं कि इन लोगों में से किसी को कुछ छटें दी गई हैं, और यदि ऐसा है, तो श्रीमान्, उन्हें किन कारणों पर ये छटें दी गई हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह वही प्रश्न नहीं है, जो रखा गया था ?

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, इस का उत्तर नहीं दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने जो कहा वह यह था कि नियम तथा अनियम बनाये जा चुके हैं और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो वह उन्हें सदन पटल पर रख देंगे, जिस से माननीय सदस्यों को जो कुछ किया जा रहा है उस की जानकारी हो सके । अब हम उस पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं ।

श्री चट्टोपाध्याय : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि प्रो० रतनजेकर के माइक के सामने बैठने के पूर्व उन की आवाज की परीक्षा कौन करता है ?

डा० केसकर : मैं सदन में उन व्यक्तियों के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देना नहीं चाहता जो यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कठिनाई किस प्रकार प्रारम्भ हुई क्योंकि पहले आल इंडिया रेडियो तथा संगीतज्ञों में पूर्ण मित्रता थी ।

डा० केसकर : अब भी आल इण्डिया रेडियो तथा संगीतज्ञों में पूरी मित्रता है ।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि तामिलनाद में कुछ प्रवर तथा सुप्रसिद्ध कलाकारों से आल इंडिया रेडियो की मद्रास तथा त्रिचनापली स्टेशनों पर अपनी आवाज परीक्षा कराने के लिये कहा गया था ?

डा० केसकर : मैं उन प्रसिद्ध संगीतज्ञों के नाम जानने का प्रयत्न करूंगा जिन का निर्देश अभी हमारे माननीय मित्र ने किया है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन जूरियों में से कितने जूरी आल इंडिया रेडियो के स्टेशन पर नियुक्त हैं और उन का नियुक्ति-काल क्या है ?

डा० केसकर : श्रीमान, वे स्थायी पद पर हैं ।

श्री बूबर घसामी : श्रीमान्, क्या मैं उन स्थानों की संख्या तथा उन के नाम जहां जूरी मिलते हैं, जान सकता हूं ?

डा० केसकर : सम्पूर्ण भारत में ।

डीजल इंजन

*४९८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डीज़ल इंजनों का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या सरकार ने डीज़ल इंजनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये हैं; तथा

(ग) क्या ये प्रतिबन्ध उन के पुर्ज़ों के आयात पर भी लगाये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) इस समय भविष्य की नीति के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया जा सकता । यह समय की प्रस्तुत परिस्थितियों पर निर्भर है ।

विवरण

डीज़ल इंजन के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

१९४७-४८	७७२ रु०
१९४८-४९	१,१५८ रु०
१९४९-५०	२,५५४ रु०
१९५०-५१	५,५३६ रु०
१९५१-५२	७,२६३ रु०
१९५२-५३	२,८०९ रु०
कुल	२०,०९२ रु०

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस की अच्छी प्रकार के उत्पादन पर नियंत्रण के लिये कोई योजना अपनाई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : देश में किसी भी उत्पादन के सम्बन्ध में जिसे कोई विशेष प्रतिरक्षा दी जाती है सरकार स्वयं संतोष करती है कि इस की किस्म अच्छी रहे । अन्यथा हम आयात की अनुज्ञा देते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री द्वारा ६ अगस्त को दिये गये उत्तर से पता चलता है कि १९५१-५२ में उत्पादित डी इंज़नों की संख्या ७२०० थी और १९५२-५३ में यह लगभग २८०० थी । क्या मैं डीज़ल इंजनों के उत्पादन में कमी का विशेष कारण जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में यह उत्पादन की उत्तमता घटने का प्रश्न नहीं है । संख्या में कमी का आधार संभरण और मांग के नियम पर निर्भर है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि डीज़ल इंजनों के उत्पादन में कमी के कारण श्रम पर कैसे प्रभाव पड़ा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जिस सीमा तक उत्पादन में कमी है उसी हद तक नौकर रखे गये श्रम में कमी है ।

डा० जयसूर्य : भाग (ग) के सम्बन्ध में क्या यह तथ्य है कि पुर्जों और अलग अलग भागों के आयात का निषेध किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् पुर्जों का निषेध नहीं है ।

डा० जयसूर्य : मैं एक बार फिर यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या उन का निषेध किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् जहां तक मुझे ज्ञात है उन का निषेध नहीं किया गया ।

सेठ गोविन्द दास : किस समय तक यह प्रत्याशा की जाती है कि भारत जहां तक डीज़ल इंजनों के उत्पादन का प्रश्न है आत्मनिर्भर हो जायेगा और उन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किय जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता उत्पादन के अनुमान और मांग के अनुमान से उत्पन्न होती है । यदि मांग बढ़ती जाय तो इस का निर्भर मांग के साथ साथ चलने के प्रयास में है । मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं कर सकता ।

सेठ गोविन्द दास : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । डीज़ल इंजनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् कारखाने काम कर रहे हैं और संभवतः जितने कारखाने हमें चाहियें उन से अधिक हमारे पास हैं । इस समय तक वे २५ अश्व शक्ति तक उत्पादन कर रहे हैं । वे अश्व शक्ति को बढ़ाने का और उत्पादन की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । सरकार की आयात पर नियंत्रण की नीति द्वारा उन्हें निरन्तर प्रोत्साहन दिया जाता रहा है ।

जुलाई-दिसम्बर १९५३ के आयात

*४९९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात की नई वस्तुयें क्या हैं अथवा जुलाई-दिसम्बर १९५३ की कालावधि के लिये किन वस्तुओं की नई आयात का प्रस्ताव किया गया है ?

(ख) उक्त कालावधि वस्तुओं के मूल्यों के उतार चढ़ाव से हमारी आयात की नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]

(ख) आयात अम्यंशों के निर्धारण में जहां संभव हो मूल्यों के उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाता है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या नई वस्तुओं की नई आयात के लिये नई मांग उत्पन्न हो गई है और इस का अनुमान कैसे किया जाता है ?

श्री करमरकर : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी आयात नीति का आधार विभिन्न वस्तुओं की मांग और उपलब्धि पर निर्भर है । वर्तमान नीति का आधार विदेशी मुद्रा की वर्तमान उपलब्धि और वर्तमान मांगों पर आधारित है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जहां तक हमारे यहां पर बाहर से आयात का सम्बन्ध है, सिर्फ वैसी ही चीजें यहां मंगाई जायें जिन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता ?

श्री करमरकर : जी हां रखा जाता है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या जनवरी-जून तथा जुलाई-दिसम्बर की कालावधि के बीच आयात नीति में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ?

श्री करमरकर : परिवर्तन किये गये हैं । हम ने कुछ वस्तुओं की आयात को उदार बनाया है और कुछ नई वस्तुयें सम्मिलित की हैं । माननीय सदस्य इन्हें सदन पटल पर रखे विवरण में देख सकते हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

शस्त्रास्त्र कारखाने के श्रमिक का बन्दी किया जाना

श्री विट्ठल राव : (क) क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि शस्त्रास्त्र कारखाना खमारिया का श्रमिक श्री राम प्रसाद जो २२ जुलाई १९५३ को कारखाने में लाठी चार्ज के पश्चात् बन्दी बनाया गया था ७ अगस्त १९५३ को मर गया है, जब वह जबलपुर केन्द्रीय जेल में कैदी था ?

(ख) उसकी मृत्यु का क्या कारण था और क्या जेल के डाक्टर ने उपयुक्त ध्यान दिया था ?

(ग) उस पर क्या अपराध करने का आरोप है ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि यद्यपि उसकी जमानत की स्वीकृति दी गई थी परन्तु उसे एक विशष वैध आपत्ति के कारण मुक्त नहीं किया गया ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जब कारखाने में श्रमिकों ने उपद्रव किया तो श्री राम प्रसाद को बन्दी बनाया गया। वह जेल में ७ अगस्त को मर गया।

(ख) दिल की बीमारी (अंजीना पैक्टोरिस) के कारण हृदय की गति रुक जाने से। मृत का जेल के चिकित्सा प्राधिकारियों ने उपयुक्त चिकित्सा सम्बन्धी ध्यान रखा।

(ग) इस पर भारतीय दण्ड विधान की धारा ३९५, ३३२, १४७, ४५२ तथा ३३६ के आधीन खमारिया शस्त्रास्त्र कारखाने में गड़बड़ के सम्बन्ध में अपराधों के आरोप थे।

(घ) जी नहीं। सैशन जज ने ६ अगस्त को ५०० रुपये की जमानत और समान राशि की प्रतिभूति की अनुज्ञा दी थी परन्तु क्योंकि कोई प्रतिभूति नहीं मिली इस कारण उसे मुक्त नहीं किया जा सका।

श्री विट्ठल राव: श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या मृत के सम्बन्धियों को उसका मृत शरीर दिया गया था ?

श्री सतीश चन्द्र. हां श्रीमान मृत शरीर ८की प्रातः को उसकी विधवा को सौंपा गया था।

डा० जयसूर्य : क्या शव परीक्षा की गई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : सिविल सर्जन ने शव परीक्षा की थी और उसने भी निदान की पुष्टि की थी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या जब व्यक्ति मर गया तो ७ को मृत शरीर सम्बन्धियों को देने से इन्कार कर दिया गया था ?

श्री सतीश चन्द्र : उस समय मृत की पत्नी जबलपुर में नहीं थी। वह कटनी में थी और सेना के प्राधिकारियों ने उसे कटनी में खोजा उसे जबलपुर लाए और अगली प्रातः को उसे मृत शरीर दे दिया।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मंत्री ने अभी बताया है कि क्योंकि २२ के लगभग उपद्रव हुआ, व्यक्ति को बन्दी कर दिया गया। मैं जान सकता हूं कि क्या कोई उपद्रव और उसके कारण के सम्बन्ध में पक्षपात रहित जांच की गई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : उपद्रव २२ जुलाई को हुआ और उस तिथि के इन उपद्रवों के पश्चात स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारियां कीं और उसी ने विषय की पूछ ताछ की।

श्री पुन्नूस : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि मृत का भाई उसी स्थान पर था और कि प्राधिकारियों को यह तथ्य ज्ञात था कि वह वहां है और उसके होते हुए भी उसे बहुत देर से सूचना दी गई ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं। जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार कारखाने के प्राधिकारियों ने सम्बन्धियों को ढूंढने के लिये यथासंभव प्रयत्न किया। मृत के निवास गृह पर ताला लगा था। उन्हें बाद में पता लगा कि उसकी पत्नी कटनी में है, तब उसे जबलपुर लाया गया। वस्तुतः कुछ और व्यक्ति मृत की पत्नी की अनुपस्थिति में मृत शरीर को लेकर जलूस निकालना चाहते थे परन्तु पुलिस अधिकारियों ने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्री केलप्पन : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या उसे हृदय रोग जेल में ही हुआ था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): शव परीक्षा के पश्चात यह पता लगा कि उसे एंजीना पैक्टोरिस की बीमारी थी जो तुरन्त नहीं हो जाती। यह गम्भीर हृदय रोग है जो बहुत देर तक रहता है।

सेठ गोविन्द दास: इन दिनों में जबलपुर के नज़दीक जो खमारिया फैक्टरी के वाकयात हुए हैं उनके सम्बन्ध में क्या सरकार इस बात का विचार कर रही है कि केन्द्र से किसी को भेजकर पूरी बातों की जानकारी प्राप्त की जाए ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): कुछ वाक्यात जो खमारिया के हैं उनसे सवाल का ताल्लुक था। लेकिन कोई दूसरे वाक्यात जिनका मेरे दोस्त ज़िकर करते हैं उनकी देख-भाल के लिये अगर मुझे यहां से किसी को भेजने की ज़रूरत होगी तो मुझे कोई ताम्मुल नहीं होगा। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह जो झगड़ा फैक्टरी में हुआ तो यहां से इम्मीजियेट आर्डर भेजे गए कि डाक्टर और अस्पताल के बारे में पूरी तहक़ीक़ात की जाय कि वहां के हालात क्या हैं। डाइरैक्टर जनरल आर्डिनेंस को तार के ज़रिये इत्तला दी गई कि वह जबलपुर जा कर जांच करें। वे और दूसरे अफसर वहां गए और उन्होंने तहक़ीक़ात की। अगर और भी कुछ दिक्कत होगी तो मैं यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट तहकीक़ात करने में कभी ताम्मुल नहीं करेगी।

श्री नम्बियार: श्री मान मैं जान सकता हूं कि क्या वहां लाठी प्रहार किया गया और मृत उन व्यक्तियों में से था जिन्हे चोटें आईं थीं और क्या वह उन चोटों के कारण मर गया ?

श्री त्यागी: ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता और श्रीमान न ही सिवाए संसद् के वहां किसी ने ऐसा आरोप लगाया। मृत को लाठी प्रहार में कोई चोट नहीं आई थी। उसकी मृत्यु के एक दिन पूर्व उसे जमानत की स्वीकृति दी गई परन्तु वह इस का लाभ न उठा सका और कोई जमानत न मिली। ७ अभियुक्तों में से जिन्हें ज़मानत की स्वीकृति दी गई संम्भवतः तीन मुक्त किये गए जो ज़मानत दे सके थे। यह महानुभाव ज़मानत देने की प्रतीक्षा में था। इस बीच में उसे अचानक हृदय रोग का आक्रमण हुआ। उस पर लगभग एक ही घंटे की अवधि में तीन आक्रमण हुए। यह रोग का अचानक आक्रमण था।

डा० एन० बी० खरे : क्या आजकल जेलों में हार्ट डिज़ीज़ (हृदय रोग) बहुत कामन हो गयी है ?

श्री नम्बियार: इस तथ्य के कारण कि उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में कि वह लाठी प्रहार के फलस्वरूप हुई है अथवा हृदय रोग से विवाद है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय में पक्षपात रहित जांच करेगी ?

श्री त्यागी: मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिवाय माननीय सदस्य की बुद्धि के इस सम्बन्ध में कहीं कोई विवाद नहीं रहा।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि कार्य प्रबन्धक श्री मारगन के कारण जो समाचार प्राप्त करके सुपरिन्टेंडेंट को देता है कर्मचारियों की गलत बात बताई गई और सुपरिन्टेंडेंट द्वारा कर्मचारियों को दिया गया समाचार भी गलत था ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरी जानकारी के अनुसार घटना के तीन दिन पश्चात यह शिकायत कुछ व्यक्तियों ने की थी। कारखाना में उपद्रव के तुरन्त पश्चात यह विशेष आरोप नहीं सुना गया।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मैं सरकार से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह इस की पूछताछ करे ?

श्री त्यागी: यदि सभा इतनी इच्छुक है तो मैं अपने माननीय मित्र उपमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वयं जाकर विषय की जांच करें ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि वस्तुतः उपद्रव २२ को आरम्भ हुआ क्योंकि खमरिया के एक कर्मचारी श्री कामले की पत्नी की मृत्यु २० को प्राधिकारियों की उपेक्षा के कारण हुई थी ?

श्री सतीश चन्द्र: हमने यथासम्भव इस विषय में जांच की है । इस स्त्री ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया और तत्पश्चात् मर गई । यह प्राकृतिक मृत्यु थी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्योंकि यह आरोप अथवा संदेह था कि उस का उपयुक्त उपचार नहीं किया गया इस लिए डाक्टरों का एक बोर्ड---मुझे डाक्टरों के नाम याद नहीं---नियुक्त किया था ताकि वह विषय की जांच करें । उन्होंने जांच की और उन्हें पता लगा कि यह प्राकृतिक मृत्यु थी और कि उपयुक्त उपचार किया गया था ।

श्री त्यागी: तीन चिकित्सा प्राधिकारियों के बोर्ड ने जिसमें एक खमरिया का लैफ्टीनैंट-कालोनल, जबलपुर का एक कैप्टन और एक वरिष्ठ असैनिक चिकित्सा अधिकारी था, विषय की जांच की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कारखाने के हस्पताल में लगे हुये चिकित्सा अधिकारी किसी उपेक्षा के अपराधी नहीं हैं और कि उपयुक्त दवाइयां प्राप्य थीं और कि श्रमिक के अज्ञान के कारण श्रमिकों को यह ग़लत विचार दिया गया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उपेक्षा की है ।

श्री जोकीम आल्वा: क्या माननीय मंत्री मुझे यह बता सकते हैं कि शस्त्रास्त्र के कारखाने के इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है । क्या यह तथ्य है कि भारत के २० शस्त्रास्त्र के कारखानों में से ९ का प्रबन्ध अंग्रेज कर रहे हैं और बाकी का निपुण प्रबन्ध भारतीय कर रहे हैं ?

श्री त्यागी: मेरे लिये यह विश्लेषण करना कठिन है कि कारण क्या है । मैं इसकी जांच करने के लिये तयार हूं ।

सेठ गोविन्द दास: क्या यह बात सही नहीं है कि जहां तक खमरिया फैक्टरी का सम्बन्ध है वहां तक उसका प्रबन्ध ठीक नहीं है, इस प्रकार की अनेक बार सरकार के पास शिकायतें पहुंची हैं ?

श्री त्यागी: कोई इस प्रकार की शिकायत कि वहां का प्रबन्ध ठीक नहीं है सरकार के पास नहीं पहुंची है । अलबत्ता जो मज़दूर लोग वहां काम करते हैं, उनकी आये दिन हमेशा मांगें आया करती हैं और सरकार उन पर विचार करती है ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच है कि खमरिया फैक्टरी का कार्य बहुत संतोषजनक है बनिस्बत गन फैक्टरी के ?

श्री त्यागी: हां यह भी एक हद तक सच है हालांकि गन फैक्टरी के काम में कोई कमी है यह मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री राघवय्या: क्या हस्पतालों में लोगों की मृत्यु के पूर्व अथवा पश्चात् डाक्टरों का बोर्ड नियुक्त करने की सरकार की नीति है ?

श्री त्यागी: क्योंकि यह खुला आरोप लगाया गया था और कुछ हितार्थी दल इस के सम्बन्ध में प्रचार कर रहे थे हमने डाक्टर और प्रशासन के हित के लिए यह आवश्यक समझा कि बोर्ड नियुक्त किया जाए । यह विशेष मामला समझा गया था, डाक्टरों

का ऐसा बोर्ड नियुक्त करने का सामान्य अभ्यास नहीं।

सेठ गोविन्द दास: क्या यह बात सही नहीं है कि खमरिया फक्टरी में इन सब दिक्कतों का मुख्य कारण वहां की छंटनी है और क्या यह बात भी सही नहीं है कि वहां से जो लोग अलग किये जाते हैं उनको दूसरी फैक्टरियों में जगह रहते हुए भी नहीं लिया जाता और दूसरे नये आदमी भरती किए जाते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फैक्टरी में कोई छंटनी नहीं हुई। छंटनी जो कुछ हुई है वह डिपोज़ में हुई है। इस समय जो सवाल है वह फैक्टरी से ताल्लुक रखता है और डिपो से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

सेठ गोविन्द दास: जो फैक्टरी और डिपो वगैरह जबलपुर में हैं उनका एक दूसरे से सम्बन्ध रहता है और जब एक आदमी कहीं से हटाया जाता है तो क्या यह सच नहीं है कि दूसरे स्थान पर जगह होते हुए भी उसे नहीं लिया जाता ?

श्री सतीश चन्द्र: जो जगहें खाली होती हैं तो वह पहले उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो दूसरी जगह से अलग किये जाते हैं।

सेठ गोविन्द दास: मैं आप से कहता हूं कि यह बात बिलकुल ग़लत है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भवन रूपांकन के लिये अमरीकन विशेषज्ञ

*४८३. **चौ० रघुवीर सिंह:** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि उनका मंत्रालय भवन रूपांकन के अमरीकन विशेषज्ञ की सेवाओं को उपयोग में ला रहा है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वह कितनी देर तक भारत में रहेगा ?

(ग) सरकार उसकी सेवाओं पर कितना व्यय कर रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां, टैक्निकल कोआपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आधीन।

(ख) उसकी सेवाएं तीन वर्ष के लिये ली गई हैं।

(ग) भारत सरकार विशेषज्ञों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं दे रही और केवल उसके कर्तव्य पालन के लिये आवश्यक लक्कों सम्बन्धी तथा अन्य सहायता दे रही है।

शिमला प्रेस का फरीदाबाद ले जाना

*४८४. **चौ० रघुवीर सिंह:** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार ने शिमला प्रेस को फरीदाबाद लाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है

(ख) यदि ऐसा है तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) हां श्रीमान सरकार ने सरकारी प्रेस को फरीदाबाद लाने का निर्णय कर लिया है।

(ख) यह कार्य १९५४-५५ में पूर्ण होगा।

निर्यात व्यापार को बढ़ावा

*५००. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** विशेष तंत्र के मुख्य कार्यों को बतलाने की कृपा करेंगे जिसकी स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है, जो देश के निर्यात व्यापार को बढ़ाकर सरकार की निर्यात नीति को पूरी तरह लागू करने का प्रयत्न करेगा ?

(ख) अपनी निर्यात की मुख्य वस्तुओं के अतिरिक्त, हमारी कुटीर-उद्योग की वस्तुओं

के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) वे कौन से देश हैं, जहां हमारे उत्पादन को लोक प्रिय बनाने के लिये कार्यवाइयां की जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं को समझ कर औद्योगिक उत्पादन के निर्यात को बढ़ाना, समुद्र पार के बाजारों के साथ करार करने के लिये व्यापार की सहायता करना, और यथासंभव उन कठिनाइयों को दूर करना जो देश के निर्यात व्यापार को ठोस मार्ग पर विकसित होने में बाधक होती हैं।

(ख) कुटीर-उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिय की जाने वाली कार्यवाइयों में वित्तीय सहायता देकर क्रमबद्ध आधार पर उनके उत्पादन को बढ़ाना और आवश्यकतानुसार अंतराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, बाहर के बाजारों में प्रचार करना तथा कुटीर उद्योग की वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिये प्रदर्शनालयों और प्रदर्शन अलमारियों की स्थापना करना सम्मिलित है। कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को द्विपार्श्व-व्यापार-करारों में सम्मिलित करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ कर प्रायः सब देशों में प्रचार किया जाता है, जहां कि भारतीय वस्तुओं के विक्रय के लिये कुछ भी आशा दिखाई देती है।

बिनौलों का तेल

* ५०१. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला पूना द्वारा निकाले गए सीधे तरीके से बिनौलों के साफ न किये गये तेल को साफ करने के लिये एक नए उद्योग को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो यह कब कार्यान्वित होने वाला ह ?

(ग) वर्तमान देश की बिनौले की वार्षिक उत्पत्ति में से कितने प्रतिशत को तेल के उत्पादन के लिये प्रयोग म लाया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जबकि देश में अशुद्ध बिनौले के तेल को कुछ साफ किया जा रहा है, तो सदस्य द्वारा निर्देश किये गये विशेष तरीके को अभी तक वाणिज्यिक स्तर पर प्रयोग में नहीं लाया गया है, और ना ही इस समय ऐसा करने के लिये कोई विशेष योजना ह।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लगभग पांच प्रतिशत।

हीराकुड परियोजना

*५०४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हीराकुड बन्द परियोजना को चलाने के विषय में लोक लेखा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाइयां की गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : आपेक्षित जानकारी को धारण किये हुए विवरण पत्र सदन पटल पर रखा गया है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधीन सेवा की शर्तें

*५०५. **श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी** : क्या **सिंचाई त ा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधीन तृतीय श्रेणी की सब शिल्पिक सेवाओं के लिये भर्ती और सेवा की शर्तों के नियम बनाने पर विचार कर रही है ?

(ख) और यदि ऐसा है, तो उनके कब तक छपने की आशा है और कब तक उनकी प्रति सदन पटल पर रखी जायगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को तृतीय श्रेणी की शिल्पिक आसामियों के लिये भर्ती के नियम तैयार किये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उनके तैयार होने की आशा है। उनको यथासमय छपवाया जायगा और सदन पटल पर इनकी प्रति भी रखी जायगी।

हीराकुड बांध के प्राक्कलन

***५०६. श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हीराकुड बन्द योजना के विस्तृत प्राक्कलनों को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि उसके पास कोई भी प्राक्कलन-कर्ता नहीं थे ?

(ख) यदि ऐसा है, तो प्राक्कलन-कर्ताओं के न होने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना सम्बन्धी कुछ प्राक्कलन वास्तव में ही तयार किये थे, परन्तु वे आयोग द्वारा गुम हो गये थे ? और

(घ) यदि ऐसा है तो क्या अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्यवाई की ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां। विस्तृत प्राक्कलनों की तयारी और भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बीच पर्याप्त समय छूट गया, जिसके कारण ये हैं, एक तो प्राक्कलन-कर्ताओं तथा अन्य शिल्पिक योग्यता वाले व्यक्तियों की कमी, और दूसरे इस महत्वपूर्ण योजना के बिल्कुल प्रारम्भ में ही बहुत से कामों के लिये अनेक आवश्यक विस्तृत प्राक्कलनों की तय्यारी करना असाध्य काम था।

(ख) स्वतंत्रता के शीघ्र ही बाद अनेक इन्जीनियरी और दूसरी विकास योजनाओं के प्रारम्भ होने के कारण ऐसे शिल्पिक योग्यता वाले व्यक्तियों की मांग उनकी उपलब्धि से अधिक बढ़ गई थी।

(ग) जी हां। देश विभाजन के समय जबकि अभिलेख विभाजित किये जा रहे थे कुछ प्राक्कलन गुम हो गये थे, और ढूढने पर भी हाथ न लगे सके।

(घ) क्योंकि तत्सम्बन्धित व्यक्ति पाकिस्तान को प्रवर्जन कर चुके थे, अतः इस मामले में कोई कायवाई संभव नहीं थी।

कपड़ों के नये कारखाने

***५०७. श्री रघुवीर सहाय** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ और १९५२-५३ में कपड़ों के कितने नये कारखाने कपड़ा तयार करने लगे ?

(ख) इन कपड़ों के नवीन कारखानों को राज्यों के अनुसार कैसे बांटा गया है ?

(ग) कपड़ों के नवीन कारखानों को खोलने के बारे में सरकार की क्या नीति ह ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५१-५२ में १२ कारखाने और १९५२-५३ में ८ कारखाने।

(ख) सदन पटल पर विवरण पत्र रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]

(ग) जब तक कि सूत-कपड़ा-जांच समिति की जांच पड़ताल और उस पर सरकार का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सरकार केवल बुनने वाले कारखानों को स्थापित करने की ही अनुमति दे रही है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अधीनस्थ इंजिनियरों के संघ का बुलेटिन

*५०८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री अगस्त और दिसम्बर, १९५२ के महीनों में छपे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधीनस्थ इंजीनियर संघ बुलेटिन के सम्बन्ध में पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न नं० १३१५ के भाग (ख) के १५ अप्रैल, १९५३ को दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे ? तथा इन बुलेटिनों द्वारा प्रकट किये गये सी० पी० डब्ल्यू० डी० के विभाग अधिकारियों तथा सहायक इंजीनियरों के दुखों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं ने दुःखों पर विचार किया है और इस संघ के प्रतिनिधियों से भी मिल चुका हूं । परीक्षा से ऐसा पता चलता है कि कुछ दुख इस प्रकार के हैं कि उनका इलाज ही नहीं हो सकता । कुछ विपत्तियों को दूर कर दिया है, और जो कुछ बच गई हैं उन पर मैं अभी विचार कर रहा हूं ।

'काश्मीर का संघर्ष' नाम की फिल्म जो लंदन में दिखाई गई

*५०९. **श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का ध्यान 'काश्मीर का संघर्ष' नाम की डाकूमेंटरी ब्रिटिश फ़िल्म की ओर दिलाया गया है, जो लंदन में दिखाई जा रही है ?

(ख) क्या यह ठीक है कि यह फिल्म भारत के विरुद्ध भावनाएं फैला रही है ?

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस फिल्म का चलना समुद्र पार के भारतीयों और भारत के मित्रों के लिये क्रोध का कारण बन रहा है ?

(घ) भारत सरकार इस फिल्म के चलने को अवैध करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्य व्यवहार और विशेषकर टिप्पणी भारत-विरोधी है ।

(ग) जी हां ।

(घ) ज्योंही यह बात जानी गई कि लंदन में 'काश्मीर-का संघर्ष' नाम की फिल्म दिखाई जाने वाली थी, इस वर्ष फिर से लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग ने लंदन-नगर-परिषद् से इस फिल्म के प्रमाणीकरण को वापिस लेने की प्रार्थना की । लंदन-नगर-परिषद् ने जिस ने १९५१ में इस फिल्म का दिखाना अवैध घोषित किया था, और बाद में अवैधता को वापिस ले लिया था, हमारी प्राथना को स्वीकार नहीं किया ।

मलाया में भारतीय जन मारे गये

*५१०. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मलाया में ब्रिटिश के आतंककारियों के विरुद्ध आन्दोलन की करतूतों में कितने भारतीय लोग मारे गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : मलाया में आकस्मिकता के प्रारम्भ से जून १९५३ की समाप्ति तक भारतीयों को राजद्रोही कार्यवाई के द्वारा और पुलिस तथा सैनिक कार्यवाई के द्वारा मारा गया है । आंकड़े इस प्रकार हैं :—

राजद्रोही कार्यवाई द्वारा मारे गये	
नागरिक	२०५
पुलिस	४५
जोड़	२५०

पुलिस तथा सैनिक कार्यवाई से मारे गये ६९ भारतियों को मौत की सजा दी गई थी, जिन में से पांच को फांसी दी जा चुकी है ।

एक व्यक्ति को प्रत्यावेदन करने पर छोड़ दिया गया और भारत को भेज दिया गया। तीन व्यक्तियों के अपील करन पर उनकी मौत की सजा हटा दी गई।

पुनर्वास के लिये खास महल भूमि

*५११. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खास महल भूमि का क्या क्षेत्र है, जो पश्चिमी बंगाल के २४ परगनों और जलपाइगुरी जिले में शरणार्थियों के पुनर्वास विभाग के सुपुर्द की गई थी ?

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को गृह-निर्माण करने के लिए कितनी और खेती बाड़ी के लिये कितनी भूमि दी गई थी ?

(ग) वहां पर कितने परिवार बसाये जा चुके हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :

(क)

		एकड़
१.	जलपाइगुरी	३,६६९·४५
२.	२४ परगने	८३३

(ख)

	एकड़	गृहनिर्माण एकड़	कृषि एकड़
१.	जलपाईगुरी	२०६·१९	३,४९३·२६
२.	२४ परगने	१२१	६०७

(ग)

	कृषि-कर परिवार	अकृषि-कर परिवार
१. जलपाइगुरी	१,१५२	१,४३८
२. २४ परगने	८६	शून्य

नेपाली फौजों के परिवहन के लिये आई० एन० ए० के वायुयानों का प्रयोग

*५१२. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नेपाली कांग्रेस के आन्दोलन को दबाने के लिये नेपाली फौजों को ले जाने के लिये भारतीय राष्ट्रीय वायुपथ के जहाजों को प्रयोग में लाया जा रहा है ?

(ख) क्या यह सच है कि जून के दूसरे सप्ताह में एक भारतीय राष्ट्रीय वायुपथ के डकोटे द्वारा खटमण्डु से विराटनगर तक सशस्त्र सैनिकों को छः बार ले जाया गया ?

(ग) यदि ऐसा है तो नेपाल में सैनिक कार्यवाई के लिये भारतीय व्यक्तियों द्वारा भारतीय जहाज क्यों दौड़ाये गये ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) : नेपाल सरकार के पास डकोटा वायुयान है। नेपाल सरकार के साथ करार के द्वारा और उनके द्वारा फीस दिये जाने पर, भारतीय राष्ट्रीय वायुपथ इस वायुयान की देखभाल करता था। सैनिक कार्यवाई के प्रबन्धों या जहाज का नियंत्रण आदि करने में उनका कोई हाथ नहीं था। कार्य-वाइयों का सम्बन्ध तो केवल नेपाल सरकार से था।

२. जब यह जहाज वायु सेवा की योग्यता का प्रमाणपत्र लेने की दृष्टि से वार्षिक निरीक्षण के लिये भारत भेजा गया तो भारतीय राष्ट्रीय वायुपथ ने उसके स्थान पर किराये पर एक डकोटा दे दिया था। इस वायुयान का प्रयोग तथा नियंत्रण भी नेपाल सरकार के हाथ में ही था।

३. जहां तक भारत सरकार को पता है, नेपाल सरकार ने किसी भी नेपाली सेना का प्रयोग नहीं किया, और वहां पर कोई सैनिक कार्यवाई नहीं की गई है। कुछ नेपाली सैनिकों को डकोटा के प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था तथा नेपाल सरकार ने उस समस्या को दूर करने के लिये, पुलिस के व्यक्तियों को डकोटा द्वारा भेजा था, जो किरायों और

करों के देने के विरुद्ध आन्दोलन के सम्बन्ध में खड़ी हो गई थी ।

(ग) वहां पर कोई सैनिक कार्यवाई नहीं हुई । और जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, नेपाली सरकार ने समय समय पर वायुयान को किराये पर लिया था, जब कि उन का अपना हवाई जहाज ओवर हाल हो रहा था । इस प्रकार किराये पर दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं ।

स्वेज नहर क्षेत्र से अंग्रेजों का निकाला जाना

*५१३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का ध्यान उस विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है जो जून, १९५३ में लन्दन में राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात् निर्गमित हुई थी ?

(ख) जैसा विज्ञप्ति में बताया गया है क्या यह सत्य है कि स्वेज नहर क्षेत्र से अंग्रेज़ों के निकाले जाने के सम्बन्ध में, अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से भारतीय प्रधान मंत्री सहमत थे ?

(ग) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण क्या है जिससे प्रधान मंत्री सहमत थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग). विज्ञप्ति में कुछ मोटे मोटे उपक्षेप दिये गये हैं, जिन में से सब से महत्वपूर्ण यह है कि मध्यपूर्व के मुख्यवादपदों का निर्णय इस प्रकार करना चाहिये जिससे कि मध्य पूर्व के देशों की शान्ति तथा सुरक्षा में कोई बाधा न पड़े, उनमें से प्रत्येक देश की प्रभुता पर कोई प्रभाव न पड़े तथा उनके सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके । आगे चल कर उस विज्ञप्ति में स्वेज नहर के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को तथा नहर के क्षेत्र में अधिष्ठापनों को बनाये रखने की वांछनीयता के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार किया गया है । भारत सरकार ने इन सामान्य उपक्षेपों से अपनी सहमति प्रकट की थी । जहां तक ज्ञात है, इंगलिस्तान सरकार तथा मिश्र के मध्य वर्तमान झगड़ा इन उपक्षेपों के सम्बन्ध में नहीं है वरन् इन के निर्वचन तथा कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में है । भारत सरकार किसी ऐसे विशेष निर्वचन तथा उसे कार्यान्वित करने से आबद्ध नहीं है, जो इंगलिस्तान की सरकार की दृष्टि में हो । सदा ही यह मत रहा है कि प्रत्येक समझौता मिश्र की सम्पूर्ण प्रभुता की मान्यता पर आधारित होना चाहिये । विज्ञप्ति में यही तथ्य बताया गया है ।

रुई के भारतीय व्यापारियों को मिलने वाली मिस्र में अवरुद्ध धनराशि

*५१४. **श्री के० जी० देशमुख :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इस देश के रुई के व्यापारियों की बहुत बड़ी धन-राशि मिस्र सरकार द्वारा रोक ली गई है ; तथा

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा इस धनराशि को निकलवाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् । हम ने स्कनदरिया के अपने व्यापार आयुक्त से कहा है कि इस धन राशि के लौटवाने में वे अपने प्रभाव का प्रयोग करें ।

अन्तर्राष्ट्रीय नगर तथा कस्बा कांग्रेस

*५१५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने वियना में अन्तर्राष्ट्रीय नगर तथा कस्बा कांग्रेस में भाग लिया था ?

(ख) भारत की ओर से इस कांग्रेस में किस ने भाग लिया था ?

(ग) इस कांग्रेस का उद्देश्य क्या था ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जून १९५३ में वियना म होने वाली नगर तथा कस्बों की ग्यारहवीं कांग्रेस में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिये किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था ।

(ख) स्वायत्त शासन के आल इण्डिया इंस्टीट्यूट बम्बई के महासंचालक श्री चूनी लाल डी० वरफ़ीवाला को १५०० रुपये का प्रतीक सहायक अनुदान दिया गया था जिस से वे उक्त कांग्रेस में भाग ले सकें ।

(ग) कांग्रेस में विचारणीय विषय ये थे :

(१) केन्द्रीय तथा स्थानीय वित्त के पारस्परिक सम्बन्ध ।

(२) छोटे तथा बड़े नगरों के लाभ ।

रानी एलिज़ाबेथ का राज्याभिषेक

*५१६. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के अवसर पर लन्दन स्थित भारत भवन (इण्डिया हाउस) तथा विदेशों में अन्य भारतीय राजदूतावासों को सजाने और पार्टियां इत्यादि देने में कितना धन व्यय किया गया ?

(ख) क्या यह सारा व्यय भारतीय राजकोष से किया गया था अथवा इस दिवस को मनाने के लिये कोई सार्वजनिक चन्दा भी किया गया था ।

(ग) राज्याभिषेक के सम्बन्ध में कितने भारतवासी सरकारी खर्च पर लन्दन गये थे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) रानी एलिज़ाबिथ द्वितीय के राज्याभिषेक के समारोह के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा, नौ पाउण्ड की धन राशि, जो लगभग एक सौ बीस रुपया होती है, लंदन स्थित भारत भवन में रोशनी करने में व्यय की गई थी ।

राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रतिनिधियों द्वारा विदेशों में मनाये जाने वाले संयुक्त राज्याभिषेक समारोहों में, हर स्थान पर, भारतीय मिशनों अथवा पदों के विभिन्न प्रधानों द्वारा भाग लेने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने समस्त व्यय के लिए ४६,२०० रुपये से अनधिक राशि मंजूर की थी । सब मिला कर पच्चीस भारतीय मिशनों अथवा पदों ने भाग लिया ।

(ख) व्यय भारतीय राजकोष से किया गया था; कोई सार्वजनिक चन्दा एकत्रित नहीं किया गया था ।

(ग) रानी एलिज़ाबेथ के राज्याभिषेक के सम्बन्ध में कोई भी भारत वासी सरकारी खर्चे पर नहीं गया ।

सुडान का निर्वाचन आयोग

*५१७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मिश्र तथा सूडान के कुछ लोगों ने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय सूडान निर्वाचन आयोग के भारतीय सभापति, श्री सुकुमार सेन, अनुचित विदेशी प्रभाव में आ गये हैं ; तथा

(ख) क्या भारत सरकार ने मिश्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि हमारे देश के एक उत्तरदायित्व पूर्ण अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). सूडानी तथा मिस्री समाचार पत्रों में कुछ इस प्रकार का वक्तव्य निकला था। क़ाहिरा स्थित भारतीय राजदूत ने मिस्री अधिकारियों का इस की ओर ध्यान दिलाया था जिन्हों ने वक्तव्य के प्रकाशित होने पर बहुत खेद प्रकट किया। उन्हों ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के वक्तव्य गैर ज़िम्मेदार पत्रकारों द्वारा दिये गये हैं तथा मिस्र की सरकार का उन से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

राज्य ऋणों का चुकाया जाना

*५१८. **श्री गिडवानी**: (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार को अभ्यावेदन दिये गये हैं कि ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को, व्यापारी उद्देश्यों के लिये, दिये जाने वाले राज्य ऋणों का प्रतिशोधन विलम्बित किया जाय, जो पाकिस्तान में केवल कृषियोग्य सम्पत्तियां छोड़ कर आये हैं तथा जिन को कोई कृषियोग्य भूमि स्थायी तुल्य आधार पर आवंटित नहीं की गई है ?

(ख) क्या सरकार ने उन अभ्यावेदनों पर विचार किया है ?

(ग) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में उन का निर्णय क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) हां

(ख) तथा (ग) : चूंकि, कृषि-योग्य भूमि की अधियाचनायें प्रमाप एकड़ों में योग्य पित की जा चुकी हैं, तथा जहां तक हो सका, पाकिस्तान में छूट जाने वाली भूमि, के स्थान पर उन को भूमि का आवंटन किया जायगा, अतः ऐसी अधियाचनाओं वाले व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋणों का प्रतिशोधन विलम्बित नहीं किया जा सकता है।

साबुन के कारखाने

*५१९. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश की भारतीय स्वामित्व वाले साबुन बनाने के कारखानों की वर्तमान समग्र उत्पादन क्षमता कितनी है ?

(ख) क्या यह कारखाने अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं ?

(ग) यदि नहीं तो उसके कारण क्या क्या हैं ?

(घ) क्या इंगलैण्ड के स्वामित्व वाले साबुन बनाने वाले कारखाने भारतीय व्यापारिक संस्थाओं से प्रतियोगिता कर रहे हैं ?

(ङ) यदि ऐसा है तो सरकार इस को रोकने के लिये कौन से प्रयत्न करने का विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) उद्योग के कुटीर क्षेत्र को मिला कर भारतीय स्वामित्व वाले साबुन के कारखानों की वार्षिक आगणित क्षमता का आगणन लगभग २,१५,००० है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) तेल का बढ़ा हुआ मूल्य तथा मांग की कमी कुछ प्रधान कारण बताये जाते हैं।

(घ) तथा (ङ). सभी निर्माता अपनी वस्तुऐ बेचने में एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं तथा स्पर्धा इस बात का सब से आवश्यक संरक्षण है कि उपभोक्ता से अधिक दाम न लिये जा सकें।

योजना आयोग का कार्यक्रम

*५२०. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) क्या **योजना** मंत्री योजना आयोग का चालू वर्ष का कार्यक्रम बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) आयोग बेकारी की समस्या का कब अध्ययन करने का विचार करता है ?

(ग) नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बेकारों की कुल संख्या जानने का उन के पास कौन सा साधन है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) योजना आयोग के वर्तमान कार्यक्रम में ये सम्मिलित हैं :—

(१) केन्द्र तथा राज्यों में पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित करने तथा वैयक्तिक-क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों से बराबर सम्पर्क बनाये रखना ।

(२) नियोजन, भूमि सुधार, किये जाने वाले उपायों की कार्यवाही तथा इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में पारित किये जाने वाली विधियों के सम्बन्ध में विशेष अध्ययन ।

(३) वित्तीय तथा भौतिक संसाधनों का आगणन तथा समय समय पर उत्पन्न होने वाली योजना सम्बन्धी जन बल की समस्यायें ।

(४) विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जनसहयोग प्राप्त करने तथा सार्वजनिक भाग लेने के कार्यक्रमों का अध्ययन उदाहरण के लिए स्थानीय कार्य, ऐच्छिक संगठन, लघु-संचय के आन्दोलन योजना के सम्बन्ध में सार्वजनिक शिक्षा इत्यादि, तथा

(५) विकास पर प्रभाव डालने वाली सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन ।

(ख) योजना आयोग बेकारी की समस्याओं का अध्ययन करने में बराबर लगा हुआ है तथा उस ने अपने सुझाव हाल ही में राज्य सरकारों के पास भेजे हैं । आयोग के सुझावों की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रक्खी है ।

[प्रतिलिपि पुस्तकालय में रक्खी है । देखिये संख्या एस० १०२/५३]

(ग) योजना आयोग, नौकरी दफ्तर नेशनल सैम्पुल सर्वे तथा वाणिज्य तथा उद्योग के मंत्रालय को औद्योगिक कारखानों द्वारा भेजे जाने वाले विवरणों के द्वारा तथा ऐसे ही साधनों की सहायता से बेकारी की समस्या के विस्तार को आंकने का प्रयत्न कर रहा है । कलकत्ता तथा दिल्ली के क्षेत्रों में, नौकरी दफ्तरों में चालू राजिस्ट्रों के आधार पर 'नमूने की जांच' की जा रही है । निकट भविष्य में, त्रावणकोर-कोचीन में बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में एक विशेष जांच भी होने वाली है । इस के अतिरिक्त राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे विभागों तथा जिला अधिकारियों से, बेकारी के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त किया करें ।

बच्चों का भत्ता

***५२१. श्री तुषार चटर्जी :** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कर्मचारियों के बच्चों का भत्ता दिये जाने की जो प्रणाली चन्द्रनगर मे लागू थी उसे अंशतः समाप्त कर दिया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो किन के लिये इस प्रणाली को समाप्त किया गया है ?

(ग) समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार की इच्छा धीरे धीरे बच्चों के भत्ते देने की समस्त प्रणाली को समाप्त कर देना है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) राशन विभाग के अस्थायी कर्मचारियों के लिए उनकी संख्या केवल १४ है ।

(ग) उन के वेतनादि को उतना ही करने के लिए जितने कि पश्चिमी बंगाल में दिये जा रहे हैं । उन को नई पुनरीक्षित दरों के

अनुसार मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(घ) अभी तो नहीं। चन्द्र नगर के सरकारी कर्मचारियों पर भारतीय सेवा नियमों के लागू किये जाने के सामान्य प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मलाया में छात्रवृत्ति निधि

*५२२. **श्री एस० एन० दास** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मलाया में भारतीय मूल के विद्यार्थियों को मलाया विश्व-विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता देने के हेतु कोई छात्रवृत्ति निधि स्थापित करने का विचार किया गया है और क्या इस निधि की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) इस योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आशा की जाती है कि छात्रवृत्ति निधि के स्थापना सम्बन्धी प्रबन्धों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

(ख) प्रारम्भ में मलाया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों को १५०० स्ट्रेट डालर प्रति वर्ष की पांच विश्व-विद्यालय छात्रवृत्तियां तथा ९० स्ट्रेट डालर प्रति वर्ष की २५ विश्व-विद्यालय-पूर्व छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। एक प्रन्यास स्थापित किया जायेगा जिसका प्रन्यासी अधिकारी मलाया स्थित हमारा प्रतिनिधि होगा, और अभ्यर्थियों के चुनाव में सहायता करने के लिए उसे पांच अन्य सदस्यों की एक समिति का सहयोग भी प्राप्त होगा।

भारतीय चलचित्र

*५२३. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतला कि कृपा करेंगे कि भारतीय चलचित्रों आयात के सम्बन्ध में उस की जो नीति उसके पुनरीक्षण के लिए सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रतिनिधान करने के सम्बन्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) संसार के किसी भी देश से पाकिस्तान में सिनेमा फिलमों के आयात पर, अब से कुछ महीनों से, कोई लायसेंस नहीं है। पाकिस्तान को भारतीय चलचित्रों के आयात के लिए सुविधायें देने पर राजी करने के लिए भारत सरकार द्वारा निरन्तर प्रयत्न किये गये हैं और भारतीय चलचित्रों पर लगे आयात शुल्क की दर में कुछ कमी करा ली गई है। भारत सरकार को आशा है कि पाकिस्तान में विदेशी विनिमय की स्थिति में सुधार होने पर भविष्य में और अधिक उदार नीति बरती जायेगी।

भारतीय दस्तकारियों की प्रदर्शनी

*५२४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन विदेशों के नाम जहां सन् १९५२ में और १९५३ में भारतीय दस्तकारी तथा कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की प्रदर्शनियां की गई हैं ;

(ख) क्या ऐसी कोई प्रदर्शनी अंकारा स्थित भारतीय दूतावास द्वारा की गई थी;

(ग) क्या इस प्रदर्शनी के परिणाम-स्वरूप, तुर्की स्थित विदेशी कूटनीतिज्ञों ने भारतीय दस्तकारियों की वस्तुओं में अपनी रुचि प्रकट की है और वह उन में से कुछ वस्तुओं को भारत से आयात करने को प्रस्तुत हैं ; तथा

(घ) किन विशिष्ट वस्तुओं ने वहां अधिक ध्यान आकर्षित किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक सूची सदन पटल पर रक्खी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ख) और (ग) . जी हां ।

(घ) सभी प्रदर्शित वस्तुओं ने अधिकाधिक ध्यान खींचा था । फिर भी कलात्मक वस्तुओं जैसे कमख्वाब, ज़रदोज़ी, साड़ियों, पीतल की बनी वस्तुओं, लकड़ी पर की गई नक्काशी तथा चटाइयों का विशेष रूप से नाम लिया जा सकता है ।

गैरसरकारी संस्थाओं को सहायता

***५२५. श्री विश्वनाथ रेड्डी** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस योजना के अन्तर्गत , जिस के अनुसार स्थानीय प्राधिकारियों तथा सार्वजनिक असरकारी संस्थाओं को योजना आयोग की ओर से सीधे ही सहायता दी जानी है तथा जिस के लिए इस वर्ष ५० लाख रुपये की रक़म अलग रखी गई है, कितनी रक़म अब तक वितरित की गई है ?

(ख) कितने प्रार्थना पत्र अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३३,३७० रुपये ।

(ख) दो विचाराधीन हैं, एक को स्वीकार कर लिया गया है ।

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

***५२७. श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई गन्दी बस्तियों के हटाये जाने की किन योजनाओं को स्वीकार किया गया है ?

(ख) उन के लिए कितनी केन्द्रीय राजकीय सहायता तथा ऋण स्वीकृत किये गये हैं ?

(ग) क्या किसी भी राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना प्रारम्भ की है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा भेजी योजनाओं की अभी जांच की जा रही है । इस के साथ ही साथ, गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के लिए राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को केन्द्र की ओर से दी जाने वाली युक्तियुक्त सहायता की प्रकृति तथा परिमात्रा सम्बन्धी सामान्य प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) गन्दी बस्तियों के साफ किये जाने के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्वयंमेव ही कुछ कार्य किया गया है ।

नेपा कागज़ मिल

***५२८. डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नेपा कागज़ मिल कब से उत्पादन कार्य प्रारम्भ करेगी ?

(ख) उक्त मिल की उत्पादन क्षमता क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई नवीनतम सूचना के अनुसार नेपा मिल द्वारा सन् १९५४ के मध्य तक उत्पादक कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने की प्रत्याशा है ।

(ख) उस की उत्पादन क्षमता का अनुमान ३०,००० टन अख़बारी कागज़ प्रति वर्ष लगाया गया है ।

प्लास्टिक उद्योग

***५२९. श्री बेलीराम दास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मत्री भारत के प्लास्टिक

उद्योग के सम्बन्ध में वतमान स्थिति बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) भारत में कितनी प्लास्टिक फ़ैक्टरियां खोली गई हैं ?

(ग) क्या सरकार का प्लास्टिक के विक्रय तथा उत्पादन पर कोई नियंत्रण है ?

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से प्लास्टिक उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चा माल प्राप्त किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उद्योग की वर्तमान स्थिति बतलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ८]**

(ख) कोई ८० ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) अधिकांशतय : सयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, इटली, पश्चिमी जर्मनी, हालैण्ड तथा स्टिजरलैण्ड से ।

नपाल को उत्तर प्रदेश के सशस्त्र पुलिस बल का भेजा जाना

*५३०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने नैपाल सरकार की प्रार्थना पर उत्तर प्रदेश के सशस्त्र पुलिस बल के कुछ दस्तों को पश्चिमी नैपाल भेजा है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी हां ।

पिछड़े हुये वर्गों की समुन्नति

*५३१. **श्री बर्मन** : क्या **योजना मंत्री** उन मुख्य सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों को बतलाने की कृपा करेंगे जिस के लिए, जैसा कि पंच-वर्षीय योजना के पृष्ठ २०५ पर दिया हुआ है, राज्य सरकारों ने पिछड़े हुए वर्गों की समुन्नति के हेतु २३ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : वह सिद्धांत, जिस के अन्तर्गत उक्त रक़म का उपबन्ध किया जाना है, पंचवर्षीय योजना के अध्याय ३७ में दिया गया है । इस कार्यक्रम में सड़कों का निर्माण, जलव्यवस्था में सुधार सिंचाई की व्यवस्था, कृषि विकास, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग सम्मिलित हैं, तथा और अधिक शिक्षा सम्बन्धी तथा चिकित्स्कीय सुविधायें देना भी इसमें शामिल है ।

ब्रह्मा को लुंगियां और सरोंग

*५३२. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दोनों देशों के मध्य हुए भारत-ब्रह्मा व्यापार क़रार के अनुसार बृहमा सरकार ने भारत से लुंगियों तथा सरोंगों की कुछ परिमात्रा लेना स्वीकार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) जी नहीं, श्रीमान् ।

सिन्दरी कृषिसार फैक्टरी

*५३३. **श्री लक्ष्मीधर जेना** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतियों को प्रतिनियुक्त करने के लिए भारतीय इंजीनियरों को सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी में प्रशिक्षित किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो सिन्दरी फ़ैक्टरी के पूर्ण रूप से भारतियों द्वारा चलाये जाने में कितने वर्ष लगेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) कोई निश्चित भविष्य वाणी करना कठिन है, फिर भी भारतियों द्वारा यथा-संभव शीघ्र सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संभाल लिए जाने के उद्देश्य से उक्त सार्थ द्वारा भारत-वासियों को प्रशिक्षण दिये जाने के सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

लोहे के आयस्क का निर्यात

*५३४. **श्री देवगम:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि लौह अयस्क के विक्रय के व्यापारिक ठेके बहुत पहले ही कर लिए जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): सरकार को ज्ञात हुआ है कि इस सम्बन्ध में कोई एक रूप प्रणाली नहीं है।

सोडावाटर इत्यादि की बोतलें

*५३५. **श्री जोशिम आल्वा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सन् १९४८ में भारत सरकार ने सोडा वाटर इत्यादि की बोतलों, और विशेषकर उन को जिन्हें कौड्स सोडा वाटर बोतलें कहा जाता है के आयात किये जानें पर लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि तथा देशी उद्योगों के विकास के उद्देश्य से पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया था ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार ने आयात अनुज्ञप्तियां दे कर इस नीति को क्यों बदल दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्थानीय विकास कार्य

*५३६. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में दिये गये "स्थानीय विकास कार्य" शीर्ष के अन्तर्गत कितनी परियोजनायें प्रस्तुत की गई हैं ?

(ख) इन परियोजनाओं पर १५ करोड़ रुपया कैसे खर्च किया जायगा ?

(ग) क्या इस धन राशि को वितरित किया गया है ?

(घ) यदि किया गया है तो किन अभिकरणों को यह धन प्राप्त हुआ है ?

(ङ) जनता से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने की आशा है ?

(च) इन परियोजनाओं में राज्य सरकारें कैसे भाग लेती हैं ?

(छ) यह काम करने के लिये किन किन अभिज्ञात संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) १२९४ निर्माण कार्य इस समय तक स्वीकृत हुए हैं।

(ख), (ग) तथा (ङ). स्थानीय विकास कार्यों की सहायता परियोजना के सम्बन्ध में जुलाई १९५३ में जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसकी एक प्रति सदन पटल पर रख दी जाती है। **[प्रति पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये नं० एस-१०३।५३]**

(घ) राज्य सरकारें भारत सेवक समाज, अहमदाबाद बम्बई, नागपुर नागरिक संघटन समिति, पूना सैंट जेवियर कालिज, बम्बई। पोददार कालिज, बम्बई।

(च) राज्य सरकारें अपने आवंटनो से ऐसी परियोजनाओं के लिये अनुदान दे देंगी जो प्रेस-नोट के निबन्धों के अन्तर्गत अर्हत होंगी तथा जो वह स्थानीय गैर सरकारी लोगों के मश्वरे से चुनेंगी।

(छ) सार्वजनिक सहयोग किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था के लिये सीमित नहीं। कोई भी व्यक्ति इस परियोजना के अन्तर्गत किसी भी उपयुक्त तथा अर्हत कार्य के लिये सहायता मांग सकता है।

सिन्दरी फैक्टरी का विस्तार

*५३७ **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमोनियम

नाइट्रेट अथवा यूरिया जैसे वैकल्पिक नाइट्रोजन पूर्ण उर्वरक को तैयार करने के सम्बन्ध में सिन्दरी उर्वरक तथा रासायनिक फैक्टरी के अग्रेतर विस्तार की परियोजना को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): विभिन्न देशों में यूरिया तथा अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने की विधि का अध्ययन करने तथा सिन्दरी के बारे में अपनी सिफारिशें पेश करने के लिये जो भारतीय मिशन विदेश भेजा गया था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है और सरकार इस पर इस समय विचार कर रही है।

चीनी मिट्टी के बर्तन

२७१. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिट्टी के बर्तनों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इसका कुल मूल्य क्या है ;

(ग) चीनी बर्तन तैयार करने के लिये भारत में कुल कितनी यंत्रीकृत फैक्टरियां हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(घ) इन फैक्टरियों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ङ) इन फैक्टरियों में कुल कितने कमकर लगे हुए हैं ;

(च) इन कमकरों की प्रति शीर्ष प्रति मास आय क्या है ; और

(छ) १९४७-४८ से लेकर १९५२-५३ तक के वर्षों में प्रति वर्ष भारत में कितने तथा कितने मूल्य के चीनी के बर्तन आयात किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) एक विवरण जिसमें कि उपलब्ध सूचना दी गई है, सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ९]**

(घ) लगभग ४४३ लाख रुपये ।

(ङ) तथा (च) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(छ) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह मद व्यापार आंकड़ों में पृथक रूप से नहीं दी गई है ।

आवश्यक तेल

२७२. **श्री पी० पी० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में कितना तथा कितने मूल्य का आवश्यक तेल निर्यात किया गया ;

(ख) आवश्यक तेल उद्योग में अनुमानतः कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ;

(ग) उक्त काल के दौरान में आवश्यक तेलों की कितनी मात्रा भारत में आयात की गई ; तथा

(घ) क्या सरकार ने आवश्यक तेलों की उपलब्धि के सम्बन्ध में कोई सविस्तार पर्यालोकन किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सम्बद्ध किया जाता है ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) एक विवरण सम्बद्ध किया जाता है [(क) तथा (ग) के लिये **देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या १०]**

(घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्त की गई एक गवेषणा समिति ने भारत में उपलब्ध

आवश्यक तेलों का एक व्यापक पर्यालोकन किया है ।

पत्थर फोड़ने की मशीनें

२७३. **डा० अमीन** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पत्थर फोड़ने की मशीन बनाने की कोई व्यवस्था की गई है ?

(ख) देश में इन मशीनों की वार्षिक मांग कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस समय कुसुम इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता विशिष्ट व्यादेशों के आधार पर पत्थर कूटने की मशीनें तैयार करती है । यह कम्पनी सामान्यतः १६" × ५" साइज़ तक की मशीनें बनाती है । सार्थों को यह मशीनें बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिशें की जा रही हैं ।

(ख) बताया जाता है कि इसके लिये मांग बहुत कम है । ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सन की रस्सी के टुकड़े

२७५. **श्री रघुनाथ सिंह**: (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ से लेकर १९५२ तक प्रति वर्ष सन की रस्सी के टुकड़ों का कितना निर्यात किया गया ?

(ख) इस निर्यात से देश को कितनी आय हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

सन

२७६. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत से १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में कितने सन का निर्यात किया गया ; और

(ख) विश्व के बाजार में भारत के सन के कौन कौन से देश प्रतिद्वन्दी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९४८ से लेकर १९५२ तक के वर्षों में प्रति वर्ष क्रमशः २७,०७८, २६,८८१, १०,८७२, १९,२९७, १९,३६४ टन पटसन निर्यात किया गया ।

(ख) इटली, चिल्ली तथा यूगोस्लाविया

राज्यों की नदी घाटी परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

२७७. **श्री दाभी**: क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ तक केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धन राशि ऋण अथवा अनुदान के रूप में दी है ; और

(ख) वर्ष १९५३-५४ के दौरान में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के लिये कितनी धन राशि ऋण अथवा अनुदान के रूप में मंजूर की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) (क) तथा (ख) . एक विवरण, जिसमें कि सूचना दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ११]**

हजाज जाने वाले तीर्थ यात्रियों की मृत्यु

२७८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ में हजाज़ जाने वाले तीर्थ यात्रियों की मृत्यु के कारण क्या थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इनकी मृत्यु का मुख्य कारण लू लग जाना

था । अन्य कारण उनकी वृद्धावस्था तथा बीमारी थी ।

मशीन औजार फ़ैक्टरी

२७९. **श्री एस० सो० सामन्त :** (क) क्या उत्पादन मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जलाहल्ली स्थित मशीन औजार फैक्टरी के लिये कितने विदेशी विशेषज्ञ भर्ती किए गय हैं ?

(ख) उनमे से कितने यहां आगए हैं तथा फैक्टरी में काम करने लगे हैं ?

(ग) कितने ट्रेनिंग कर रहे हैं ?

(घ) उनके कब सेवायुक्त होने की आशा है ?

(ङ) क्या प्राईवेट लिमिटिड कम्पनी 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़' को पंजीबद्ध किया गया है ?

(च) क्या इसने इस मशीन औज़ार फैक्टरी का कार्यभार सभाला ह तथा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है ?

उत्पादन मत्री (श्री के० सो० रेड्डी) : (क) २५, ठेके के आधार पर एक से लेकर तीन वर्ष तक की विभिन्न कालावधियों के लिये।

(ख) १२ ।

(ग) कोई भी नहीं। फैक्टरी के आयोजन कार्य के लिये ज्यूरिच में १३ अधिकारियों को नियुक्तकिया गया है।

(घ) ज्योंही कि फक्टरी का आयोजन काय पूर्ण होगा । तारीखें बतलाना सम्भव नहीं क्योंकि वह आयोजन कार्य की प्रगति पर निर्भर है ।

(ङ) जी हां । यह कम्पनी भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ के अन्तर्गत ७ फरवरी १९५३ को पंजीबद्ध की गई ।

(च) जी हां। एक माच, १९५३ से।

राष्ट्रमंडलीय युवक सम्मेलन

२८०. **श्री संगण्णा :** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ९ तथा १० जून, १९५३ को लदन में हुए राष्ट्र-मंडलीय युवक सम्मेलन में भारत का कोई प्रतिनिधि शामिल हुआ था ?

(ख) इस सम्मेलन के क्या उद्देश्य है ?

(ग) इस सम्मेलन के परिपोषक कौन हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग) . भारत सरकार को इस सम्मेलन की कोई सूचना नहीं थी। लंदन स्थित अपने हाई कमीशन से पूछताछ करने पर हमें बताया गया कि यह सम्मेलन विश्व-युवक सभा की ब्रिटिश राष्ट्रीय समिति द्वारा राष्ट्र-मंडलीय युवक परषिद् की ओर से आयोजित किया गया था तथा हालबोर्न बरौ कौंसिल तथा हालबोर्न युवक समिति द्वारा इसका परिपोषण किया गया था ।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह सम्मेलन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा नीति पर आधारित नहीं था। यह सम्मेलन केवल इस लिये बुलाया गया था कि युवकों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त हो ताकि वह अपने विचार प्रकट कर सकें तथा उन्हें सपष्ट कर सकें । जो युवक इस में शामिल हुए थे उन्हे प्रतिनिधि के रूप में नहीं माना गया था ।

दो भारतीयों ने, जो कि लंदन में थे, इस सम्मेलन में भाग लिया ।

अभ्रक

२८१. **पंडित एम० बी० भागव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग :

(क) विभिन्न राज्यों के वे स्थान जहां अभ्रक निकलता है और कच्चा तथा साफ किया हुआ दोनों की कुल मात्रा तथा मूल्य

जो वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में तैयार किया गया है ;

(ख) उपर्युक्त तीन वर्षों में विभिन्न विदेशों को भेजी गई अलग अलग मात्रा तथा उसका मूल्य ;

(ग) भारत में उपभोग की गई कुल मात्रा ;

(घ) उपभोग किए जाने का उद्देश्य ;

(ङ) क्या भारत में कोई ऐसा स्थान है जहां अभ्रक साफ़ किया और काटा जाता है ;

(च) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार द्वारा इस उद्योग के विकास के लिए कोई सुविधाएं या छूटें दी जा रही हैं ;

(छ) वर्ष १९५३-५४ के प्रारम्भ में भारत में तयार किए हुए अभ्रक का स्टाक ;

(ज) जून, १९५३ के अन्त तक का स्टाक ; तथा

(झ) यदि इसमें कुछ वृद्धि हुई है तो उसके कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). अभ्रक मुख्यतः बिहार जिले के हजारीबाग़, मद्रास जिले के नीलोर, जयपुर, किसनगढ़, मेवाड़, टोंक, शापुरा तथा राजस्थान के गंगापुर क्षेत्र तथा अजमेर-मारवाड़ में होता है। अभ्रक के उत्पादन के कोई भी विश्वासनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि भारत में अभ्रक का उपभोग बहुत कम है, अतः निर्यात आंकड़े लगभग देश के वास्तविक उत्पादन के ही आंकड़े हैं। एक तालिका जिसमें भिन्न-भिन्न देशों के निर्यात आंकड़े दिये हुए हैं, संवद्ध की जाती है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२] कच्चे तथा साफ किये हुए अभ्रक के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). अभ्रक की कुछ मात्रा का उपयोग माइकानाइट तथा अन्य आबेधक-यंत्रों के पदार्थों के निर्माण में किया जाता है।

(ङ) हां, श्रीमान्, बिहार में कोदारमा, झूमरी-तलैया, दोमचंच और गिरडिह में, मद्रास में गूदुर और चेन्नूर में, मेवाड़ में भीलवाड़ा तथा केकरौली में।

(च) सभी को यथोचित सहायता की जा रही है।

(छ) से (झ). सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

कच्चा मैंगनीज

२८२. **पंडित एम० बी० भार्गव:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में मैंगनीज़ उत्पन्न होने वाले स्थान तथा वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में उत्पन्न होने वाली मात्रा और उसका मूल्य ;

(ख) भारत में उपभोग किए गए कच्चे मैंगनीज़ की कुल मात्रा तथा उसका मूल्य ;

(ग) वे कार्य जिनमें उसका उपभोग किया गया ; तथा

(घ) उपर्युक्त वर्षों में इसके निर्यात किये जाने वाले देश ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). एक विवरण सम्बद्ध है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]

विस्थापित हरिजन खेतिहर

२८३. **श्री बाल्मीकि:** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से १९४७ तथा १९५२ के बीच आने वाले विस्थापित हरिजन खेतीहरों की संख्या ; तथा

(ख) उनको पुनर्वास करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियां ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) विस्थापित हरिजन खेतीहरों के आंकड़े अलग उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) विस्थापित हरिजन खेतीहरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य विस्थापित खेतीहरों को पुनः बसाने के लिये किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जून १९४९ में भारत सरकार द्वारा विस्थापित हरिजनों को पुनः बसाने में सहायता देने के लिये एक विस्थापित हरिजन पुनर्वास मण्डल नामक एक विशेष संस्था स्थापित की गई थी ।

फैक्ट्रियां

२८४. **श्री एच० एन० मुकर्जी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में स्थापित की गई फैक्ट्रियों की संख्या ;

(ख) ऐसी फैक्ट्रियों के वर्त्तमान तथा आयोजित प्रमुख उत्पादन ;

(ग) ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें विदेशी हितों से यदि कोई नाता हो तो ; तथा

(घ) ऐसे विदेशी हितों के नाम तथा उत्पत्ति का देश ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) इन फैक्ट्रियों पर सरकार का नियंत्रण केवल तालिकाबद्ध उद्योगों तक ही सीमित है । अन्य उद्योगों में सरकार का नियंत्रण केवल आनुषंगिक है । अतः जब तक कि किसी उद्योग विशेष के सम्बन्ध में सूचना न मांगी जाय तब तक कोई संक्षिप्त सूचना देना कठिन है । जो सूचना हम लोगों के पास है उसके अनुसार १९५१-५२ में ९३ फैक्ट्रियों तथा ९५२-५३ में ८६ फैक्ट्रियां स्थापित की गई थीं, जिसकी सत्यता की गारंटी सरकार लेने में असमर्थ है ।

(ख) प्रश्न (क) भाग के उत्तर देने के सम्बन्ध में जो कठिनाई सरकार को उठानी पड़ रही है वही भाग (ख) के उत्तर में भी है । मोटे तौर से ऊपर दी गई फैक्ट्रियों के उत्पादन जो ऊपर दिये गए हैं उनका विवरण सम्बद्ध सूची में दिया हुआ है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ग) और (घ). सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षा

२८५. **श्री मुनिस्वामी**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि १७०० विस्थापित व्यक्तियों को प्राविधिक एवं व्यावसायिक व्यवसायों की प्रशिक्षा देने की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई है ;

(ख) उन राज्यों के नाम जहां ऐसी प्रशिक्षा देने के केन्द्र खोले गये हैं ;

(ग) जिन व्यक्तियों को इन केन्द्रों में प्रशिक्षा दी जा रही है उनका भविष्य क्या होगा ;

(घ) क्या राज्य सरकारें इन योजनाओं के लिये धन दे रही हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों की प्रशिक्षा के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और बाद को सदन पटल पर रखे जायेंगे । पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में १९५३-५४ में ५६९४ व्यक्तियों को व्यावसायिक एवं टैक्निकल प्रशिक्षा देने के लिये स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

भोपाल, देहली तथा अजमेर के प्रस्ताव अब भी विचाराधीन हैं ।

(ख) पंजाब, उत्तर प्रदेश, पप्सू, देहली, मध्यभारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, भोपाल, पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा ।

(ग) जिन व्यवसायों अथवा व्यापारों विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षा पाते हैं उनम साधारणतः काम पा जाते हैं । अपने पुनर्वास को सुगम बनाने के लिये उन्हें ऋण भी दिये जाते हैं ।

(घ) नहीं ।

स्थानीय विकास कार्य के लिये योजनायें

२८६. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या **योजना** मंत्री राज्य सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजना म 'स्थानीय निकास निर्माण कार्यों' के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई योजनाओं की सख्या वताने की कृपा करेंगे ?

(ख) योजना आयोग द्वारा उनमें से कितनी स्वीकृत की गईं थीं ?

(ग) आयोग द्वारा क्रमानुसार राज्य सरकारों को वितरित की जाने वाली निधि के लिये कौन सी प्रणाली कार्य में लाई जा रही है ?

(घ) क्या आयोग निजी व्यक्तियों तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं पर विचार करता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) ४६०० योजनाएँ ।

(ख) बम्बई की १२७५ योजनाओं का अनुमोदन किया गया है । आयोग ने उत्तर प्रदेश की १२३५ योजनाओं पर सम्मति दी है । शेष योजनाएँ जो अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं, अधिकतर हैदराबाद, सौराष्ट्र, आसाम, मैसूर तथा मद्रास की हैं, जिन पर छान-बीन की जा रही है ।

(ग) जनसंख्या के आधार पर ।

(घ) जी हां ।

भाखरा बांध कारखाने

२८७. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाखरा बांध को दिये जाने वाले उम्परों, कैटरपिलरों, ट्रैक्टरों तथा एलिस चामर्स की संख्या :

(ख) उपर्युक्त कार्य में लगे हुए प्रत्येक मद की संख्या;

(ग) बेकार पड़े हुए मदों की संख्या ;

(घ) ऐसा होने के कारण ; तथा

(ङ) ऐसे मदों की कुल लागत ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना पंजाब सरकार से मंगवाई गई है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रखी जायगी ।

विस्थापित व्यक्तियों को उधार

२८८. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को विस्थापित (१) विद्यार्थियों (२) व्यापारियों, और (३) उद्योगपतियों को ऋण देने के लिए कुछ राशि मंजूर की है ?

(ख) इन लोगों को किन योजनाओं के अधीन ऋण दिया जाता है ?

(ग) अभी तक कितने रुपयों की मंजूरी दी जा चुकी है ?

(घ) ऐसे ऋण को चुका देने की क्या शर्तें हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). संलग्न विवरण में अपेक्षित सूचना दी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४**]

राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि

२८९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** (क) क्या **निर्माण-गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजघाट

नई दिल्ली में गांधी जी की समाधि बनाने में कितने व्यय का अनुमान किया गया था तथा वास्तव में कितने रुपये खर्च हुए ?

(ख) इंजीनियरी कामों के लिए कितना रुपया देने का करार हुआ था तथा अंत में कितने रुपये दिए गये ?

(ग) बनाने वालों, अर्थात् सी० पी० डब्ल्यू० डी० के विरुद्ध क्या सरकार के पास कोई शिकायत की गई है कि काम घटिया हुआ है ?

(घ) यदि हां तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लागत का अनुमान ४,६१,८७९ रुपये था और वास्तव में ४,९४,८८३ रुपये व्यय हुए ।

(ख) इंजीनियरी कामों के लिए करार ४,१६,१७५ रुपये का था और अंत में ४,५४,३०० रुपये दिये गये ।

(ग) जी हां ।

(घ) शिकायत की जांच की गई थी और मालूम हुआ कि कार्य के स्वरूप को भली भांति न जानते हुए वह शिकायत की गई थी ।

परियोजनाओं में पूर्ववर्तिका

२९०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या योजना मंत्री ८ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५३ के उत्तर को देखकर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई नई सिंचाई और विद्युत् योजनाओं को पूर्ववर्तिता देने के प्रश्न पर मंत्रणा देने के लिये क्या समिति बना दी गई है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी रचना कैसी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) . समिति शीघ्र ही नियुक्त करने का विचार है । सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को अगली पचवर्षीय योजना में मिलाने के लिये वह योजना आयोग को उन परियोजनाओं के टैक्निकल, आर्थिक तथा वित्तीय पहलुओं पर मंत्रणा देगी ।

हीराकुड बांध

२९१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड बांध पूरा किए जाने की अवधि क्या फिर से बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां तो क्यों ; और

(ग) बांध पूरा होने की अब क्या अवधि निश्चित की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, कुछ महीने और बढ़ा दी है ।

(ख) इस कारण कि मिट्टी के काम का लक्ष्य १५ करोड़ घन फुट से घटा कर १० करोड़ घन फुट कर दिया था । यह इसलिये किया कि शीघ्र काम करने से शायद काम घटिया होता और साथ में यह भी कारण था कि मशीनें बिगड़ गई थीं ।

(ग) जुलाई १९५६ ।

शुक्रवार,
१४ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(**देखिये भाग १**)

९-२८ म० पू०

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय विस्तार

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "भारत के मुस्लिम वक्फों का उत्तम शासन व्यापार एवं प्रशासन तथा मुतवल्लियों के प्रबन्ध की देख-रेख की व्यवस्था का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि अगले सत्र के द्वितीय सप्ताह के अन्तिम दिवस तक बढ़ा दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसका कारण जानना चाहते हैं।

श्री बिस्वास : वास्तव में प्रवर समिति की बैठक बुलाई गई थी किन्तु गणपूर्ति

न होने के कारण न हो सकी। द्वितीय बैठक भी इसी कारण न हो सकी। तृतीय बैठक में गणपूर्ति हो गई थी किन्तु तत्पश्चात समिति भंग कर देनी पड़ी थी क्योंकि विधेयक के जन्मदाता दिल्ली से बाहर जा रहे थे। अब वह वापस आ गए हैं किन्तु अब मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संबंध में प्रवर समिति की बैठकों में संलग्न होऊंगा। समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि २२ अगस्त है, अतः प्रवर समिति की बैठक बुलाना सम्भव नहीं। तत्पश्चात ऐसा जान पड़ा कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन की कोई आशा नहीं रह गई थी, यदि वह तैयार भी होती, तो पहले इस सदन में रखने और क्रमशः दूसरे सदन के सम्मुख रखने और अन्त में इस सत्र में विधेयक पारित कर सकना सम्भव नहीं जान पड़ा। अतः इस विधेयक पर अधिक विचार करने के लिये इसको स्थगित कर देने की राय हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने प्रवर समिति की बैठक की तिथि बदल देने के लिये काफी सुदृढ़ कारण बताये हैं। प्रश्न यह है :

> "भारत के मुस्लिम वक्फ़ों का उत्तम शासन व्यापार एवं प्रशासन तथा मुतवल्लियों के प्रबन्ध की देख-रेख की व्यवस्था का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि

[उपाध्यक्ष महोदय]

अगले सत्र के द्वितीय सप्ताह के अन्तिम दिवस तक बढ़ा दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आन्ध्र राज्य विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० कैलाश नाथ काटजू द्वारा १३, अगस्त, १९५३ को रखे गए निम्न प्रस्ताव पर विचार करेगा :

"कि आन्ध्र राज्य के निर्माण करने मसूर राज्य का क्षेत्र बढ़ाने और मद्रास राज्य का क्षेत्र घटाने तथा उन से संबंधित अन्य मामलों पर अब विचार किया जा सकता है।"

डा० रामा राव (काकिनाडा) : इस विधेयक पर विचार करने के पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि सरकार भाषावार राज्यों के निर्माण करने की लोकप्रिय मांग के संबंध में हमें सत्याग्रह अथवा अन्य कोई ऐसी ही सीधी कार्यवाही करने के लिये विवश कर रही है। हमारे उत्तरी भारत के मित्र इस समस्या की गम्भीरता पर विचार नहीं कर रहे हैं । यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि भाषावार राज्यों का निर्माण सरकार तथा प्रधान मंत्री के लिये एक कलंक के समान है किन्तु जो देश का द्रुतगामी एवं प्रगतिवादी विकास चाहते हैं वे जानते हैं कि भाषावार राज्यों का निर्माण कितना आवश्यक है । आज हमारे प्रधान मंत्री इस समस्या को बुद्धिवादी एवं जनतंत्रात्मक ढंग से सुलझाने के बजाये उसे टालने का प्रयत्न करते हैं जिसका परिणाम यह निकलता है लोग उस पर उचित कार्यवाही करने के लिये विवश हो जाते हैं ।

मैं कांग्रेस सरकार की इस बुद्धिमतापूर्ण कार्यवाही के लिये अवश्य ही बधाई देता हूं कि उसने बेलारी के उसी भाग को कर्नाटक को दे दिया है। इस संबंध में कर्नाटक के मित्र भी बधाई के पात्र हैं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी उसी प्रकार बुद्धिमानी के कार्य होते रहेंगे ।

यदि सरकार विशाल आन्ध्र, संयुक्त कर्नाटक अथवा संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण की आवश्यकता समझती है तो इसको शीघ्र ही पूर्ण कर देना बड़ा हितकारी सिद्ध होगा । इस से भाषावार क्षेत्रों का पुनर्संगठन हो जायगा किन्तु अभाग्यवश हमारी सरकार में किसी चीज को ठीक समय पर करने की ही तो कमी है ।

वैसे देखा जाय तो मद्रास विधान सभा में इस संबंध में जो मत लिये गये थे वे ६३ इसके विरोध में थे और ६२ पक्ष में किन्तु इन ६३ में ५ आंध्र के अतिरिक्त सदस्यों के भी मत सम्मिलित थे । अतः इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विजयवाडा गन्टूर के विरोध में केवल ५८ मत थे और पक्ष में ६२ ही । इस के अतिरिक्त कांग्रेस के ८ सदस्य जान बूझ कर अनुपस्थित थे जैसी कि अखबारों द्वारा सूचना मिली है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : यह सही नहीं कि आठ कांग्रेसी जानबूझ कर अनुपस्थित थे ।

डा० रामा राव : प्रधान मंत्री इसका विरोध कर सकते हैं किन्तु अखबारों में यही छापा था कि वे विजयवाड़ा-गन्टूर के पक्ष में थे ।

फिर भी यदि आन्ध्र के अतिरिक्त सदस्यों के पांच मत उसमें से निकाल दिये जायें तो आन्ध्र के सदस्य निश्चय ही विजयवाडा-गन्टूर के पक्ष में थे। मैं डा०

कैलाश नाथ काटजू से केवल इसकी पूर्ण सत्यता जानना चाहूंगा और कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के कटाक्ष सुनना नहीं चाहता। आप अपने शब्द वापस लीजिये।

डा० रामा राव : मैं अपने शब्द वापस लेता हूं किन्तु मैंने कहा था कि उन्होंने सत्य कहा था किन्तु पूर्ण सत्य नहीं।

मैं कभी नहीं कहता कि हमारी मांगों को एक दम स्वीकार कर लिया जाये किन्तु मैं चाहूंगा कि विशेषज्ञों के एक आयोग द्वारा इसकी जांच की जाय--आन्ध्र लोगों के द्वारा नहीं वरन उत्तरी भाग के लोगों के द्वारा और उनका अध्यक्ष उच्चत्तम न्यायालय का एक जज होना चाहिये। इस संबंध में कहा यह जाता है कि इस में बहुत समय लग जायगा और हमारे समय तक इस कार्य का होना सम्भव नहीं। यह करोड़ों रुपयों का मामला है। अतः क्या हम इस प्रकार इतनी बड़ी धन राशि हम अपने तामिल मित्रों को दे डालें। अतः क्या हमारे लिये एक अत्यन्त शक्तिशाली आयोग की मांग उचित नहीं।

मेरे मित्र श्री आर० वेंकटारमन इस विधेयक द्वारा स्वीकृत की गई २·३४ करोड़ रुपये की राशि भी देने के पक्ष में नहीं हैं। मैं भी इस राशि को तब तक लेने के पक्ष में नहीं हूं जब तक कि आप इस आयोग को नियुक्त नहीं करते।

अब तुङ्गभद्रा का प्रश्न आता है। मैं एक तुङ्गभद्रा निगम के निर्माण के संबंध में किये गए निवेदन की ओर संकेत कर रहा हूं। इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय सरकार दो वर्ष पश्चात् ही कोई कार्यवाही करेगी यदि संबंधित सरकारें कोई समझौता नहीं कर सकेंगी।

मैं ने तुङ्गभद्रा के संबंध में यह कभी नहीं कहा कि इसे आन्ध्र को दे दिया जाय इस लिये कि इसका अधिकतर लाभ आन्ध्र को होता है। म समझता हूं कि मैंने युक्तियुक्त बात कही है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने के पूर्व ही इस ओर कदम उठाये।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जैसा कि यह विधेयक है इस के अनुसार राष्ट्रपति का तुङ्गभद्रा योजना पर नियन्त्रण रहेगा जब तक कि दो वर्षों में समझौता पूरा नहीं हो जाता। यदि इसी बीच समझौता हो गया तो वह लागू कर दिया जायगा। यदि समझौता नहीं होगा, तो राष्ट्रपति ऐसे ही निदेश जारी करता रहेगा जैसा कि आज करता है। आज नियन्त्रण राष्ट्रपति के हाथ में ही है।

डा० रामा राव : दो वर्ष तक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इस बीच आपस में झगड़े होते रहेंगे। अतः मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार एक आयोग या निगम बना दे और इस प्रकार प्रबन्ध कर दे कि जिस से मैसूर तथा आन्ध्र दोनों के साथ न्याय हो सके।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) : मै माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करने और इसे प्रवर समिति के पास भेजने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने से पूर्व मैं अपने मित्र डा० लंका सुन्दरम द्वारा दिए गए गलत वक्तव्य के सम्बंध में कहना चाहता हूं जिस में उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्णय के विरोध में तीन मंत्री तथा वहां उपस्थित सब आंध्र

[श्री नटेशन]

सदस्य निर्गमन कर गए। यह गलत है। वहां उपस्थित मंत्रियों में से श्री रंगा रेड्डी और श्री कृष्ण राव विधान सभा के सदस्य नहीं। संभवतः उन्होंने सोचा कि यदि मतदान का प्रश्न उठा तो उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। यह ठीक है परन्तु वे मन्त्रिमंडल म संकट की स्थिति ला सकते थे। मैं नहीं समझ सका कि डा० सुन्दरम ने सभा में ऐसा वक्तव्य कैसे दिया।

आंध्र राज्य के निर्माण में बहुत बाधाएं उपस्थित हुई हैं। एक कठिनाई यह रही है आन्दोलन के नेताओं ने अवशिष्ट प्रदेश के पहले के मित्रों और साथियों के विरुद्ध निरंतर दुर्भावना और संदेह प्रगट किया है। माननीय सदस्यों ने यह बताने का प्रयास किया है कि मद्रास राज्य आंध्र की उपेक्षा करता रहा है। मैं विद्युत के विकास के सम्बंध में सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि आंध्र के लिए कुछ नहीं किया गया। मचकुंड योजना १०२,००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न करेगी। तुंगभद्रा विद्युत योजना में ३०,००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न की जानी है, विज़गापटम, काकीनाडा और विजयवाडा के बिजलीघरों का विस्तार किया गया है। विज़गापटम में ६,००० से १२,०००, विजयवाडा में ३००० से ६००० और काकीनाडा में ५०० से १००० किलोवाट बिजली का उत्पादन होने लगा है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम): क्या मैं यह बताने के लिए बाधा डाल सकता हूं कि वांचू प्रतिवेदन में यह लिखा है कि १९२० से सब मुख्य विद्युत योजनाएं अवशिष्ट प्रदश में बनाई गई हैं। कुल राज्य में ६७२० लाख यूनिट बिजली होती है जिस में से ४२० लाख यूनिट नए राज्य में उत्पन्न की जाती है।

श्री नटेशन: मैं जस्टिस वांचू नहीं हूं परन्तु मैं जो कह रहा हूं वह प्रति शब्द ठीक है। करनूल, कुडप्पा, नन्दियाल और मदनापाले थरमल स्टेशन भी हैं। आप १३५,००० किलोवाट तक विद्युत उत्पन्न करने वाले हैं जिस से राज्य समृद्ध शाली बन जायगा।

उद्योग के सम्बन्ध में लीजिए। विजयवाडा में सीमेंट उद्योग है और श्री कोथा सूर्य नारायण राव ने लोहा पिघलाने की भट्टी स्थापित की है। राजमुन्द्री में काग़ज़ का कारखाना, विजगापटम में जहाज़ का कारखाना और कुडप्पा में मैगनीज़, वैराईट्स तथा लोहे की कच्ची धातु के उद्योग हैं। आन्ध्र में किस बात की कमी है। कल श्री रघुरामय्या कह रहे थे कि मचकुंड योजना उस समय आरम्भ की गई है जब मूल्य बहुत अधिक हैं, इस से क्या अभिप्राय है?

[**श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन** अध्यक्ष पर आसीन हुई]

आज भी मूल्य अधिक हैं परन्तु क्या मद्रास राज्य नई योजनाएं आरम्भ नहीं कर रहा और क्या करोड़ों रुपया भाखड़ा नंगल और दामोदर इत्यादि पर नहीं व्यय हो रहे हैं?

श्री रघुरामय्या ने श्री वेंकटरामन के उद्धरणों की ओर निर्देश करते हुए आंध्र तथा अन्य क्षेत्रों में सिंचाई पर हुए व्यय के आंकड़े बताए। तब उन्होंने कहा कि तामिलनाद में व्यय तब किया गया जब मूल्य कम थे परन्तु तुंगभद्रा परियोजना का आरम्भ उस समय हुआ जब मूल्य अत्याधिक हैं। इस के लिए तामिल-जन उत्तरदायी नहीं हैं वरन यह उत्तरदायित्व

अंग्रेज़ों का है । गत तीस वर्षों से मद्रास का प्रशासन कौन चला रहा है । आरम्भ म पनागल के राजा सत्तारुढ़ थे फिर श्री मुनिस्वामी नायडू आए तत्पचात् बाबली के राजा थे । सब ही तो आंध्रजन । कांग्रेस के सत्ता प्राप्त करने पर श्री प्रकाशम राजस्व मंत्री थे । राजा जी के मंत्रिमंडल में कितने आंध्र प्रदेश के मंत्री हैं ? वे सब आंध्र प्रदेश की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। मद्रास के सर्वधा तामिल क्षेत्रों में तैलगू घुसते रहे हैं और सभी दिशाओं में अपना स्थान बनाते रहे हैं । अब हम देखते हैं कि कुछ आंध्रजन आंध्र राज्य के नव स्थापन के शूभ अवसर पर मद्रास नगर के लिये मूर्खता-पूर्ण मांग कर रहे हैं । इस में मैत्री की भावना नहीं ह ।

भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन पर मुझे खेद है क्योंकि केवल अविभाज्य संगठित और सशक्त भारत ही आज के विश्व का सामना कर सकता है ।

कुछ संशोधनों को छोड़ कर प्राय: मद्रास के विधान मंडल द्वारा बनाया गया मूल विधेयक ही हमारे समक्ष है । तामिलनाद के नेताओं के विरुद्ध निरर्थक आरोप लगाए गए हैं और अन्तिम स्थिति में ंध्र के सभासदों का सभा छोड़ कर चला जाना भी अर्थहीन था ।

अब मैं कुछ खंडों के विषय में कहूंगा । मेरे मित्र रघुरामय्या ने कहा है कि चिंगलीपट ज़िले में कई गांव तैलुगू भाषा भाषी हैं और वे आंध्र राज्य में आना चाहते हैं। उन्होंने विशेषत: पोन्नेरी की ओर निर्देश किया है । वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मैं वहां के लोगों को जानता हूं । ो लोग आंध्र में जाना चाहते हैं हमें उन पर कोई आपत्ति नहीं । श्री रघुरामय्या तैलुगू राज्यों को आंध्र राज्य में लाने के लिए सीमा आयोग की मांग करते हैं । नेलोर जिला तथा ज़िला चित्तूर के तिरुतन्नी तथा पूथुर ताल्लुकों में तामिल बहुसंख्या में ह । वे क्षेत्र मद्रास को मिलने चाहियें । हम नहीं चाहते कि आंध्रजन तामिल क्षेत्रों में अपनी इच्छा के विरुद्ध रहें अथवा तामिल-जन अपनी इच्छा के विरुद्ध आंध्र राज्य में रहें । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सीमा आयोग यथाशीघ्र बनाया जाए ।

खण्ड ४८ ठेकों के सम्बंध में है । जिन ठेकों का अवशिष्ट राज्य से कोई सम्बंध नहीं है परन्तु जो केवल आंध्र अथवा मैसूर राज्य के लिए नहीं हैं उनका उत्तरदायित्व मद्रास राज्य पर रहेगा । मैं मचकुंद विद्युत् परियोजना के सम्बंध में विचार कर रहा हूं । सरकार को इस स्थिति का निरीक्षण करना चाहिये ।

अब मैं २३० लाख रुपये दिए जाने के सम्बंध में किए गए उपबंध के विषय में कहता हूं ।

सभापति महोदय : अब आप के पास केवल दो मिनट हैं ।

श्री नटेशन : मैं नहीं समझता कि हमें यह राशि क्यों देनी चाहिये । वे स्वयं अलग हो रहे हैं । मैं नहीं जानता कि श्री जस्टिस वांचू ने राशि के ये आंकड़े किस प्रकार निकाले हैं । उन्होंने किसी अज्ञात कारण से कोई विशेष आंकड़ा स्वेच्छा से लिया और उसका दुगना कर दिया और इस का ३६ प्रतिशत आंध्र राज्य को दिए जाने वाला प्रतिकर निर्धारित कर दिया । मैं इस गणना को नहीं समझ सका ।

खण्ड ५१ के अधीन राष्ट्रपति को अस्तियों और दायित्व के निर्णय को

[श्री नटेशन]

बदलने का अधिकार दिया गया ह । इस के अतिरिक्त आस्तियों और दायित्वों के वितरण को पुनः आरम्भ करने के लिए कालावधि विहित नहीं की गई ।

विधेयक का खण्ड ४७ (२) खण्ड ५१ से मेल नहीं खाता । खण्ड ४७ (२) में इस बात का उपबंध है कि आस्तियों और दायित्वों के वितरण के सम्बंध में झगड़ा होने पर झगड़े का निर्देश राष्ट्रपति को किया जाएगा और उस का निर्णय अन्तिम होगा । क्या उसी मामले को खण्ड ५१ के अधीन पुनः आरम्भ किया जा सकता ह ? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मैं आशा करता हूं कि जैसे ही आंध्र का नया राज्य जन्म लेगा, सारी कटुता लुप्त हो जायगी तथा उस का स्थान सद्भावना तथा सहयोग ले लेंगे ।

अन्य भाषावार प्रान्तों के निर्माण के प्रयत्न किये जा रहे हैं । करनाटक की जनता तो सत्याग्रह करने की बात भी कह रही है । अन्य भाषाभाषी दल, जिन में मलयाली भी सम्मिलित हैं, अपने प्रान्त चाहते हैं । प्रान्तों के निर्माण के सम्बन्ध में भाषा न तो मुख्य बात है और न सब से महत्वपूर्ण बात हैं आर्थिक रूप से उन का अस्तित्व संभव है या नहीं, भौगोलिक एक्य, राज्य का परिमाण तथा जनसंख्या तथा उन की एक रूपता—ये सभी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि भाषा है । यदि यह विचार इस विश्वास पर आधारित है कि एक भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषियों से न्याय की आशा नहीं कर सकते तो मैं इस का विरोध करता हूं । हम बहस की गर्मागर्मी में यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक भाषावार प्रान्त में, अन्य भाषाएं बोलने वाले अल्पमत, रहेंगे । यदि यही सिद्धान्त है तो इन अल्पमतों को कैसे विश्वास हो सकता है कि उन के साथ न्याय किया जायगा ? धर्म के सम्बन्ध में ऐसे ही विचारों के अधार पर भारत का बटवारा किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ आप सभी जानते हैं । अतः भाषा को लेकर उसी प्रकार की संकीर्णता को जन्म देना अत्यन्त घातक होगा ।

इसीलिये मैं इस से सहमत नहीं हूं कि बेलारी या अन्य किसी स्थान का प्रश्न जनमत से तय किया जाय । इस के आत्म-निर्णय का कोई प्रश्न नहीं है । सीमाओं का निर्धारण निष्पक्ष उच्चाधिकार आयोग द्वारा किया जाना चाहिये जो न केवल भाषा वरन् अन्य सभी बातों पर विचार कर के इन प्रश्नों का निर्णय करे । सरकार के सामने समस्या तो आन्ध्र राज्य के निर्माण की थी परन्तु सरकार ने जो आन्ध्र विधेयक बनाया है उस के उद्देश्यों में लिखा है कि इस विधेयक का उद्देश्य है, "आन्ध्र राज्य का निर्माण करना, मैसूर राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना, तथा मद्रास राज्य के क्षेत्रफल को घटाना तथा इन से सम्बन्धित अन्य बातों का प्रबन्ध करना" मेरी समझ में नहीं आता कि इस में किसी के क्षेत्रफल का घटाना या बढ़ाना या मैसूर राज्य का विचार यह कैसे आ गया । सारे आन्ध्र में तुंगभद्रा परियोजना ही, सारे आन्ध्र की, एक मात्र महत्वपूर्ण सिंचाई तथा जलविद्युत् की योजना है । इस का मुख्य कार्यालय एक राज्य में होगा तथा इस का लाभ दूसरे राज्य को होगा । अवशिष्ट राज्य तथा आन्ध्र राज्य दोनों में ही आपदग्रस्त क्षेत्र हैं तथा सीमा आयोग को इस सारे प्रश्न का हल निकालना होगा ।

अस्तियों तथा दायित्वों के विभाजन के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के आधार पर इन का विभाजन अविकसित क्षेत्रों के लिये और भी श्रेयकर है तथा इस सम्बन्ध में आन्ध्र राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है । मुझे प्रसन्नता है कि आन्ध्र राज्य में कोई द्वितीयक सदन नहीं होगा । मैं एक बार फिर कामना करता हूं कि आन्ध्र का नया राज्य पूर्ण रूप से सफल हो ।

अन्त में मैं इस महान् देशभक्त पोट्टी श्रीरामुलु को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन का बलिदान अधिकारियों के अन्तःकरण को जागृत करने के लिये आवश्यक था ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू): चालीस वर्ष से आन्ध्रवासियों की इच्छा रही है कि उन का अपना प्रान्त हो, जिस की राजधानी मद्रास हो या मद्रास उन की तथा तामिल भाईयों की संयुक्त राजधानी हो । कुछ भी हो हमें प्रान्त मिल गया और न केवल आन्ध्र जनता तथा आन्ध्र नेताओं के त्याग का फल वरन् हाल की पोट्टी श्रीरामुलु के महान त्याग का फल है । आन्ध्र राज्य के लिये उन का बलिदान एक प्रकाश स्तम्भ के समान है जो कि चारों ओर कठिनायों से घिरा हुआ है ।

हमें अन्यायपूर्वक मद्रास से वंचित रक्खा गया है मद्रास विधान सभा का भी हम लाभ नहीं उठा सकते, बेलारी मैसूरवासियों को दे दिया गया है तुंगभद्रा का सारा संचालन श्री हनुमन्थिया तथा उनकी सरकार के हाथ में रहेगा; अब हम दिल्ली आये हैं और मांगते हैं कि कम से कम एक आयोग की नियुक्ति की जाय जो अस्तियों तथा दायित्वों के प्रश्न पर विचार करें तो प्रधान मंत्री, गृहकार्य मंत्री तथा सारा मन्त्रिमण्डल कहता है कि यह असंभव है । आप जो कुछ देते हैं, हम ले रहे हैं और हमें प्रसन्नता है कि हम कम से कम यह तो प्राप्त कर सके हैं जो आप पहले देने को तैयार नहीं थे।

हम अपना राज्य इन सारे विघ्नों के साथ आरम्भ कर रहे हैं । परन्तु हम में विश्वास तथा साहस है कि हम इस राज्य का संचालन कर सकगे पर केन्द्रीय सरकार ने कौन से अपराध के लिये हमें इस प्रकार दण्डित किया है । मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं । आन्ध्र देश भक्ति में सब से आगे रहा है । यदि वह भी अन्य भाषावार क्षेत्रों के समान सर साईमन को चाय पार्टी देता तो उन को उन का प्रान्त न जाने कब मिल गया होता परन्तु उन की देश भक्ति के लिये उन को दण्ड दिया जा रहा है । यदि आज १९१७ या १९२१ होता तो मद्रास आंन्ध्र नगर होता और तामिल केवल हमारे अतिथि होते । सौ वर्ष पूर्व मद्रास शहर का प्रत्येक इंच आन्ध्र था तथा सौ वर्ष बाद मद्रास शहर फिर आन्ध्रवासियों के हाथ में होगा ।

इस सम्बन्ध में मुझ एक ही बात बतानी है वह यह कि आन्ध्रवासियों के साथ जैसा व्यवहार किया गया वह बहुत ही खराब है । आन्ध्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली है केन्द्रीय सरकार या कांग्रेस दल । स्वतत्रंता के स्वागतम में उसी दल का सब से अधिक समर्थन आन्ध्र वासियों ने किया । आन्ध्र वासियों ने सब से आगे बढ़कर स्वतत्रंता के युद्ध में भाग लिया, उस की औरतों ने दक्षिण में स्वतत्रंता संग्राम का नेतृत्व किया, उन्होंने संगीनों का सामना किया ; अपनी जानें गवांई, जेल गये, अपनी ज़मीनें जब्त कराई,

[श्री बी० एस० मूर्ति]

जेलों में उन की मृत्युएं हुईं परन्तु जब बांटने का अवसर आया, तो उन से कह दिया गया कि तुम्हारे अन्दर एक्य नहीं है, तुम्हारे पास कोई नता नहीं है। तुम को कुछ नहीं मिलेगा।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृहकार्य मंत्री से एक दो निवेदन करना चाहता हूं। पहला तो आस्तियों तथा दायित्वों के विभाजन के सम्बन्ध में है। आन्ध्र-वासियों म इस बात का सन्देह पाया जाता है कि मद्राम सरकार ने जो हिसाब किताब दिया है वह स्वीकार्य नहीं है, यहां तक कि वे लोग भी, जो विभाजन समिति में थे, यह नहीं कहते ह कि मद्रास राज्य सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं वे विश्वासनीय हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इन सन्देहों को दूर करने के लिये, एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाय जिस म किसी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो जो एक दो मास में इस विषय पर अपना प्रतिवेदन तैयार करे। यह मांग बहुत उचित है तथा केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इसे मान ले।

अब मैं कुछ शब्द कामी रेड्डी के व्रत के सम्बन्ध म कहना चाहता हूं। जिस क्षेत्र के सम्बन्ध में व्रत किया गया है उस की जनसंख्या एक लाख बीस हजार होगी जैसा मेरे मित्र श्री राघवाचारी ने बताया जस्टिस मिश्रा इस बात के लिये उत्सुक थे कि बंगलौर जावें, अपना प्रबन्ध करें, प्रतिवेदन लिख डालें तथा उसे दिल्ली भेज कर स्वीकृत करालें। वांचू प्रतिवेदन दो तीन मास तक पड़ा रहा, उस को प्रकाशित कराने के लिये संसद म बार बार प्राथना की गई। फिर भी जस्टिस वांचू ने जो भी सिफारिशें की थीं उन का कोई ख्याल नहीं किया गया। यह प्रश्न ऐसा है जो बिना जनमत के तय नहीं किया जा सकता है। मोका, रुपान गुडी तथा बेलारी (जिस में बेलारी नगर भी सम्मिलित है) इन स्थानों पर कोई विचार नहीं किया गया बल्कि सारा क्षेत्र भेंट स्वरूप मैसूर राज्य को दे दिया गया।

मैं इस के सम्बन्ध में एक बात कह देना चाहता हूं। मैं एक इंच भी ऐसी भूमि नहीं लेना चाहता हूं, जहां बहुमत आन्ध्र वासियों का न हो। उदाहरण के लिए चित्तूर में कोई भाग नहीं चाहता यदि, जैसा श्री नटेशन का कहना है, वहां बहु-मत तामिल बन्धुओं का है और यदि यही कथन नेलोर के सम्बन्ध में सत्य है तो मैं उस में से भी कोई भाग नहीं चाहता। परन्तु पोन्नर इत्यादि के ताल्लुक में तेलुग भाषाभाषी कुछ क्षेत्र हैं, उन को हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन को स्वयं चाहिए कि वे कहें कि यह तेलुगु क्षेत्र हैं यह आप ले लें यह तामिल क्षेत्र हैं यह हमें दे दें। इसी प्रकार श्री हनुमन-थईय्या बेलारी लेने को बहुत उत्सुक है तथा चाहते हैं कि तुंग-भद्रा परियोजना के सम्बन्ध में भी अधिकार उन्हीं का हो। उन को चाहिए कि वे स्वयं सोने की खानों का कोलार क्षेत्र हमें दे दें क्योंकि कोलार ज़िला तेलुगु क्षेत्र है। अतः इस प्रकार के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए हमें सीमा आयोग की राह नहीं देखनी चाहिए। अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि मोका, रुपानगुडी तथा बेलारी इन तीन ज़िलों के सम्बन्ध में जनमत लिया जाय। आन्ध्र वासियों का विचार है कि जस्टिस मिश्रा ने उन के साथ

न्याय नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र राज्य से सभी अच्छी चीजें छीन ली हैं तो कम से कम दो बातें तो मान ही लेना चाहिये—इन क्षेत्रों में जनमत का संग्रह कराना चाहिए। तथा आस्तियों व दायित्वों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त करना चाहिए। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम): मद्रास सरकार के विरुद्ध तथा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध पक्षपात आदि के आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में डा० लंका सुन्दरम का भाषण विशेषरूप से उल्लेखनीय है। मैं इस धारणा का खण्डन करना चाहता हूं कि आन्ध्र के साथ न्याय नहीं किया गया है अथवा उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई गई है। माननीय सदस्यों ने अपनी शिकायतों के समर्थन में वांचू रिपोर्ट पेश की। मैं भी इस रिपोर्ट का आ य लेकर निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायाधीश वांचू ने निश्चित रूप से यह कहा है कि शेष मद्रास राज्य ने आन्ध्रवासियों के साथ न्याय किया है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ ३३ पर निर्माण का ी पर पूंजी व्यय १११ करोड़ रुपये दिखाया गया है जिस में से ४२ करोड़ रुपये आंध्र राज्य में लगा है तथा ६७ करो रुपये शेष मद्रास राज्य में लगा है। तो जन-ंख्या के समानुपात को, जो कि ३६ : ६४ है, दृष्टि में रखते हुए आन्ध्र वालों को वाजबी हिस्से से कुछ ज्यादा ही मिला है। किन्तु हम इस पर आपत्ति नहीं करते हैं।

आन्ध्र वालों ने श्री वांचू के समक्ष यह अभ्यावेदन पेश किया था कि गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा स्कीमों पर केवल १२ करोड़ रुपये लागत आई है जब कि मद्रास राज्य को इस से ३२ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में श्री वांचू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस बात की सम्भावना है कि यह धन-राशि रायलसीमा पर खर्च की गई होगी। रायलसीमा ायः घाटे का प्रदेश रहा है तथा अब यह आन्ध्र राज्य का एक ाग है।

मद्रास नगर का प्रतिकर देने के सम्बन्ध में जो तर्क दिया गया है, उसे मैं समझ नहीं सका हूं। न्यायाधीश वांचू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संगत कालावधि में जब कि यह इमारतें मद्रास नगर में बनाई गई थीं, आन्ध्र प्रदेश घाटे का देश नहीं था। इसलिए उसे इनका प्रति-कर मिलना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि यह संगत कालावधि क्या है। मद्रास नगर क्लाइव के ज़माने से बनना शुरू हुआ है।

दूसरी बात यह है कि अचल सम्पत्ति की कीमतें इस समय १९४९ की कीमतों से २५ प्रतिशत कम हैं। विभाजन समिति ने १ क ोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी। इस में भी अब २५ प्रतिशत कमी की जानी चाहिए थी। परन्तु कुछ भी हो श्री वांचू ने कहा है कि नये राज्य को २·३४ करोड़ रुपया मिलना चाहिए। सद्भावना की खातिर हम इस पर भी आपत्ति नहीं कर रहे हैं।

आस्तियों तथा दायित्वों के बंटवारे के बारे में केन्द्रीय सरकार पर पक्षपात् के आरोप लगाए गए हैं। मुझे इस पर अचम्भा हुआ। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने केवल न्यायाधीश बांचू के निर्णय को अंगीकार किया है तथा इसे सातवीं अनुसूची के खण्ड १ में निगमित किया है।

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

मेरे माननीय मित्र खंड ३ पर, जिस का सम्बन्ध अवितरित भंडारों से है, बोले हैं। मुझे मालूम नहीं कि क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नये परन्तुक को भी देख लिया है। इसका आशय जानबूझ कर आन्ध्रों के हितों की रक्षा करना है। इसके अनुसार विशिष्ठ उद्देश्यों तथा कार्यों के लिए जो भंडार रखे गये हैं उनका आन्ध्र राज्य उपयोग कर सकेगा।

खंड ७ तथा ८ के अन्तर्गत हमें और अधिक धन मिलना चाहिए था। वित्त आयोग ने आयकर के वितरण के लिए विभिन्न आधार दिया है। वित्त आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सिद्धान्तों के अनुसार हमें अधिक मिलना चाहिए। किन्तु हम इस पर भी आग्रह नहीं कर रहे हैं।

बताया गया है कि इस प्रश्न की जांच के लिए एक वित्त आयोग अथवा एक उच्च-शक्ति वाला आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। आखिर, वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ७६ पर राज्यों में आस्तियों के वितरण के ७ प्रकार दिए हैं तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आय-कर के वितरण का सब से उत्तम ढंग यह है कि उसे जन संख्या के आधार पर वितरित किया जाये। दूसरा कमीशन चाहे वह कितना ही बड़ा अथवा छोटा क्यों न हो, इससे अधिक क्या कह सकता है। हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं यद्यपि हम इस तरह से घाटे में हैं। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, और हम मित्रों की तरह अलग होना चाहते हैं।

१९४७ के संकल्प के अनुसार हमें सड़क निधि में से कुछ लाख रुपये और अधिक मिलने चाहिए थे। परन्तु हम इस पर भी आग्रह नहीं करते हैं। हम आन्ध्र राज्य को यह आभास नहीं होने देना चाहते कि हम निष्पक्ष नहीं हैं।

अन्त में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी एक ही सभ्यता है, एक ही संस्कृति है तथा एक ही इतिहास है। हम सभी भारतीय हैं। हमें प्रान्तीयता को महत्व नहीं देना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब असरकारी विधेयकों आदि पर चर्चा करेगा।

प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों की पुरःस्थापना

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित किया जाना है, उन्हें केवल इसलिए रोका गया है कि कुछ विधेयकों का अभी निवारण किया जाना बाकी है। इस मामले पर नियम समिति में भी विचार किया गया है। हम आप से प्रार्थना करते हैं कि इन विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये जिस से कि हमें अपनी शिकायतें प्रकट करने का मौका मिले। इन विधेयकों का समाज-सुधार तथा श्रम कल्याण आदि से सम्बन्ध है। तथा इन पर सदन का मतैक्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे केवल इस कारण से टालता रहा हूं कि शलाका के सम्बन्ध में इन्हें भी पुराने विधेयकों के साथ शामिल करना पड़ेगा तथा इस तरह से उन के विचारार्थ प्रस्तुत होने के अवसर कम हो जायेंगे। दूसरा कारण यह है कि

सरकार के पास बहुत से विधेयक पड़े हुए हैं जिनके लिए कि उन्हें तैयारी करनी पड़ती है यद्यपि ऐसा भी हो सकता है कि यह कभी भी सदन के सामने बिल्कुल ही न आयें । नियमों में फ़ेर बदल करने का भी सुझाव दिया गया था । नियम समिति विधेयकों के महत्व को ध्यान में रख कर इनका श्रेणीकरण कर सकती है ।

जिन विधेयकों को वैधिक रूप से पूर्व-वादिता प्राप्त हुई है, उन पर होने वाली चर्चा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठाने नहीं दी जायेगी ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । दो विधेयक (संख्या २९ तथा ३९) भारत के संविधान में संशोधन करने के विचार से प्रस्तुत किये गये हैं । एक का सम्बन्ध विधान परिषदों तथा दूसरे का सम्बन्ध राज्यपालों की नियुक्ति से है । मैं आप से सविनय प्रार्थना करता हूं कि इन दो विधेयकों को नये नियमों के बनने तक पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाये । मैं समझता हूं कि नियम समिति ने कल ही कुछ नियमों को स्वीकृत किया है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जहां तक मद ४६ का सम्बन्ध है, हम स्व इसी आधार पर एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार रखते हैं । इसलिए माननीय सदस्य को इसे इस समय पुरःस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मद ४९ के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है तथा इस बारे में एक न्यायक विधान प्रस्तुत करने का विचार रखती है । अखिल-भारत राज्य रजिस्टर रखने का तथा मैडिकल लाइसनसेटों के प्रतिनिधित्व देने का सिद्धान्त मान लिया गया है । भारतीय भेषज-पुस्तक के सम्बन्ध में सरकार ने पहले ही एक समिति नियुक्त की है । इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करती हूं कि वह इस विधेयक को प्रस्तुत न करें ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : विधेयक नम्बर ६४ के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम स्वयं श्रम विवाद अधिनियम तथा कार्मिक संघ अधिनियम के मामलों के सम्बन्ध में एक संयोजित विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । इसी तरह से हम मजूरी भुगतान अधिनियम के संशोधन के सम्बन्ध में भी एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । अतः नम्बर ६३ तथा नम्बर ६४ को पुरःस्थापित करने की अनुमति न दी जाये ।

श्री नम्बियार : मेरे माननीय मित्र रेल उपमंत्री ने तथा माननीय श्रम मंत्री ने मेरे विधेयकों के प्रति जो रवैया धारण किया है उसे मैं समझ नहीं सका हूं । यह कोई विवादास्पद विषय नहीं है । यदि सरकार इस सम्बन्ध में अपने विधेयक पेश करेगी तो हम न केवल उनका समर्थन करेंगे अपितु अपने विधेयक वापस ले लेंगे । इसलिए इन विधेयकों को पुरःस्थापित करने में सरकार को इस समय कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री अलगेशन : मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि काम के समय के बारे में विनियम पहले ही मौजूद है । केवल उन्हें संविहित रूप से अभिज्ञात रखना है । हमारे पास इस विषय पर एक विधेयक तैयार है । अतः माननीय

[श्री अलगेशन]

सदस्य को अपना विधेयक प्रस्तुत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं।

श्री काजमी (ज़िला सुलतानपुर—उत्तर व ज़िला फैज़ाबाद दक्षिण—पश्चिम) : मुझे बताया गया था कि आज जो विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे उन्हें पिछले विधेयकों पर पूववर्तिता प्राप्त नहीं होगी। मैं ने केवल इसी शर्त पर उन्हें पुरःस्थापित करना मान लिया था। मुझे मालूम नहीं कि क्या उस स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है। म ने यह भी कहा था कि इसके लिए नियमों में कोई परिवर्तन करना होगा अथवा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। यह बात मान ली गई थी।

सरदार ए० एस० सहगल : में अपने विधेयक को वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पृथक् शलाका पद्धति के लिए अभी नियम नहीं बनाये हैं। यह उद्देश्य और भी एक ढंग से पूर्ण हो सकता है। अगली बार जब ऐसे विधयक प्रस्तुत किय जायेंगे तो इन्हें महत्वपूर्ण विधेयकों के निवारण के समय तक हाथ में नहीं लिया जायेगा नियमों के अन्तर्गत मुझे इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं। हमारी आपस में यह व्यवस्था हो सकती है कि जब किसी विधेयक के प्रस्तुत किये जाने पर कोई आपत्ति न हो तो उसे प्रस्तुत किया जाये और जब किसी के प्रस्तुत किये जाने पर कोई आपत्ति हो तो मैं उसे सदन के समक्ष नहीं रखूंगा।

श्री नम्बियार : इस सदन की कार्य प्रणाली कभी भी ऐसी नहीं थी। संवैधानिक कठिनाई को तो हम समझ सकते हैं किन्तु जहां तक अन्य विधेयकों का सम्बन्ध है उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को कोई भी विधेयक सदन में पेश करने का अधिकार है। परन्तु इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना सदन के हाथ में है। इसलिए में केवल ऐसे विधेयकों आदि को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दूंगा जिस पर कि कोई आपत्ति न हो।

अब हम पुरःस्थापन कार्य को हाथ में लेते हैं।

महिला तथा शिशु संस्था अनुज्ञापन विधेयक

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा—दक्षिण) : महिलाओं तथा शिशुओं की देखभाल करने वाली संस्थाओं का विनियमन तथा अनुज्ञापन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का मैं प्रस्ताव करती हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया।]

श्रीमती मणिबन पटेल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय से सम्बंधित अन्य विधेयक श्रीमती मणिबेन पटेल के प्रस्ताव से अवरुद्ध हो जाते हैं।

अपहृत स्त्रियों का विक्रय तथा चकला निरोध विधेयक

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा—दक्षिण): मैं अपहृत स्त्रियों का विक्रय तथा चकला निरोध से सम्बन्धित कानून का उपबन्ध रखने वाले तथा उसे संयोजित करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव करती हूं।

[उपाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन ने इस स्वीकृत किया]

श्रीमती मणिबन पटेल : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

प्रशिक्षण तथा नियोजन विधेयक

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियोजन तथा नियोजन के लिये प्रशिक्षण का उपबन्ध करने तथा एक व्यापक युवक नियोजन सेवा स्थापित करने के लिये एक विधेयक पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : क्योंकि शिवा राव समिति इस समय इन विषयों पर विचार कर रही है, अतः मैं अपने मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वह इस समय यह विधेयक न रखें ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं नहीं समझता कि विधेयक के पुरःस्थापित हो जाने से कोई नुकसान होगा । न जाने शिवा राव समिति का प्रतिवेदन कब मिले । अतः मैं विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि इसका विरोध किया जा रहा है, अतः मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता । संख्या २४ अवरोधित है । संख्या २५ ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेंषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं विधेयक संख्या २५ का विरोध तो नहीं करता, परन्तु यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं एक विधेयक प्रस्तुत करना चाह रही है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : संख्या २३ के बारे में क्या रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसके पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसका विरोध किया गया है । अब आय विधेयक संख्या २५ को लीजिये ।

संसद पुस्तकालय विधेयक

प्राकृतिक संसांधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मुझे आशा है कि विधेयक संख्या २५ के सम्बन्ध में मैं ने जो कुछ कहा वह माननीय सदस्य ने सुन लिया है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद के लिये एक आधुनिकतय तथा विशाल पुस्तकालय स्थापित करने का उपबन्ध करने के लिय एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हु तथा स्वीकृत हुआ ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संख्या २६—माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं । संख्या २७ की कोई आवश्यकता नहीं है ।

वनस्पति निर्माण तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक

श्री झूलन सिन्हा (सारन उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में वनस्पति के निर्माण तथा विक्रय के प्रतिषेध का उपबन्ध करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति है ।

संख्या २९—इसका विरोध किया गया है । संख्या ३० एक अन्य विधेयक की पुरःस्थापना से अवरोधित हो गया है । संख्या ३१—माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं । संख्या ३२ अवरोधित है ।

सैनिक निवृति-वेतन विधेयक

डा० एन० बी० खरे (गवालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सैनिक कर्मचारियों को साधारण निवृत्त-वेतन, अंगहानि निवृत्ति वेतन, परिवार निवृत्ति-वेतन और विशेष निवृत्ति-वेतन के प्रदान को विनियमित करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

डा० एन० बी० खरे मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विदेशी राज्यों से खिताब तथा भेंट स्वीकार करने के लिए दंड) विधेयक

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी राज्यों से खिताब तथा भेंट स्वीकार करने के लिये डों का उपबन्ध करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का विरोध किया जा रहा है। मैं इसके पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति इस समय नहीं दूंगा। संख्या ३५—माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। संख्या ३६ अवरोधित है।

भारतीय पशुधन सुधार विधेयक

श्री झूलन सिन्हा (सारन उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में पशुधन के सुधार का उपबन्ध करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संख्या ३८ अवरोधित है। संख्या ३९।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह संविधान में संशोधन करने के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका विरोध किया जा रहा है। संख्या ४०, ४१, ४२, अवरोधित हैं। संख्या ४३—माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। संख्या ४४ अवरोधित है।

दहेज निरोध विधेयक

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विवाहों के सिलसिलें में दहेज लेने या देने का निरोध करने तथा उससे सम्बद्ध अन्य बातों का उपबन्ध करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार स्वयं एक विधेयक प्रस्तुत कर रही है।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : क्या हम जान सकते हैं कि सरकार का विधेयक कौन सा है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो एक मौका दे दिया था। अब वह कहते हैं कि

सरकार ही एक व्यापक विधेयक रखने वाली है।

संख्या ४७ तथा ४८ अवरोधित हैं। संख्या ४९ जो कि सरदार ए० एस० सहगल के नाम में है, वापस ले लिया गया।

दंड-प्रक्रिया-संहिता (संशोधन) विधेयक

धारा २६८ आदि का लोप

श्री के० सी० सोधिया : (सागर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड-प्रक्रिया-संहिता १८९८ में आगे संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

भारत दंड-संहिता (संशोधन) विधेयक

(नयी धारा २९४-ख का निवेश)

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हजारीबाग पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत दंड-संहिता, १८६० में आगे संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संख्या ५२—अवरोधित। संख्या ५३—अवरोधित।

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक

(नयी धारा २०-क का निवेश)

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय पंजीयन अधिनियम, १९०८ में आगे संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

हाथकरघा उद्योग (सुधार तथा संरक्षण) विधेयक

श्री एस० बी० रामस्वामी (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हाथकरघा उद्योग के सुधार तथा संरक्षण का उपबन्ध करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं अपने माननीय मित्र से यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में कोई वित्तीय उपबन्ध भी हैं। यदि ऐसा हुआ तो इस विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

श्री एस० बी० रामस्वामी : अच्छी बात है; इसे बाद में ले लिया जाये।

श्री बिस्वास : एक ऐसा ही विधेयक संख्या १५ है। वह नियम विरुद्ध है क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली गई है।

श्री एस० बी० रामस्वामी : यदि इस पर आपत्ति है तो मैं इसे वापस ले लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री से निजी रूप से बातचीत कर सकते हैं। मैं इसे सदन के सामने नहीं रख रहा हूं।

भाग 'ग' राज्य सरकार संशोधन विधेयक

(धारा १, ३ आदि का संशोधन तथा धारा २३ आदि का लोप)

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम, १९५१ में आगे संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : भाग ग राज्यों के सम्बन्ध में कई विधेयक हैं। मैं सबका विरोध करता हूं। मैं उन सब पर एक साथ विचार करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं इस विधेयक को नहीं रख रहा हूं। श्री शिवमूर्ति स्वामी।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संख्या ५८—वैसा ही है जैसा कि ५६। संख्या ५९—अवरोधित है। संख्या ६० भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में है। संख्या ६१—अवरोधित।

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक

(धारा २१ का संशोधन)

श्री एस० बी० रामस्वामी (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय पंजीयन अधिनियम, १९०८ में आगे संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संख्या ६३।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं माननीय श्री गिरि से प्रार्थना करूंगा कि वह इसका विरोध न करें।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मुझे इस विधेयक पर आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : संख्या ६३ और ६४—में नहीं रख रहा हूं।

संख्या ६५—माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। संख्या ६६ अवरोधित है।

विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) संशोधन विधेयक

श्री नामधारी (फाजिल्का—सिरसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम १९५१ में आगे संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री नामधारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

गोवध निवारक विधेयक

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में गायों के वध को रोकने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा १३ मार्च, १९५३ को प्रस्तुत किये गये 'अनाथालय विधेयक' पर आगे विचार जारी करेगा। सके कुछ संशोधन भी रखे गये हैं।

अनाथालय विधेयक—समाप्त

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) हमें देश में अनाथालयों के विकास के प्रश्न पर चर्चा किये कोई चार मास से अधिक समय हो गया । तब से देश के अन्दर तथा बाहर अनेक नई बातें हुई हैं। परन्तु अनाथालयों की दशा वैसी ही है । कारण स्पष्ट है कि इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता । अनाथों की दशा शोचनीय है। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है; फिर भी समाज इन बेचारों की सहायता करने को इच्छुक नहीं है । महान पर्वतारोही तेनसिंह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि यदि एक अनाथ को भी समुचित अवसर दिया जाये तो वह ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल कर सकता है जो आज तक किसी ने न की हो ।

अनाथों की समस्या इतनी जटिल है कि हम इसे सुलझाने में सफल नहीं हो रहे हैं। हम यह कह देते हैं कि देश की निर्धनता के कारण हम इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं। परन्तु कह देने से काम नहीं चलता । यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रत्येक सभ्य देश को चिंता होनी चाहिये। जहां तक इन अनाथालयों का प्रश्न है, हमारा देश अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में अनाथालय पूर्त या धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं; अतः वे समस्या को सुलझाने में तनिक भी सफल नहीं हो सकी । यदि हम दूसरे देशों पर दृष्टि दौड़ायें तो हम देखेंगे कि वहां इस दिशा में बहुत कुछ प्रगति हुई है। उदाहरण के लिये जर्मनी को लीजिये। वहां मैंने यह भावना देखी कि लोग भीख नहीं मांगना चाहते बल्कि यदि उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो वे ऐसे व्यक्तियों से उसकी मांग करना अपना कर्तव्य समझते हैं जो उसे देने की स्थिति में हों। इसके विपरीत हमारे देश में क्या होता है? धार्मिक या निजी अनाथालयों में जो बच्चे रखे जाते हैं वे भीख मांगना अपना पेशा बना लेते हैं। वे ऐसा समझने लगते हैं कि समाज जो कुछ उन्हें देता है उसे पाने का उन्हें अधिकार नहीं है बल्कि यह तो लोगों की मेहरबानी है कि वह उसे कुछ दान देते हैं वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति यहां जन्म लेता है उसके कुछ अधिकार होते हैं अर्थात् ये कि वह अपने समाज से तथा अपनी सरकार से जीवन की परमावश्यकताओं की पूर्ति के लिये मांग कर सके । हमारे देश में अनाथों के इस अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है । प्रारम्भ में अन्य देशों में भी ऐसा ही हुआ था । परन्तु वहां तो सौभाग्य से लोग चेत गये और अनाथों के उस अधिकार को उचित मान्यता प्रदान कर दी गई । बहुत से देशों में तो इस सम्बन्ध में विधियां भी बनाई गई हैं।

इस सिलसिले में मैं संयुक्त राजतन्त्र में प्रचलित 'बालक अधिनियम' (चिल्ड्रेन्स एक्ट) का उल्लेख करना चाहता हूं । इस अधिनियम में इस सामान्य सिद्धान्त पर अमल किया गया है कि अनाथ बालकों को इस बात का अधिकार है कि उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाये । सी प्रकार की विधियां अन्य देशों में भी मौजूद हैं । परन्तु हमारी सरकार ने आज भी यह महसूस नहीं किया कि उसकी अनाथों के प्रति कुछ जिम्मेदारी है । इस समय हमारे देश में राज्य-नियन्त्रित अनाथालयों की अत्यधिक आवश्यकता है; जहां कि अनाथ बालक शिक्षा प्राप्त कर सकें अथवा किसी प्रकार का प्रशिक्षण पा सकें और अपने भावी जीवन को सुधार सकें । मैं

[डा० एस० एन० सिंह]

कहता हूं कि गलियों में डोलते हुए अनाथ बालकों के रूप में देश की प्रतिभा यों ही बेकार जा रही है । इसके लिये हमें कुछ करना चाहिये ।

यह विधि यथाशीघ्र बननी चाहिये । जो बात अन्य देश ५० वर्ष पहले कर चुके हैं उसके लिये हमें कम से कम अब तो सच्चे दिल से प्रयत्न करना ही चाहिये । जब तक हम इस समस्या पर पूर्ण गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे तब तक समाज का स्तर उच्च नहीं हो सकेगा । हो सकता है कि लोग या सरकार इस विधेयक पर अधिक ध्यान न दें क्योंकि यह एक निजी सदस्य का विधेयक है । परन्तु वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिये । इस पर पूर्ण गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि इसी के ऊपर समाज का स्तर निर्भर है ।

अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, और मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार कम से कम इस विधेयक का विरोध नहीं करेगी क्योंकि यह देश के अनाथों का भविष्य सुधारने के लिये अभिप्रेत है ।

श्री राघवय्या (ओंगोल): अनाथ बच्चों के सुधार और विकास के लिये यह विधेयक प्रस्तुत करने पर मैं श्री द्विवेदी को बधाई देता हूं । संविधान के निदेशक तत्वों तथा मूलभूत अधिकारों के कुछ उपबन्धों ने सरकार पर अनाथ बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व रक्खा है । दुर्भाग्यवश शब्द "अनाथ" का प्रयोग किया गया है । मैं इस शब्द के प्रयोग के विरूद्ध हूं । रूस तथा चीन जैसे विदेशों में वे इन्हें अनाथालय के नाम से नहीं पुकारते । वे इन्ह बच्चों की संस्थाएं, बच्चों के स्कूल आदि नाम देते हैं ।

संविधान को कार्य करते तीन-चार वर्ष हो चुके हैं । किन्तु हम देखते है कि इन अनाथ बच्चों की कोई भी पर्वाह नहीं की गई है । देश के विभाजन के बाद से अनाथ बच्चों की समस्या और भी जटिल हो गई है । जिन परिस्थितियों में आज सरकार है, उनमें इन अनाथों की देखभाल का उत्तरदायित्व उसके ऊपर और भी अधिक हो गया है ।

संविधान के एक निदेशक तत्व में इन अनाथों को राहत देने का एक तरीका कुटीर उद्योगों का विकास करना बतलाया गया है । हम जानते हैं कि हथकरघा उद्योग देश के एक बड़े उद्योगों में से है और यह एक संकट की अवस्था से गुजर रहा है । किन्तु आन्ध्र देश के गरीब बुनकरों को अपने बच्चों को बेचने तक पर भी मजबूर होना पड़ा है । कितने ही बच्चे उनके अनाथ हो गए है और कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं । अन्य कुटीर उद्योगों में काम करने वाले बच्चों का भी यही हाल हो रहा है । इन बच्चों को राहत देने का केवल यही तरीका है कि कुटीर उद्योगों का बिकास किया जाए और उन्हें उचित रूप से संगठित किया जाए ।

बड़े शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास आदि में यह आम नज़ारा है कि आप अनेकों परिवारों और अनेकों बच्चों को पटरियों पर रहते हुए देखते हैं । जब मैं गत वर्ष चीन गया तो शंघाई, केंटन अथवा पीकिंग आदि किसी भी शहर में मैं ने बच्चों या बड़ों को सड़क की पटरियों पर सोते या रहते नहीं पाया । अपने यहां हम जब भी किसी बड़े शहर को जाते हैं तो रेलगाड़ी से उतरते ही अनेक बच्चों को पेवमेंट पर सोते-बैठते

हुए पाते हैं। उनकी दशा सुधारने के लिये शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिये।

हमारे देश में अनाथ बच्चे अत्यन्त अमानवीय दशा में रहते ह। संविधान के इतने वर्षों से लागू होने के बाद भी हमारे बच्च उसी दशा में पड़े हुए ह जिसमें कि वे विदेशी शासन के जमाने में थे। आजादी का अर्थ ही क्या है जब तक कि गरीबों को इससे कोई लाभ न हो ?

हमारे अनेक बच्चे ऐसे उद्योगों में काम करते हैं जहां कि बच्चों को काम करना ही नहीं चाहिये, जैसे अभ्रक की खानों में। इन बच्चों पर काम का बहुत भार होने के कारण हमारे देश में बच्चों की मृत्यु-दर बढ़ रही है जब कि अन्य प्रगतिशील देशों में यह कम हो रही है।

इन अनाथ वच्चों के सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के दो पहलू हैं। केवल अनाथालयों के खोलने से काम नहीं चलता। आनाथालयों की संख्या हमारे देश में काफी है। जब तक कि हम उनकी दशा में सुधार नहीं करेंगे तब तक बच्चों की हालत वही रही आएगी। अब समय आ चुका है कि हम जागें और इस प्रकार के विधेयकों को पास करें और उन्हें कार्यान्वित करें। अन्य प्रगतिशील देशों म उनकी आर्थिक समस्या के हल करन के साथ-साथ वच्चों का सांस्कृतिक विकास भी किया जा रहा है। चीन में मैंने दो और तीन वर्ष के बच्चों को बड़े समझदार खल खेलते हुए देखा है और मेरी समझ में नहीं आता कि वैसी ही समझ हम अपने देश के बच्चों में विकसित क्यों नहीं कर पाते। इन अनाथ बच्चों की समस्या का हल हमें गम्भीरता पूर्वक हाथ में लेना चाहिए।

इस विधेयक के खंड ३ में कहा गया है कि अधिनियम के पास होते ही सरकार अनाथालयों का प्रबन्ध अपन हाथों में ले लेगी। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है। उन्हें ठीक प्रकार से चलाना और उनका ठीक प्रबन्ध करना सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिए। सरकार को यह बहाना नहीं लगाना चाहिए कि हमारे पास रुपया नहीं है इसलिए हम उन्हें अपने अंतर्गत नहीं ले सकते।

हमारे राज्यों की सरकारों ने जो शिक्षा-प्रणाली अपनाई है उसके द्वारा तो टेकनीकल शिक्षा के नाम पर वे हमारे देश के विद्यार्थियों और बच्चों का बौद्धिक विकास अवरुद्ध कर रहे हैं। यदि इन बच्चों के लिए भी यही शिक्षा-पद्धति अपनाई गई तो आप उन्हें क्लर्क या कुली ही बना सकेंगे। कौन जानता है कि किसी बालक में प्रतिभा की ऐसी कली छपी हो जो बाद में खिल कर उसे विश्व का एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दे ? इसलिए सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि उनके सर्वांगी विकास के लिए समस्त सम्भावनों को खोल दे।

इस सम्बन्ध म मैं सरकार का ध्यान संविधान के कुछ निदेशक तत्वों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो यदि ठीक तरह क्रियान्वित किए जाएं तो इन बच्चों का पयप्ति विकास हो सकेगा। अनुच्छेद ४३ को लीजिए। विशेष कर इसके ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं : "सरकार ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगी" यह इसलिए और भी अधिक महत्वपूण है कि कुटीर उद्योगों पर, जैसे हथकरघा उद्योग, निर्भर रहने वाले माता पिताओं के वच्चे इन उद्योगों की शिक्षा

[श्री राघवय्या]

पा रहे हैं और ये उद्योग अवनति की अवस्था में हैं ।

फिर अनुच्छेद ४५ के अनुसार : "राज्य, संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ।"

मैं समझता हूं कि इसे अना वच्चों पर भी लागू कर देना चाहिए । संविधान के अनुच्छेद ४७ के अनसार :

"राज्य अपने लोगों के आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने के लिए ....."

हम जानते हैं कि बच्चों तथा बड़ों की मृत्यु संख्या इसलिए बढ़ रही है कि जो जीवन-स्तर हम बिता रहे हैं वह बहुत निम्न है । इसलिए हमें लोगों के आहार-पुष्टि का स्तर ऊंचा करना होगा ।

[**श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुई]

इसी प्रकार अनुच्छेद ३९ में अपेक्षा की गई है कि "शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो ।" मैं समझता हूं कि यह बिलकुल स्पष्ट ही है और मुझे इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि जो प्रत्याभूति यहां दी गई है उसका पालन किया जाए।

मुझे कुछ और अधिक नहीं कहना है । मुझे आशा है कि इन सब सुझावों पर सरकार ध्यान देगी और इस विधेयक का कार्यान्वित से लाभपूर्ण परिणाम निकलेंगे ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर-दक्षिण) : मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं । इस देश के सार्वजनिक जीवन में शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका काम इन अनाथालयों से न पड़ा हो । ये अनाथालय यथार्थ में उस समय स्थापित हुए थे जब यह देश स्वाधीन नहीं था। इस देश पर उस समय जिनका राज्य था उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि इधर से अधिक से अधिक धन किस प्रकार विलायत जा सकता है । उस समय इस देश के कुछ दानियों ने इन संस्थाओं को स्थापित किया था । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने समय में इन संस्थाओं ने इस देश में बहुत उपयोगी काम किया है। परन्तु आज सारा दृश्य बदल गया है आज भी जब हम यह कहते हैं कि इन संस्थाओं का प्रबन्ध सरकार को ले लेना चाहिये और इस समय जब हम इन संस्थाओं में होने वाली कुछ बुराइयों की तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तब भी यह कृतघ्नता होगी यदि इन संस्थाओं ने जो उपयोगी काम किया है उस को हम स्वीकार न करें ।

आज की इस बदली हुई परिस्थिति में मैं भी इस मत का हूं कि हमें यदि अपनी भावी पीढ़ी का ठीक ढंग से निर्माण करना है तो इन संस्थाओं पर सरकार का नियन्त्रण होना नितान्त आवश्यक है। परन्तु जब हम इस प्रकार की चीज़ों पर विचार करें और अपने विदेशी अनुभवों को अपने देश के सामने रखें तो हम सदा अपने देश को जो एक कोसने की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से भी थोड़ा अलग रहना चाहिये। अभी मेरे पहले जिन वक्ता महोदय का भाषण हुआ उन्होंने कई बातें चीन के सम्बन्ध

में कहीं। मैं भी चीन हो कर हाल ही में लौटा हूं लौटने के बाद और लौटने के पहले भी मैं ने इस देश में चीन की बहुत चर्चा सुनी है। रूस की भी बहुत चर्चा सुनी जाती है और प्रायः यह माना जाता है कि तीन वर्षों के अन्दर जब से चीन में साम्यवादी नेतृत्व की सरकार की स्थापना हुई है तब से चीन ने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है और चीन स्वर्ग हो गया है चीन में कुछ अच्छी बातें हुई हैं इससे मैं इनकार नहीं करता लेकिन चीन स्वर्ग हो गया है और हमारा देश नरक है, चीन में सब कुछ हो रहा है और हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, चीन की व्यवस्था में सब प्रश्न हल हो गये हैं, वहां कोई भीख नहीं मांगता, वहां के सब लोग धनवान हो गये हैं, और हम वहीं पर हैं जहां कि पहले थे, ये बातें जब कही जाती हैं तो मुझे इन बातों को सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि जो चीन गये हैं और उन से भी कि जो चीन जाने वाले हैं कि वे वहां जा कर शंघाई को और शंघाई के चारों तरफ जो मजदूरों की बस्तियां हैं उन को देखें। मैं अभी सारे संसार में घूम कर आया हूं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि चीन में मजदूर बस्तियां जितनी बुरी हालत में हैं, उतनी खराब इस देश की तो क्या, दुनिया के किसी भी दश के मजदूरों की बस्तियां नहीं हैं। चीन में आज गरीबी, भारतवर्ष से अधिक नहीं तो भारतवर्ष से कम भी नहीं है। चीन के गांवों की हालत को आप देखिये। वहां जो लोग गांवों में निवास करते हैं, उन की हालत को देखिये और निष्पक्ष भाव से देखिये कि आप के देश में कुछ हो रहा है या नहीं। आप का यह कहना कि वहां पर सब कुछ हो गया है गलत है चीन स्वर्ग नहीं हो गया है। चीन के प्रति हमारी बड़ी सदभावना है। रूस के प्रति हमारी बड़ी सदभावना है। हम सब के मित्र हैं, किसी के शत्रु नहीं। हम सब का भला चाहते हैं। लेकिन जब हम यह सुनते हैं कि हमारा देश तो अधः पतन में जा रहा है और चीन और रूस स्वर्ग बन गये हैं, तो यह गलत बातें हैं। और ये गलत बात जब दुनिया के सामने जाती हैं तो हमारा देश दुनिया में कोसा जाता है। हमारे देश की इस प्रकार की प्रवृत्ति कोई बड़ी अच्छी प्रवृत्ति नहीं है जहां कहीं भी कुछ अच्छी बात होती हैं, चाहे वे चीन में हों, चाहे वे रूस में हों, चाहे वे जापान में हों, चाहे अमरीका में हों, कहीं भी हों, हम उन सब को ग्रहण करना चाहते हैं। यह नहीं है कि हम कहीं की अच्छी बातें ग्रहण नहीं करना चाहते। एक दल चीन और रूस में होने वाली बातों को बुरा कहे और दूसरा दल अमेरिका में या जापान में होने वाली बातों को बुरा कहे, यह ठीक नहीं है। जहां भी अच्छी बातें होती हैं, हम उन को मान्यता देते हैं और हम उन को मानने को तैयार हैं। जो विदेश से लौटते हैं उन सब में मैं यह प्रवृत्ति देखता हूं कि वे अमेरिका की तारीफ करते हैं, यूरोप की तारीफ करते हैं, चीन की तारीफ करते हैं, रूस की तारीफ करते हैं, जापान की तारीफ करते हैं, और सब अपने देश की निन्दा करते हैं। यह प्रवृत्ति कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है।

अब जहां तक इन अनाथालयों का सम्बन्ध है, इन अनाथालयों में आज भी हमें कई अच्छे अनाथालय दिखाई देते हैं। कई बुरे अनाथालय भी दिखाई देते हैं। एक तरफ मैं आपको एक अच्छे अनाथालय का दृष्टान्त दूंगा। महोबा में जो कि हमारे प्रान्त का पड़ोसी प्रान्त है, एक अनाथालय है। उस अनाथालय के चलाने वाले

[सेठ गोविन्द दास]

श्री रामाधार जी हैं, जिनकी अवस्था आज ८२ वर्ष की है। इन्होंने इस अनाथालय को बनवाया, इसका अब तक संचालन किया। सन २९ में इस अनाथालय का शिलान्यास महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अब वे ८२ वर्ष के वृद्ध हो गये हैं, उनको स्वयं अपने गुजर बसर करने के लिए तो आवश्यकता नहीं है लेकिन आज भी ८२ वर्ष का वह बूढ़ा आदमी अनाथालय के बच्चों के लिए भीख मांग मांग कर उस अनाथालय का काम चला रहा है। उस अनाथालय ने कई बड़े बड़े योग्य व्यक्तियों को बनाया है और कितने ही वहां के लोग समाज में बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंचे हैं। अब इस प्रकार का अनाथालय जिस का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया हो, जिसे रामाधर के सदृश एक वृद्ध व्यक्ति चला रहा हो और वह अनाथालय जो इतनी सुन्दर संस्था रहा है, रामाधर के बाद उस का क्या होगा। वह सोचने की बात है। मैंने इस समय महोबे का एक दृष्टान्त दिया। देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में और भी अनाथालय होंगे जिन अनाथालयों के गत जीवन का आप अवलोकन करें तो आप को मालूम होगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है और बहुत अच्छे लोगों का निर्माण भी किया है लेकिन आज उनकी अवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे अनाथालयों के लिए भी यह हो कि अब जब कि स्वराज्य की स्थापना हो गयी है और हमारी अपनी सरकार कायम है तो यह अनाथालय सरकार के नियंत्रण में जांय।

दूसरी ओर हमें देश में इस तरह के अनाथालय भी दिखते हैं जो अनाथालय सारे पापों के भंडार हैं यहां अब उनकी तरफ देखिये (अन्तर्बाधा) मेरे पहले वक्ता ने तो बहुत समय लिया, पन्द्रह मिनट के बजाय करीब आध घंटा। जहां तक मैं समझता हूं बिलों पर कोई टाइम लिमिट अथवा नियंत्रण नहीं है।

सभापति महोदय : अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

सेठ गोविन्द दास : मैं बहुत संक्षेप में समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तो दूसरे अनाथालय जैसा कि मैंने आप से कहा ऐसे अनाथालय भी हैं जिन में सब प्रकार के पाप होते हैं, वहां पर जो लड़कियां रहती हैं उन लड़कियों के सम्बन्ध में कई प्रकार के किस्से सुने जाते हैं। कई बार तो यह सुना जाता है कि ऐसे अनाथालयों से लड़कियां बेची जाती हैं। और यह तो एक आम बात लोगों को मालूम है कि इन अनाथालयों की लड़कियों लड़कों को गाना बजाना सिखाया जाता है। गाना बजाना कोई बुरी बात है यह मैं नहीं कहता, वह तो बहुत अच्छी चीज है, उससे तो भगवान की भी प्राप्ति होती है ऐसा हमारे यहां कहा गया है। पर उस गाने बजाने का उपयोग किस प्रकार होता है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। होता यह है कि अनाथालय के बच्चे गा बजा कर भीख मांगने को निकलते हैं। भीख मांगना एक बुरी प्रथा है, उसे हमें समाप्त करना है, जब अनाथालयों में छोटे छोटे बच्चों को आरम्भ से भीख मांगना सिखाया जाता है तब उनके आगे का जीवन किस प्रकार से उन्नत होगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए।

श्री एम० एल० द्विवेदी : (जिला हमीरपुर): उस धन और प्राप्त हुए रुपयों का उन अनाथालयों में उपयोग होता है।

सेठ गोविन्द दास : उस धन का पूरा २ उपयोग भी उन अनाथालयों में नहीं होता।

इसके अलावा हमें एक दूसरे प्रकार की भी शक्ल देखने को मिलती है। आप किसी भी ट्रेन में जाइय, थर्ड क्लास में जाइये, इन्टर कलास में जाइय, आपको इन अनाथालयों के नाम पर कुछ लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। भीख मांगने को बुरी प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति को आज सारा सभ्य देश रोकने का प्रयत्न कर रहा है। हम देखते हैं कि वह भीख मांगने की प्रवृत्ति इन अनाथालयों के द्वारा जागृत की जाती है, इन अनाथालयों में धर्म परिवर्तन भी होता है। कई बच्चे जो हिन्दू हैं वे ईसाई बनाए जाते हैं। मैं कोई सम्प्रदायवादी नहीं हूं, लेकिन मैं जहां यह मानता हूं कि किसी मुसलमान को या किसी ईसाई को जबरदस्ती हिन्दू बनाने का प्रयत्य नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार मैं यह भी मानता हूं कि किसी हिन्दू को जबरदस्ती ईसाई और मुसलमान बनाने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इन अनाथालयों के द्वारा धर्म परिवर्तन के भी बहुत से काम चलते हैं। तो मैंने जैसा निवेदन किया कि जो इन संस्थाओं में बुरी और अच्छी दोनों हैं। सब मिलाकर यह दिखाई देता है कि यदि हम इस देश के लिए एसे नागरिक तैयार करना चाहते हैं जो इस देश के आगे की सब बातों की ज़िम्मेदारी उठावें तो यह आवश्यक है कि इस समय यह जो अनाथालय हैं वे सरकार के नियंत्रण में आयें।

अभी मैं अमरीका गया था, वहां कुछ लोगों से मेरी शिक्षा के सम्बन्ध में बातचीत हुई। आजकल के कुछ शिक्षा विशेषज्ञों की तो यह राय है कि किसी बच्चे की यथार्थ शिक्षा उसके तीसरे वर्ष और छठ वर्ष की अवस्था के बीच समाप्त हो जाती है, अधिक से अधिक सात वर्ष तक समझ लीजिये। मैंने इन विशेषज्ञों से बातचीत की, अमरीका में भी की और भी कई देशों में की और अधिकतर लोगों की यही राय मिली। तीन वर्ष से ६ वर्ष या हद से हद सात वर्ष तक की अवस्था के बीच में यदि हम किसी का निर्माण करना चाहते हैं तो वह निर्माण हो सकता है, अन्यथा सात वर्ष के बाद तो हम बालक और बालकाओं का यथार्थ निर्माण नहीं कर सकते, अनाथालयों में अगर आप देखेंग तो आप को पता लगेगा कि इसी अवस्था के अधिकतर बालक और बालिका रहते हैं। इस समय हम इस देश का निर्माण कर रहे हैं। इस देश में दो प्रकार का निर्माण नितान्त आवश्यक है, एक तो पार्थिव वस्तुओं का, खाने पीने और कपड़ों आदि का और दूसरी हमारी भावी पीढ़ी का। यहां जो इतना भ्रष्टाचार दिखता है उसके लिए कांग्रेस सरकार को कोसा जाता है। आज कांग्रेस सरकार की जगह समाजवादी या साम्यवादी या किसी भी दल की सरकार आ जाय तो जब तक इस देश के चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक इस भ्रष्टाचार का अन्त कदापि नहीं किया जा सकता।

तो मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इस देश में हम को जो निर्माण करना है और उस निर्माण में पार्थिव वस्तुओं से अधिक मैं चरित्र को आवश्यक समझता हूं तो जब तक हम अपनी भावी पीढ़ी का ठीक ढंग से निर्माण नहीं करेंगे तब तक इस देश के प्रश्नों को हल नहीं कर सकेंग। इस दिशा में यह विधेयक एक खास कदम उठाता है इसलिए मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री शर्मा।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि इस

[प्रो० डी० सी० शर्मा]

प्रकार का विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है तथा इस के लिये मैं उसके प्रस्तावक को बधाई देता हूं। यह बात तो सर्वविदित है कि किसी राष्ट्र के बच्चे उस राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। आप अपने बच्चों की ओर लापरवाही दिखला कर अपने देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे साधन बहुत ही सीमित हैं। उनकी शिक्षा, उनके पालन का हम ठीक से प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं। फिर भी वे देश के रत्न हैं जिन्हें आप इस प्रकार नहीं छोड़ सकते।

बच्चों के अपहरण के अनेक मामले हमारे सामने आ रहे हैं। लोगों ने इसके विरुद्ध आवाजें उठाई हैं। किन्तु ऐसा अधिकतर उन्हीं बच्चों के साथ होता है जिन की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता स्वार्थी व्यक्ति इन बच्चों से अपनी इच्छानुसार काम लेते हैं। उनसे भीख मंगवाते हैं। उनके अंग भंग कर देते हैं जिससे लोग दया करके उन्हें पैसा दे दें। बच्चों में अपराध की भावना तेज़ी से बढ़ रही है। उन्हें जेब कतरना चोरी करना आदि सिखाया जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह बिगड़े हुए बच्चे समाज तथा देश के लिये एक समस्या बन गये हैं। यदि हालत में सुधार न किया गया तो अवश्य ही वह दिन दूर नहीं है जब हमें अपनी असावधानी के लिये पछताना होगा।

हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था कर रहे हैं। परन्तु यदि आरम्भ ही में नीव कच्ची रह गई तो यह कैसे बन सकेगा। हमें बच्चों की देभभाल पर सब से पहले ध्यान देना चाहिये। क्योंकि वे ही हमारे राष्ट्र के भावी कर्णाधार होंगे। मझ प्रसन्नता है कि समाज कल्याण बोर्ड स्थापित कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि सब से पहले वह बच्चों की ही देखभाल का काम हाथ में ले।

राष्ट्र अपने बच्चों का माता-पिता होता है। जिन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है उन की देखभाल राष्ट्र को ही करनी चाहिये। मैं स्वीकार करता हूं कि अनाथालय होते हैं, किन्तु ५० अनाथालयों में से एक अनाथालय ऐसा होता है जो अनाथ बच्चों की वास्तव में देखभाल करता है अन्यथा शेष तो बच्चों को अपना स्वार्थ साधने के लिये रखते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार अनाथालयों की कड़ी देखरेख करे तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाये। मेरे विचार में 'अनाथालय' के बजाय उनका नाम 'बाल-निकेतन' आदि रखा जाय जिससे बच्चों में किसी प्रकार की पहले ही से गलत धारणा घर न कर ले। बच्चे भी इस बात का अनुभव करें कि वे सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् सरकार पंचायतों, स्थानीय बोर्डों तथा नगरपालिकाओं से अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे बच्चों की जनगणना करवाये जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद एक कमेटी नियुक्त की जाये जो समस्त अनाथालयों के संचालन के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करे। यह काम केवल राज्य पर ही न छोड़ा जाये। धनी व्यक्तियों को चाहिये कि वे अपना धन इन बच्चों पर भी व्यय करें तथा उन्हें अपनी सन्तान के रूप में रखें।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडे) : मैं इस विधेयक में रखे गये सिद्धान्तों का

समर्थन करता हूं। हमारा देश एक गरीब देश है। अनाथ बच्चों की हालत तो हमारे देश में बहुत ही दयनीय है। उनके पास न खाने के लिये है न पहनने के लिये और न रहने के लिये। जब हमारा देश एक लोक कल्याणकारी देश बनने का प्रयत्न कर रहा है तो उसे सब से पहले अनाथ बच्चों का मामला अपने हाथ में लेना चाहिये। प्राचीन काल में भी राजा जनता का पिता समझा जाता था। उसी प्रकार आज भी राज्य को अनाथ बच्चों की देख-भाल का काम अपने हाथ में लेना चाहिये। अनाथालय हैं तो सही पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। उन से काम नहीं चलता।

मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाये। अनाथ बच्चों को पेशेवर बदमाश अपराध करने के लिये प्रशिक्षित करते हैं: वे उन्हें अपने लाभ के लिये बदमाश बनाते हैं। यदि ऐसे बच्चों की देखभाल राज्य करने लगे तो अपराधों की संख्या कम हो सकती है। मैं चाहता हूं कि समाज कल्याण बोर्ड भी इस काम को अपने हाथ में ले।

अन्त में मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में ज़ोरदार कदम उठाया जाये। राजा महाराजाओं को जो पांच करोड़ रुपये की निजी थैलियां दी जाती हैं वे बन्द कर दी जायें और उस राशि को बच्चों की देख-भाल पर व्यय किया जाये। ऐसा करने से हमारे देश की उन्नति होगी।

श्री अच्युतन (कोंगान्नूर): मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं। हमारे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य के लिये बच्चों की देखभाल करना आवश्यक है। परन्तु विधेयक में व्यवस्था की गई है कि राज्य इन अनाथ बच्चों की देख भाल अपने हाथ में ले ले। मैं इस से असहमत हूं। म चाहता हूं कि राज्य ऐसी धार्मिक तथा अन्य संस्थाओं को आर्थिक सहायता दे जिससे वे अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सकें। यदि यह जिम्मेदारी भी राज्य के ऊपर लाद दी जाये तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि राज्य पर भोजन, कपड़ा और मकान देने की जिम्मेदारियां तो पहले ही से हैं।

मेरे विचार में इन संस्थाओं को 'अनाथलय' या 'यतीमखाना' कहना कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ता। उन्हें 'अनाथ भवन' या 'अनाथ मन्दिर' कहा जाना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि ऐसी संस्थाओं को जो अनाथ बच्चों की देखभाल करती हैं, लाटरी चलाने की अनुमति दे दी जाये। इस प्रकार वे अधिक से अधिक बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। इस प्रकार यह बच्चे किसी पर बोझ हो कर न पड़ेंगे।

यही नहीं बल्कि मेरा तो निवेदन है कि संसद् के वे सदस्य जिनकी कोई अपनी सन्तान नहीं है कम से कम इन बच्चों में से कुछ को अपना सकते हैं। इस प्रकार यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

इसी प्रकार आर्थिक कठिनाई को भी दूर किया जा सकता है। बहुत से लोग पांच पांच या छः छः गज की धोतियां पहनते हैं या हमारे सिक्ख भाई १० या १५ गज लम्बे साफे बांधते हैं। यदि वे लोग अपने कपड़ों की लम्बाई कम कर दें और बचा हुआ धन इन अनाथ बच्चों पर व्यय करने के लिये दे दें तो कोई हानि न होगी। यदि ऐसा हो

[श्री अच्युतन]

जाये तो इन बच्चों की सहायता भली भांति हो सकती है ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री द्विवेदी के इस विधेयक के सम्बन्ध में सदन वाद विवाद कर चुका और अब हमें अवसर मिला कि हम इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें ।

मुझे यह बताते हुए खेद होता है कि सरकार इस विधेयक को उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है जिस रूप में कि यह अभी रखा गया है । मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही राज्य परिषद् में जो विधेयक रखने जा रहे हैं वह कहीं अधिक व्यापक होगा ।

मैं, अपने माननीय मित्र, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, से सहमत हूं और उनकी इस भावना का आदर करता हूं कि इस प्रकार के विधेयक के लिये शब्द 'अनाथलय' का प्रयोग अच्छा नहीं है । सरकार और अधिक व्यापक विधेयक ला रही है जिस का नाम 'शिशु विधेयक' रक्खा गया है। इस विधेयक का सम्बन्ध केवल उन सस्थाओं से ही नहीं होगा, जो ऐसे उपेक्षित बालक-बालिकाओं को देख भाल के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है, जो दुर्भाग्यवश अनाथ हो गये हैं, वरन् उस का सम्बन्ध उन किशोर कुकर्मियों से भी होगा जिनकी देख भाल सरकार की ओर से या ऐसे वैयक्तिक संस्थाओं की ओर से करने की आवश्यकता है जिनको सरकार इस कार्य के लिये मान्यता प्रदान करे ।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में केवल पांच खंड हैं । उन में से कुछ इस विषय से बहुत प्रासंगिक हैं हम उन को अपने विधेयक में सम्मिलित कर लेंगे । जैसे प्रविधिक शिक्षा प्रबन्धी अनाथों के संरक्षण सम्बन्धी तथा राज्य सरकारों द्वारा अनाथालयों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने के सम्बन्ध के खण्ड । हम इस विधेयक को राज्य परिषद् में पुरःस्थापित करना चाहते हैं जिससे इस विधेयक पर विचार करने के लिये सम्मिलत प्रवर समिति नियुक्त की जा सके ।

इस विधेयक में ५२ खण्ड होंगे, जिन का सम्बन्ध उपेक्षिक बालक बालिकाओं तथा किशोर कुकर्मियों की समस्याओं से होगा तथा उन बातों से होगा जिनका निर्णय न्यायालयों द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरित इस विधेयक में सरकार को ऐसे अधिकार प्राप्त करने के भी उपबन्ध होंगे जिनकी आवश्यकता ऐसे बच्चों को अपने अधिकार में लेने के लिये होगी, जिन के माता पिता हैं, पर उन की देख भाल नहीं करते हैं, या ऐसे माता पिता पर जुर्माना करने या उन्हें दंड देने के लिये होगी या इस विधेयक के अनुसार संरक्षण में लिये जाने वाले बच्चों के सम्बन्ध में अन्य कोई वित्तीय प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में होगी ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री का उस धर्म के सम्बन्ध में क्या विचार है, जिस को अपनाने की इन बच्चों से आगे चल कर आशा की जावेगी ? अभी तो यदि अनाथ ईसाई अनाथालय में रक्खे जाते हैं तो वे ईसाई धर्म अपना लेते हैं और यदि हिन्दू अनाथालय में रखे जाते हैं तो हिन्दू धर्म इन अनाथों को कौन सा धर्म दिया जायगा ; मैं यह प्रश्न

सरकारी अनाथालयों के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

श्री के० डी० मालवीय : बच्चो को पूरी स्वतंत्रता होगी कि जो धर्म चाहें अपना लें। जब तक वे बच्चे रहेंगे उन की देख भाल की जायगी परन्तु धर्म के सम्बन्ध में अधिक प्रभाव नहीं डाला जायगा परन्तु यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। उस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध भी होंगे जिन से ऐसे माता पिता को दण्ड देने का अधिकार दिया जायगा जिन्होंने अपने बच्चों की देख भाल नहीं की है।

इन कारणों से मैं अपने माननीय मित्र से यह प्रार्थना करने के लिये विवश हूं कि वह अपना विधेयक वापस ले लें, इस लिये नहीं कि हम उस के आधारभूत सिद्धान्तों से सहमत नहीं हैं वरन् इस लिये कि हम सारे उपेक्षित बच्चों की देख भाल को समस्या के सम्बन्ध में और अधिक व्यापक विधेयक लाना चाहते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं इस सदन का बहुत ही आभारी हूं कि उसने इस छोटे से बिल को इतना बड़ा सम्मान दिया और उसका पूरी तरह से समर्थन किया और वास्तव में वे भावनायें जो हमारे सदस्यों के हृदयों में इस समर्थन को प्रेरित करती हैं, उन्हीं भावनाओं के आधार पर मैंने इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत किया था। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने भी उसको करीब करीब मान लिया है, उसके सिद्धान्त को मान लिया है और उसके सम्बन्ध में एक नया विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत होगा जिस में ये तमाम बातें और दूसरी अन्य बातें भी आ जायेंगी । माननीय मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा कि उस बिल में और बच्चों के बारे में भी इन्तजाम किया जायगा, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई और मैं उनको यह बतलाऊं कि मैं इस ओर गाफिल नहीं था और मैंने एक और दूसरा विधेयक भी प्रस्तुत किया था जिसमें ऐसे बच्चों का इन्तज़ाम किया जाना था कि जो चोरी में लग हैं, भीख मांगते हैं, या अन्य बुरे कामों में लगे हुए हैं, मेरे इन दोनों बिलों को मिलाकर यदि एक ऐसा संयुक्त बिल बनाया जाता तो मैं समझता हूं कि उससे बच्चों की सारी समस्यायें हल हो जातीं और जैसा आपने कहा कि आपके विधेयक में वे सारी चीज़ें आ जायेंगी, तो मुझे कोई आपत्ति उस बिल को स्वीकार करने में नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल अपने बिल को पास कराना ही नहीं है बल्कि बिल के पीछे जो उद्देश्य निहित है उसको पूरा करना है और मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले बिल से हमारा वह उद्देश्य पूरा हो जायगा । लेकिन साथ ही साथ सदन का ध्यान म इस तरफ आकर्षित करूंगा कि यह विधेयक १९५२ के शुरू शुरू में पेश किया गया था और उसके बाद से इस पार्लियामेंट के जितने सत्र हुए उनमें न्याय मंत्री, शिक्षा मंत्री और राजकुमारी जी ने यह आश्वासन दिया कि बच्चों के वास्ते एक कम्प्रिहेंसिव बिल (व्यापक विधेयक) बहुत जल्द पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जायगा, लेकिन उन आश्वासनों के बावजूद भी इतना समय बीत चुका है और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री के० डी० मालवीय : वह तो तैयार है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अगर वह बिल तैयार हो चुका है तो मुझे कोई आपत्ति

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

नहीं है उसको विदड्रा (वापिस ले लेने) में लेकिन उससे पहले मैं इस बिल के सम्बन्ध में सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं, उन पर आपकी अनुमति से संक्षेप में कहना चाहता हूं ।

सबसे पहली बात जो कि मैं सदन में इन अनाथालयों और बच्चों की बड़ी समस्याओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं उनको मंत्री महोदय भी सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा । मैंने हिसाब लगाया है कि सन् १९३१ की मर्दमशुमारी के अनुसार देश में १४ लाख भिखमंगे थे और सन् १९५१ की मर्दमशुमारी के अनुसार उस संख्या में करीब ६ लाख की बढ़ोतरी हो गयी ।

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : इस में साधू भी शामिल हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कुल बीस लाख भिखमंगे हैं, आखिर ये भिकमंगे कहां से आये, ये वही अनाथ बच्चे हैं जिनका हमने अभी तक कोई उचित इन्तजाम नहीं किया है, इन बीस लाख में से आधे के करीब बच्चे हैं और जो भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं और अगर तीन पाव प्रतिदिन के हिसाब से इनके खाने का लगायें तो साल भर में जो अन्न खाया जाता है वह करीब एक करोड़ और चालीस मन के होता है और उस अनाज की कीमत २८ करोड़ रुपये सालाना होती है, इतना धन हम भिखमंगों पर बर्बाद करते हैं जो कि कोई रचनात्मक काम देश में नहीं करते हैं । और यह बहुत आवश्यक है कि सरकार इन बच्चों के लिये इस विधेयक में समुचित व्यवस्था करे और साथ ही इस विधेयक में या किसी दूसरे विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था करे कि जितने भिखमंगे हमारे देश में हैं वह काम पर लगें, जो अपंग हैं और जो काम नहीं कर सकते हैं वह न लगें, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वह समाज और देश के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध हों । लेकिन जो काम करने के काबिल हैं उनसे कोई काम करायें और उनके खाने की कीमत उनसे वसूल कर लें । ऐसा करने से इस देश की जो खाद्य सामग्री बरबाद जाती है वह बच जाती है और जिनसे हम काम ले सकते हैं उन को काम मिल जाता है। आज आप अनाथ बच्चों का जो प्रबन्ध करने जा रहे हैं वह बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इससे भिखमंगों की संख्या भी कम होगी । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप विचार कीजिए, आप ने इतनी बड़ी बड़ी योजनायें तैयार की हैं और उन पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं । लेकिन मैं इस सम्बन्ध में जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यह जो मानवता के जल श्रोत हैं हमारे अनाथ बच्चे और जो निरुद्देश्य बहते हुए पड़े हैं आप को उनको बांधने का प्रयत्न करना चाहिये और जिनके माता पिता नहीं हैं उनको हमें मरने से बचाना चाहिये । अगर हमने इन समस्याओं पर इसी प्रकार से ध्यान दिया जैसे हम नद योजनाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं और इन मानवीय जल श्रोतों के नद पर भी बांध बना दिया तो हमारे मरे हुए माताओं और पिताओं के सूखे खेत फिर से हरे हो जायेंगे, और कौन जानता है कि इन अनाथों में से, इन उपेक्षित कूड़ों से रत्न निकल पड़ें और हमारे देश की वास्तविक सेवा कर सकें।

आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी पिछले सप्ताह ही दिल्ली में ६० लड़कियां पकड़ी गई हैं, और वह कहां से पकड़ी गई हैं यह सुन कर सदन को आश्चर्य होगा ।

एक माननीय सदस्य : ६० नहीं ८४ ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उनकी संख्या ८४ है । वे वेश्याओं के मकानों से पकड़ी गई हैं । उनसे क्या पेशा कराया जाता था इस को मैं इस सदन में दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता । आप स्वयं ही उसका अनुमान कर सकते हैं । यह ऐसी लड़कियां हैं जिन के माता पिता नहीं थे, जिन को लोगों ने बेचा था ताकि वह इन पेशों में जाकर लगें । यह हमारे राष्ट्र को और इस सदन के माननीय सदस्यों के अपमान की बात है कि हमारे देश की छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसे कामों में लगाया जाय तथा उन का कोई प्रबन्ध न किया जाये ।

अभी सेठ गोविन्द दास जी ने बताया कि महोबे में एक बूढ़ा है जो कि महात्मा गांधी के साथ रहा है और एक अनाथाश्रम चलाता है । उसकी आयु ८० वर्ष की है और वह भीख मांग कर तीस चालीस अनाथ बच्चों का पालन पोषण करता है । जब वह मर जायगा तब उसके पास जो बच्चे हैं उनका प्रबन्ध कौन करेगा । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस काम में विलम्ब करना अच्छा नहीं है, इसमें जितनी अल्दी हो सके करनी चाहिये ।

अभी मैं सदन का ध्यान एक उन सदस्य की तरफ दिलाऊंगा जिन्होंने ऐसे बच्चों के विषय में एक विधेयक पेश किया था । उनका नाम डा० पंजाबराव देशमख है । वह तो कहते हैं कि अगर पांच, दस लाख रुपया दे कर मुझ से कहा जाय तो मैं ऐसा प्रबन्ध करा सकता हूं जैसे कि बड़े बड़े शहरों के जो अनाथ बच्चे हैं उनका प्रबन्ध हो सकता है, और यह मुश्किल बात भी नहीं है । तो हमारी सरकार के बीच में ऐसे मंत्री भी हैं जो इसका भार लेने के लिय तैयार हैं, इसलिये इसमें निलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है ।

मेरे इस बिल पर भाषण करते हुए श्री रघबीर सहाय ने इस का समर्थन किया लेकिन उन्होंने एक बात कही, "क्या सदस्य महोदय यह चाहते हैं कि बच्चों के अनाथालयों को सरकार लेकर ऐसा बना दे जैसे कि जानवरों के पिंजरापोल होते है । और क्या हमारे पास इसके साधन हैं ?" इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि सरकार अनाथालयों को अपने प्रबन्ध में ले ले । जो अनाथालय जहां हैं वहीं रहें, और उनके खर्चे की पूर्ति चन्दे से की जाय । अगर वे ठीक से काम करें तो वे बने रहें । इन संस्थाओं की जो आमदनी हो उसको बच्चों के कोष में शामिल कर दिया जाय । अगर धन की कमी हो तो धनी आदमियों से अपील की जाय और अन्य उपाय किये जायें जिससे धन इकट्ठा हो सके । मैं तो कहता हूं कि अगर सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं में धन खर्च कर सकती है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वह हमारे अनाथ बच्चों के लिये थोड़ा धन न निकाल सके । और उनका प्रबन्ध न कर सके । उसको चाहिये कि अनाथालयों के लिये एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे और अनाथ बच्चों की देखरेख उनके जिम्मे कर दी जाय । मेरा कहना यह है कि हमारे अनाथ बच्चों को और शिक्षाओं के साथ शिल्प शिक्षा भी दी जाये और उत्पादक कार्य भी सिखाये जाये । इस प्रकार से हमारी

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

आर्थिक कठिनाइयां ही नहीं दूर होंगी बल्कि हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है।

श्री के० डी० मालवीय : यह सब हमारे प्रस्ताव में है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह भी अच्छा है। यदि हम नद योजनाओं के लिए करोड़ों रुपयों की रक़म निकाल सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इन अनाथ बच्चों का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सके विशेष कर जबकि दूसरे देशों में इस प्रकार की व्यवस्थायें हैं। अभी हमारे डा० सत्य नारायण सिन्हा ने बताया कि इंग्लैंड में कैसी व्यवस्था है। इंग्लैंड के कानून में लिखा हुआ है कि इंग्लैंड के ऐसे बच्चों के लिए जिन के घर बार नहीं हैं, निम्न प्रकार की व्यवस्था है:

"जहां स्थानीय अधिकारी को यह विदित हो कि उस के क्षेत्र में कोई भी बच्चा जिस की आयु १७ वर्ष से कम है और उसका वर्णन नीचे लिखे अनुसार है, तो उस अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि तुरन्त उस बच्चे को अपनी देखरेख में ले ले :

(क) यह कि उस बच्चे के मां और बाप दोनों में से कोई जीवित नहीं हैं और न ही उस का कोई संरक्षक है अथवा यह कि उस के मां बाप ने उसे त्याग दिया है तथा संरक्षक ने भी त्याग दिया है अथवा खोया हुआ है;

(ख) यह कि उस के मां बाप तथा संरक्षक कुछ काल अथवा सदा के लिए शारीरिक, मानसिक, व्याधि के कारण अथवा कोई और असमर्थता के कारण उस को रखने, और पालन पोषण करने में असमर्थ है ;

(ग) प्रत्येक दशा में स्थानीय अधिकारी का उस बच्चे को अपनी देखरेख में लेना लोक हित में है।

२. जहां कहीं भी स्थानीय अधिकारी ने किसी बच्चे को अपनी देखरेख में ऊपर के अनुच्छेद के अनुसार ले लिया हो, तो यह उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि तब तक उस बच्चे को अपनी देख रेख में रक्खे जब तक कि उस को इस की आवश्यकता हो और उस की १८ वर्ष की आयु न हो गई हो।

मेरे सामन एक पुस्तिका है जो कि यूनाइटेड नेशन्स यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से तैयार की गई है। इस में बच्चों के विषय में जो सुन्दर योजनायें दी गई हैं अगर हम उन पर भी ध्यान रखें तो भी हम को मालूम होगा कि उस की क्या मंशा है। उस के क्लाज (१) में लिखा हुआ है कि अनाथ बच्चों को वे सारी वस्तुएं प्राप्त होनी चाहियें जिनका जिक्र 'यूनीवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स' तथा 'यूनाईटेड नेशनस् ड्राफ्ट डिक्लेरेशन आफ दी राईट्स आफ दी चाईल्ड' में है।

इसी प्रकार से सरकारों को चाहिये कि वे अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए उपयुक्त विधान बनायें। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार ने इन तमाम बातों के सिद्धान्त को माना है और मुझे खुशी है कि मंत्री जी इस विधेयक को जल्दी पेश करने जा रहे हैं।

जितने सदस्यों ने और जो बातें कहीं हैं वह सब सराहनीय हैं मैं उन के प्रति

आभार प्रकट करता हूं। लेकिन एक सदस्य महोदय हैं जिन का नाम श्री बैरो है, उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उस का ड्राफ्टिंग (प्रारुपण) ठीक नहीं किया गया है। में कहना चाहता हूं कि बिल तो बहुत संक्षेप में है। इस के अन्तर्गत नियम बन सकते हैं। आप ने दान और धर्म के सम्बन्ध में बहुत सी बातें बतलाईं और इस बिल का विरोध किया है। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल पर गौर करें। यह बिल ऐसा नहीं है जैसा कि वह समझते हैं।

और सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं उन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को माननीय मंत्री की इच्छानुसार वापस लेता हूं।

मैं सदन से अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विश्वविद्यालय (अन्य राज्य अथवा राज्यों में क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं भारत के किसी भी राज्य के एक विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार भारत के किसी भी अन्य राज्य अथवा राज्यों में विस्तार करने वाले एक विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं पहले ही इसका विरोध कर चुका हूं।

सभापति महोदय : शिक्षा उपमंत्री इसका विरोध करते हैं इसलिए मुझे खेद है कि मैं इसको अनुमति नहीं दे सकती।

बाल संरक्षण विधेयक

श्रीमती सुषुमा सेन (भागलपुर दक्षिण) : मैं बच्चों के संरक्षण, भरण-पोषण, आवस, शिक्षा तथा रोज़गार के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगती हूं।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : यदि माननीय सदस्या इसे प्रस्तुत ही करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इस बात को दृष्टि में कि सरकार एक विस्तृत विधेयक ला रही है, वह इसे वापस ले सकती हैं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्या अपने प्रस्ताव पर आग्रह करती हैं।

श्रीमती सुषुमा सेन : सरकार द्वारा विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किए जाने में काफी विलम्ब प्रतीत होता है। मेरे विधेयक म ऐसे उपबन्ध हैं जो मुझे विश्वास है कि सरकार के विधेयक को और विस्तृत बना सकते हैं।

उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन की कार्यवाही सोमवार को ८·१५ म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार १७ अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।